खण्ड-284, अंक-1
सोमवार, 18 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(8 जून, 1970 ई0)

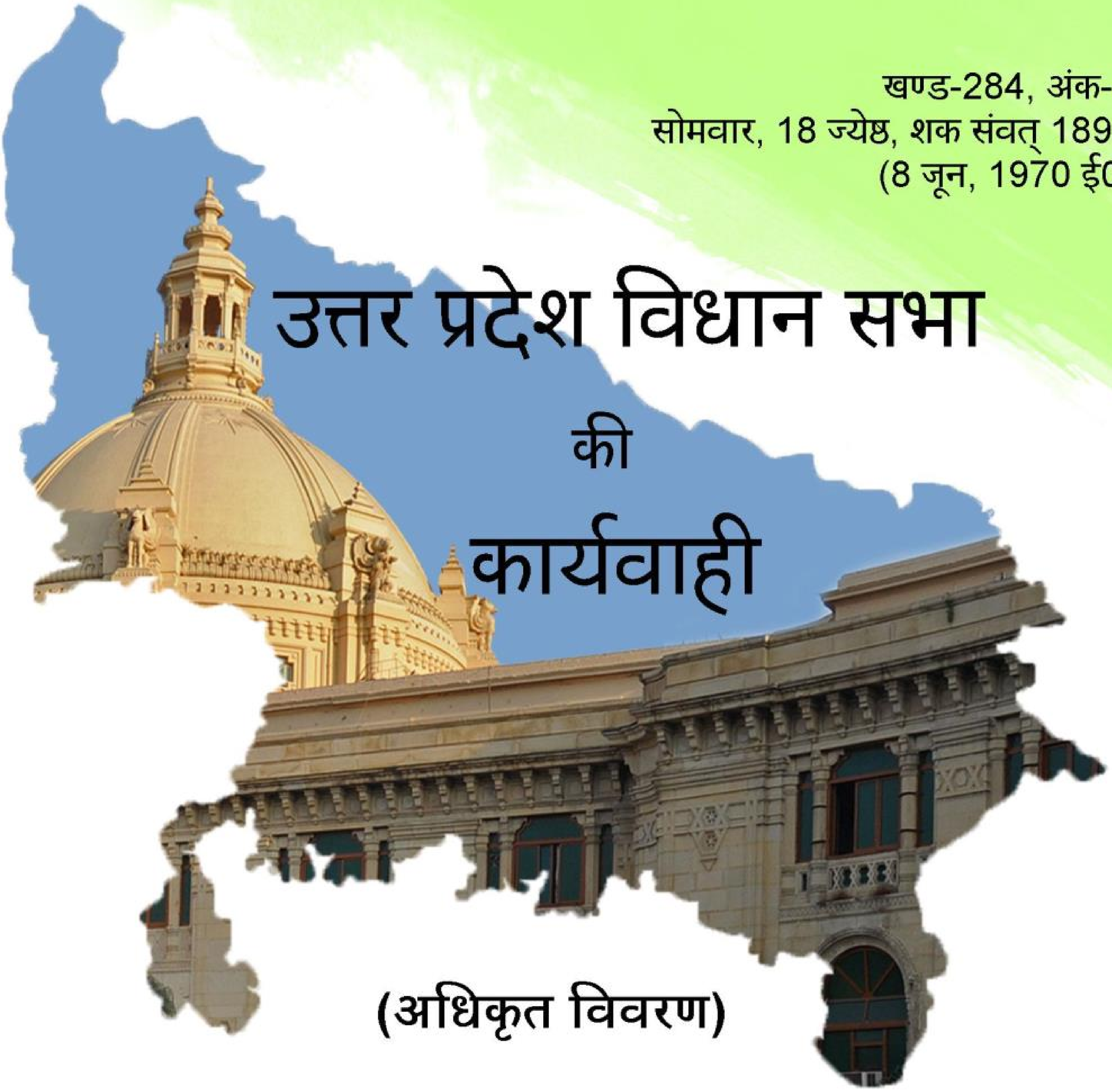

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 284 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३६
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	३६
प्रश्नों के उत्तर तथा वक्तव्यों की प्रतियां सभी सदस्यों को देने की मांग ..	३६
आयुर्वेदिक विद्यालयों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने सम्बन्धी विधेयक को शीघ्र लाने की मांग	३६—४३
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४३
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् लेखाकार परीक्षा (संशोधन) नियमावली, १९७० सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा नियमावली, १९७० सदन के पटल पर रखी गई ..	४४
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, लिमिटेड के कार्यों का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन, १९६८–६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	४४
उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६५–६६ सदन के पटल पर रखा गया) ..	४४
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	४५
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	४५
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा	४५
श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४५–४६
मुख्य मन्त्री के विरुद्ध चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न वक्तव्यों द्वारा सदन को गुमराह करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४६–४७
परगनाधीश, जलालाबाद, शाहजहांपुर, श्री गुरुशरण लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट)	४७–४८
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण (स्वीकृत)	४८–९२
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	९२–९३
सीतापुर में लकड़बग्घों के आतंक के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	९३–९५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	९६–९७
कुक्कुट आहार केन्द्र, हापुड़ द्वारा तैयार किये गये कुक्कुट आहार के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	९८–१०२
१२ जून, १९७० को सदन की बैठक न होने के सम्बन्ध में जानकारी	१०३
नस्थियां	१०४–१११

133956

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ८ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५८

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरजा शंकर, श्री
गुल्लार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्र पाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री

यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजित राम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)

रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्व नाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथसिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्यामसूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री

सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हर नरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ८ जून, १९७०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया व नगरपालिकाओं के चुनाव

****१—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—**

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया व नगरपालिकाओं के आम चुनाव कब कराने जा रहे हैं ?

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

इस मामले में शासन का अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या मन्त्री जी यह देखते हुये कि आजकल अपने प्रदेश में निकायों की हालत बहुत खराब है, भ्रष्ट-शासन सीमा पर पहुंच चुका है, अनेक जगह अध्यक्षों के चुनाव नहीं हुए, उपाध्यक्ष काम कर रहे हैं और नयी नगरपालिकाएं और टाउन एरिया बनाये गये हैं, ऐसी दशा में क्या इन चुनावों को जल्दी कराने का निर्णय लेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जल्दी से जल्दी कराने के प्रश्न पर शासन विचार कर रहा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

"जल्दी से जल्दी" के विषय में क्या गवर्नमेन्ट कोई तिथि निश्चित कर देगी---दो महीने, चार महीने, साल भर में कब तक चुनाव हो जायंगे, कोई तारीख या समय निश्चित कर देंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

इस समय सन् १९७० तक स्थानीय निकायों का समय चल रहा है। इसी अवधि में कोई तारीख निश्चित कर दी जायगी।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)---

नगरपालिकाओं के चुनाव कितने बार स्थगित हो चुके हैं, कितने एक्सटेंशन मिल चुके हैं अब तक ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

नगरपालिकाओं का कार्यकाल केवल एक बार बढ़ा है एक वर्ष के लिए।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)---

यह घोषणा की गयी थी कि नगरमहापालिका, इलाहाबाद के चुनाव १२ जुलाई को होंगे, क्या उस तिथि को फिर स्थगित कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

नगरमहापालिकाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

इलाहाबाद का सवाल है, उसमें सूचना की क्या आवश्यकता होगी ?

श्री अध्यक्ष---

उनको नहीं मालूम है।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

तो असली मन्त्री क्यों नहीं रहते सवाल के वक्त, नकली क्यों बैठाल रखे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो शोहरत है कि नवम्बर में नगरपालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं क्या वह सही है या गलत है ? चुनाव क्या पिछले कानून के मुताबिक होंगे या कानून में कोई तरमीम कराकर कराये जायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

दिसम्बर, १९७० में स्थानीय नगर पालिकाओं का जब समय समाप्त हो रहा है उसके पहले जैसा मैंने अभी कहा, चुनाव की तिथि निश्चित होगी और यदि आवश्यकता हुई तो नियमों में तरमीम पर भी विचार किया जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

सरकार को जल्द से जल्द टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया या नगरपालिका के चुनाव कराने में क्या दिक्कत महसूस हो रही है जिससे सरकार कितने दिनों का समय चाहती है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

दिसम्बर तक कार्यकाल चल रहा है, जैसा मैंने कहा। अब समय बढ़ाने के प्रश्न पर अथवा चुनाव समय पर होने के संबंध में सरकार शीघ्र निर्णय लेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने पूछा था कि क्या दिक्कत हो रही है जिससे निर्णय नहीं हो रहा है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

कोई कठिनाई नहीं है। अभी तो १९७० तक समय ही बाकी है तो निर्णय लेने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि चुनाव अधिकारियों की ओर से तो कोई अड़चन आपको नहीं है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

प्रथम बार जब चुनाव एक साल के लिये बढ़ाये गये थे तब चुनाव अधिकारियों ने कुछ कठिनाई बताई थी।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने यह निश्चय किया है कि बरसात के पूर्व किसी भी नगरपालिका या दूसरे स्वायत्त शासन के चुनाव नहीं होंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

नवम्बर-दिसम्बर तक समय बाकी है। यह तो बरसात के बाद ही होगा।

गुड़ से शराब बनाने के प्रतिबन्ध को हटाने की मांग

**२—श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गुड़ के अत्यन्त गिरे हुये भाव को देखते हुये वर्तमान राज्य सरकार ने जो केन्द्रीय सरकार से गुड़ शराब के कारखाने में शराब बनाने पर प्रतिबंध हटाने के लिये अनुरोध किया था, क्या उसे केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया है? यदि हां, तो उस समय से उत्तर प्रदेश के कितने गुड़ को शराब बनाने में प्रयोग किया गया और उससे गुड़ के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई?

गृह उपमन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

राज्य सरकार ने भारत सरकार से यह संस्तुति की थी कि गुड़ (रेगुलेशन आफ यूज) आर्डर, १९६८, जिसके अन्तर्गत गुड़ का इस्तेमाल केवल खाने या ऐसी चीजें बनाने जो मनुष्यों अथवा जानवरों के खाने के काम में आयें, के अलवा किसी अन्य कार्य में नहीं किया जा सकता था, समाप्त कर दिया जाय जिससे कि गुड़ का उपयोग अन्य कार्यों के लिये भी हो सके। भारत सरकार ने इस संस्तुति को मान लिया है तथा उपरोक्त आर्डर को संशोधित कर दिया है जिससे कि गुड़ का उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिये भी किया जा सकता है। गुड़ से शराब बनाने के विषय में कोई संस्तुति नहीं की गई थी, अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि, जैसा मुझे याद पड़ता है, शायद महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात थी या माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं सदन में यह घोषणा की थी कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करेगी कि गुड़ से शराब बनाने पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसको हटा लिया जाय। तो मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो जवाब दे दिया है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मान्यवर, यह या तो मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है या महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में है। तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी स्पष्टीकरण करेंगे कि जब ऐसी घोषणा यहां की गई और फिर कहा जाता है कि ऐसी संस्तुति नहीं की गई केन्द्रीय सरकार से, तो क्या बात है जो संस्तुति नहीं की गई?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

गुड़ से शराब बनाने पर विचार किया गया था। कारण यह है कि गुड़ की कीमतें गिर रही थीं। विचार यह था कि अगर गुड़ से शराब बनने लगे तो शायद गुड़ की कीमतें कुछ बढ़ जायें। इस पर सरकार ने विचार किया था विस्तृत रूप से।

श्री अध्यक्ष—

संस्तुति के बारे में नहीं कहा था?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

नहीं। ऐसा कहा था कि अगर गुड़ से शराब बनायी जाती है तो गुड़ की कीमत बढ़ जायगी, लेकिन जो शीरा से शराब बनाते हैं वह चाहते नहीं हैं क्योंकि उनको गुड़ से शराब बनाने में कुछ और ऐप्रेटस फैक्ट्रीज में लगाना पड़ेगा जिससे शराब की कीमत और बढ़ जायेगी। किसी भी फैक्ट्री ने यह डिमांड नहीं की है कि गुड़ से शराब बनाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी डिमांड आयेगी तो उस पर विचार कर लेंगे।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

मैं उस के कंटेक्स्ट में प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या यह भी ढोंग है जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन में ऐसी घोषणा की थी कि गुड़ से शराब बनाने के लिये मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रहा हूं ताकि गुड़ का प्रयोग हो सके ? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

वह तो कहते हैं कि ऐसी संस्तुति नहीं की गई।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

विचार से पहले घोषणा क्यों की गई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामविलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

अभी मंत्री जी ने कहा है कि गुड़ के भावों को नीचे गिरते हुये देखकर वह विचार करने के लिये बैठी और यह सोचा कि उससे शराब बनाई जाय। सरकार ने इसकी अहमियत को समझते हुये विचार किया और केन्द्रीय सरकार को यह समझते हुये भी इसके लिये संस्तुति क्यों नहीं भेजी ? दूसरी बात यह कि विचार करने से पहले यह घोषणा कैसे कर दी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

गुड़ की कीमतों को गिरते हुये देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक पत्र लिखा और यह भी लिखा कि हम इस पर चिन्ता प्रकट करते हैं। गुड़ का (रेगुलेशन आफ यूज आर्डर), १९६८ संशोधन करने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा। भारत सरकार ने हमको उत्तर दिया और छूट जिसमें दी वह हैं तम्बाकू उद्योग, चमड़ा तथा रसायन उद्योग, आदि में इसका उपयोग किया जा सके। शराब के लिये उसमें जिक्र नहीं है।

वाराणसी में ट्रैक्टर फैक्ट्री निर्माण हेतु जमीन

**३---श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में ट्रैक्टर फैक्टरी निर्माण हेतु कब जमीन अवाप्त (एक्वायर) की गई और ट्रैक्टर फैक्टरी निर्माण में क्या दिक्कतें आईं ? क्या वहां कोई दूसरी फैक्टरी निर्माण हेतु राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को सुझाव दे रही है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

उद्योग उप मंत्री (श्री आबिद अली)--

वाराणसी में ट्रैक्टर फैक्ट्री की स्थापना के लिए अभी तक कोई भूमि एक्वायर नहीं की गई है अतः प्रश्न के उत्तरार्ध में उल्लिखित कार्यवाही का सवाल ही नहीं उठता।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में वाराणसी के मुगलसरायं में ट्रैक्टर फैक्ट्री के लिये जमीन एक्वायर नहीं की गई।

उद्योग मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

जी हां, अभी एक्वायर नहीं की गई।

श्री हिम्मत सिंह--

सरकार ने यह निर्णय कब लिया कि हम ट्रैक्टर फैक्ट्री वहां पर खोलेंगे ?

श्री बेनी सिंह--

ट्रैक्टर फैक्ट्री खोलने का निर्णय प्रदेशीय सरकार का नहीं है। यह निर्णय केन्द्रीय सरकार का है। केन्द्रीय सरकार इस पर विचार कर रही है। जब यह मालूम हुआ कि केन्द्रीय सरकार वहां पर ट्रैक्टर फैक्ट्री खोलना चाहती है तो हमने उनको लिखा कि हम आपको सुविधायें देंगे जैसे कि बिजली की, जमीन की आदि-आदि आप इसको हमारे यहां खोल दें। उन्होंने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। इस कारण उसको प्रदेशीय सरकार के खोलने का कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री मोहनलाल कपूर--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फैक्ट्री के खोलने के सम्बन्ध में अन्तिम डेपुटेशन या प्रार्थना-पत्र कब केन्द्रीय सरकार को भेजा गया ?

श्री बेनी सिंह--

ठीक तारीख तो मैं नहीं बता सकता लेकिन उनका उत्तर अभी तक नहीं आ सका और इसकी भी सूचना नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने अपना कोई निश्चय कर लिया हो।

श्री दीपनारायणमणि--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वाराणसी के लिए सुझाव दिया ह या दिया था ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो उन्होंने कह दिया कि सुझाव दिया था।

श्री दीपनारायणमणि--

संस्तुति के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वाराणसी के लिए संस्तुति की थी ?

श्री बेनी सिंह—

हमने उनको उपयुक्त स्थान बताया था और उसके लिए सिफारिश की थी। बार-बार रिमाइन्डर भेज रहे हैं लेकिन उनका निर्णय अभी नहीं आया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या प्रदेश के किसानों की जरूरत को देखते हुए प्रदेशीय सरकार इस बात के लिए परन्सू करेगी कि उत्तर प्रदेश में चौथी पंचवर्षीय योजना में कहीं भी एक ट्रैक्टर की फैक्ट्री कायम हो जाय ?

श्री बेनी सिंह—

यह तो मैं अर्ज कर चुका कि सरकार प्रयत्नशील है। बराबर उनको रिमाइन्डर भेजते हैं और उनको जो सुविधायें देने का सवाल है उस पर हम कायम हैं। जितनी जल्दी मिल जाय हम लगाने के लिए तैयार हैं चौथी पंचवर्षीय योजना तक ही नहीं बल्कि और पहले।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या मनानीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह इतना महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए इसको वह अपने हाथ में लेकर निजी तौर से परस्यु करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

जरूर करेंगे। आप लोगों से भी मदद मांगेंगे और जो हाउस है उससे भी मदद मांगेंगे। जो लोग जोर लगा सकें सहयोग देने की कृपा करेंगे।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों की बेकारी की समस्या को देखते हुए, बरोजगारी की समस्या को देखते हुए वह केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालेंगे कि यह फैक्ट्री जल्द से जल्द यहां लग सके और निर्माण कार्य शुरू कर दे ?

श्री अध्यक्ष—

आपने सिर्फ पूर्वी जिलों की बेकारी जोड़ दिया है। वह तो स्वयं जल्दी कर रहे हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्तिम रिमाइन्डर उन्होंने कब दिया है और उसमें क्या लिखा है ?

श्री बेनी सिंह—

इस वक्त मेरे पास तारीख नहीं है।

श्री रामविलास पांडेय—

क्या मंत्रीजी को यह मालूम है कि केन्द्रीय सरकार ने वाराणसी में यह फैक्ट्री लगाने का फैसला लिया था और बाद में पंजाब में लगाने का निर्णय लिया ? किन कारणों से पंजाब में लगाने का निर्णय लिया गया ?

श्री बेनी सिंह---

मुझे इसकी सूचना अभी नहीं है ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

सुनाई नहीं पड़ रहा है । आप आग आकर पूछ ल ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रैक्टरों की मांग को देखते हुये सरकार सहकारी आधार पर फैक्ट्री लगाने का विचार करेगी ?

श्री बेनी सिंह---

अभी इस सम्बन्ध में विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिह री-गढ़वाल)---

क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार का वह कौन-सा प त्र है जिसके मुताबिक उन्होंने केन्द्र सरकार को लिखा है ?

श्री बेनी सिंह---

मैंने निवेदन किया कि हमने तो अपने आप इसमें कार्यवाही की और केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की कि वह ट्रैक्टर फैक्ट्री हमारे यहां लगावें ।

पब्लिक सेक्टर अन्डर टेकिंग्स को प्रभावशाली बनाने हेतु समिति का गठन

**४---श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों, कारपोरेशनों या कंपनियों के कार्य संचालन को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सरकार एक समिति का गठन करने जा रही है ? यदि हां, तो ऐसी समिति का गठन कब तक हो जायगा और उसके गठन का आ ार क्या होगा ?

श्री आबिद अली---

जी नहीं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मान्यवर, १९७०-७१ के बजट भाषण की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके पृष्ठ ३ पर माननीय वित्त मंत्री ने इस समिति का उल्लेख किया है और कहा है कि सरकार ने यह संकल्प कर लिया है । मैं बजट भाषण से इसको पढ़े देता हूं---" जैसा कि माननीय

सदस्यों को विदित है, प्राक्कलन समिति का सम्बन्ध राज्य की ओर से चलाये जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कारखानों, कारपोरेशनों या कम्पनियों के कार्य-संचालन से रहता है। इस प्रकार की जांच को अधिक उद्देश्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इस सदन के सामने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स) के सम्बन्ध में विधान मंडल की एक संयुक्त समिति के गठन का औपचारिक रूप से एक संकल्प लाने का प्रस्ताव है, जिससे कि इन उपक्रमों के कार्य की वर्ष प्रति वर्ष कुछ विस्तृत जांच की जा सके।" तो वित्त मंत्री जी का यह भाषण सत्य से परे है या उद्योग मंत्री जी का उत्तर सत्य से परे है ?

श्री बेनी सिंह—

संकल्प है, उस पर विचार होगा। लेकिन इस समय की बात तो यही है जो मैंने उत्तर दिया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उत्तर में तो आप कहते हैं "जी नहीं"। मान्यवर, ऐसा उत्तर आयेगा तो मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर हैं। उन्हें जानकारी हो तो बता दें कि वित्त मंत्री जी ने कोई ऐसी घोषणा की है। प्रश्न ४ के सम्बन्ध में है, जिसमें यह है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों, कारपोरेशनों या कम्पनियों के कार्य संचालन को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सरकार एक समिति का गठन करने जा रही है ? यदि हां, तो ऐसी समिति का गठन कब तक हो जायगा और उसके गठन का आधार क्या होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

मुझे तो नहीं मालूम कि वित्त मंत्री जी ने क्या घोषणा की है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, यह तो बजट भाषण में लिखा है।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी को सूचना नहीं है। उन्होंने तो यह कह दिया और वित्त मंत्री जी यहां हैं नहीं।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मैं इस प्रश्न पर विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर भेजिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

पहले घोषणा कर दी और अब कहते हैं कि जी नहीं। इस प्रकार का उत्तर न दिया करें। श्रीमन् के पास भी बजट भाषण होगा।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त मेरे पास वह नहीं है। प्रश्नों का समय है, प्रश्न पूछिए।

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी कौंसिल में सरकार ने बनाई है और अभी विधान सभा में नहीं बनाई है तो यहां विधान सभा में न बनाने के बारे में कोई दूसरी बात कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि आपने उद्योग मंत्री जी से पूछा। उद्योग मंत्री जी ने कह दिया कि हम कह नहीं सकते हैं। उनको मालूम नहीं है तो वह सूचना की आवश्यकता समझते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

उत्तर प्रदेश में एक सरकार है। उसी सरकार की पालिसी कौंसिल के द्वारा आती है और उसी सरकार की पालिसी इस सदन में है। कौंसिल में एक पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी फंक्शन कर रही है। उसी से सम्बन्धित यह प्रश्न है। अब जो मंत्री जी ने जवाब दिया कि ऐसा विचार नहीं है तो क्या इस सरकार की अलग-अलग पालिसी दोनों सदनों में हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

इस सरकार की एक ही पालिसी रहेगी। अगर कौंसिल में कोई कमेटी किसी विषय पर बनी है तो उसका यहां पर बनना आवश्यक ह ऐसी जरूरी बात नहीं है। यह हम नहीं कहते हैं कि पालिसी भिन्न हुई ?

श्री मोहनलाल कपूर—

यह मंत्रि-मंडल सम्मिलित भावना की दृष्टि से चलता है। मंत्री दो उत्तर नहीं दे सकते हैं। एक ही उत्तर हो सकता है और वह सरकार का उत्तर होता है। मंत्री जी भी बताते हैं वह ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी के आधार पर बताते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपको यदि कुछ आपत्ति है तो आप मेरे पास लिख कर भेज दें। मैं देख लूंगा। मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता कि ऐसा उत्तर दीजिये। आप लिखकर भेज दीजिये तो मैं देख लूंगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

पीलीभीत एल० एच० शुगर एण्ड आयल मिल पर बकाये सूद का भुगतान

*१—श्री रूपराम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित), श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत) तथा श्री किशनलाल (जिला पीलीभीत)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि पीलीभीत गन्ना समिति का १९६७ तक का २,१३,००० रुपया सूद का पीलीभीत एल० एच० शुगर मिल पर वाजिब था जिसका फैसला ६०,००० रुपया पर मौजूदा जिला गन्ना अधिकारी एवं गन्ना आयुक्त ने किया? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है?

राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

जी नहीं। पीलीभीत जिले की एल० एच० शुगर ऐण्ड आयल मिल्स लिमि० पर वर्ष १९५४–५५ से वर्ष १९६७–६८ तक विलम्ब से गन्ना मूल्य भुगतान करने पर ब्याज का कुल रु० २.१९ लाख था, जिसमें से रु० १.४८ लाख का भुगतान मिल ने कर दिया था और हिसाब न मिलने के कारण रु० ७१,००० विवादास्पद था। इस विवाद का निस्तारण करने के लिए पीलीभीत समिति के संचालक मंडल ने ५–५–६८ तथा ६–१२–६८ को यह संकल्प किया कि चीनी मिल से समस्त ब्याज की देय धनराशि के विरुद्ध रु० ६०,००० का भुगतान लेकर हिसाब साफ कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् पीलीभीत चीनी मिल ने पीलीभीत समिति को ६०,००० .०० रुपया का भुगतान कर दिया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

कानपुर जिले के चार गांवों के बालू के ठेके से हानि

*२—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में मौजा खरतला, दीवैल, उदईपुर, हसेपुर, चौरा, क्यापुर के बालू का ठेका सन् १९६९–७० में जिलाधीश, कानपुर द्वारा दिया गया? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और इससे सरकार को कितनी हानि हुई?

श्री बेनी सिंह—

तारीख १–४–६९ से ३१–३–७० तक की अवधि के लिए गांव खरतला, दीवैल, उदईपुर तथा हंसपुर यानी देवराहट के ठेके नीलाम नहीं हुए थे। ग्राम चौरा तथा क्यापुर के ठेके उक्त अवधि में नीलाम हुए थे।

उपर्युक्त ४ गांवों के रिकार्ड मुकम्मिल न होने के कारण उक्त अवधि के लिए ठेके न हो पाये थे। जहां तक हानि का प्रश्न है, उसका ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पिछले नीलामों के आधार पर हानि अनुमानतः ३,३०० रु० की थी।

*३—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या उपरोक्त गांव के बालू का परमिट भूमिधरों को जो हर साल दिया जाता था वह भी १९६९–७० में नहीं दिया गया? इसका क्या कारण है तथा इससे सरकार को कितनी हानि हुई?

श्री बेनी सिंह—

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत बनी "उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली १९६३" के अन्तर्गत बालू का परमिट भूमिधरों को ही दिया जाना आवश्यक नहीं है। वैसे इस अवधि में किसी भूमिधर से परमिट के लिए प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त नहीं हुए अतएव तदर्थ हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता।

बिक्री कर विभाग में कर्मचारियों को स्थायी न करना

*४—श्री सत्तार अहमद (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिक्री-कर विभाग में १० वर्ष या इससे भी अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

बिक्री-कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

जी हां, यह सही है कि बिक्री-कर विभाग में १० वर्ष या इससे भी अधिक समय से काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों जिनका सामान्य कार्य एवं चरित्र पंजिकायें सन्तोषजनक नहीं हैं, को स्थायी नहीं किया गया है।

कानपुर की लक्ष्मी रतन काटन मिल्स से भविष्य निधि के बकाया धन की वसूली

*५—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर की लक्ष्मीरत्न काटन मिल पर ३१ दिसम्बर, १९६९ सन् तक भविष्य निधि की कितनी धनराशि बकाया है?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

कानपुर की लक्ष्मी रतन काटन मिल्स पर ३१ दिसम्बर, १९६९ तक भविष्य निधि की कुल २४,०८,८९२·३६ रुपये की धनराशि बकाया थी।

*६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त बकाया धनराशि की वसूली के लिये भू-राजस्व की बकाया धनराशि की भांति वसूली की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो इसका परिणाम क्या हुआ?

श्री राजमंगल पाण्डेय---

जी हां। भू-राजस्व के बकाये की वसूली की भांति कार्यवाही की गई है। तदनुसार उक्त मिल्स की चल तथा अचल सम्पत्ति की कुर्की की जा चुकी है। आगे की कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस मिल के डाइरेक्टर लाला रामरतन गुप्त हैं जो इन्दिरा कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस मिल का डायरेक्टर कौन था ?

श्री राजमंगल पांडेय---

डायरेक्टरों की सूची तो इस समय मेरे पास नहीं हैं, इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री हिम्मत सिंह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मिल की कुर्की कब हुई और नीलाम की कार्यवाही कब की जायगी ?

श्री राजमंगल पांडेय---

कुर्की के आदेश राज्य सरकार द्वारा २८-९-६७ को प्रसारित किये गये कुर्की कब हुई इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री हिम्मत सिंह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २८-९-६७ को जो आदेश दिये गये उनका अभी तक पालन नहीं हुआ, क्या इसकी जानकारी सरकार को है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

यह कुल बकाया करीब २४ लाख की थी, इसमें से २० लाख ८१ हजार की उन्होंने सिक्योरिटीज एन्डोर्स कर दीं और बाकी ५ लाख के लिये भी बाण्ड्स दे दिये, इसलिये आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री रामविलास पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बकाया धनराशि की वसूली के लिये वह कोई कार्यवाही शीघ्र करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो बताया गया कि २० लाख के करीब के बाण्ड दे दिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह २४ लाख रुपया कब तक का बाकी है और आगे की कौन-सी कार्यवाही विचाराधीन है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह दिसम्बर, १९६९ तक भविष्य निधि का अंशदान २२,५०,७५६ रुपया था और भुगतान जो उपरोक्त में से घटा दिया गया वह था ५,८१८ रुपया, इस तरह से शेष रह गया २२,४६,९३८ रुपया, फिर प्रशासकीय शुल्क और वसूली शुल्क मिलाकर कुल बकाये की निधि जो भविष्य निधि के सम्बन्ध में थी वह २४,०८,८९२ रुपये हो गई। किस्तों की अदायगी की सुविधा के लिये उन्होंने २० लाख के बाण्ड भर दिये और उनको मार्च, ६८ तक ३०,००० रुपया की मासिक किस्तों में अदा करने को कहा गया और उसके आगे ४०,००० रुपये की मासिक किस्तों के लिये कहा गया और एक शर्तनामा भी तहरीर हो गया। उसके बाद हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि अथराइज्ड कंट्रोलर की नियुक्ति की जाय और यह भी अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है इस बीच में १५ लाख के बारे में और मांग की गई और सारी चीजें अभी विचाराधीन हैं।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

मैं चाहता हूं जानना कि ईयरवाइज कितना-कितना रुपया बकाया था और इस सम्बन्ध में इससे पहले की सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, ३१ दिसम्बर, १९६९ तक सवाल पूछा गया था। उसी तक सूचना एकत्र की है। ईयरवाइज चाहते हैं तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि नवम्बर, १९६७ से जून, १९६८ तक प्रबन्धकों के खिलाफ भविष्य निधि अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत अगर १,८०० रुपये और १७ के अन्तर्गत १३,२०० रुपये जुर्माना हुआ है तो क्या यह रकम वसूल हो चुकी है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, हमारे पास इसकी सूचना नहीं है कि इतने-इतने जुर्माने की वसूली हो गई है या नहीं। हमारे पास सम्बन्धित सवाल प्राविडेन्ट फण्ड के बारे में था। अगर कोई और सवाल हो तो उसकी नोटिस चाहिये।

[८ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

एरिया डेवलपमेंट स्कीम के क्षेत्र, लक्ष्य एवं पूर्ति

*१—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एरिया डेवलपमेंट स्कीम कहां-कहां और कब से लागू हुई ?

श्री आबिद अली—

क्षेत्रीय विकास योजना (एरिया डेवलपमेन्ट स्कीम) १९६७-६८ से कानपुर, आगरा गाजियाबाद व रुड़की में प्रारम्भ की गई थी परन्तु आगरा में इस योजना के अन्तर्गत कार्य अप्रैल, १९६८ से प्रारम्भ किया गया था ।

*२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

उक्त एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अलग-अलग एरिया के क्या टारगेट (लक्ष्य) थे और उनके सालाना एचीवमेंट क्या रहे ?

श्री आबिद अली—

क्षेत्रीय विकास योजना में, प्रत्येक क्षेत्र के लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०४-१०७ पर)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सिर्फ आगरा में ही एक अप्रैल से यह स्कीम क्यों लागू हुई जबकि कानपुर और गाजियाबाद में एक साल पहले यह लागू हो गई थी । स्कीमें जबकि एक ही साल बनी थीं ?

श्री बेनी सिंह—

ऐसा हुआ कि आगरा में आफिशियल्स के पहुंचने और इन्तजाम करने में देर हो गई । इसलिये वहां देरी हुई ।

श्री ईश्वरदयाल त्यागी—

माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि डेवलपमेंट एरिया के चुनाव किस आधार पर किये गये । क्या वहां सीमेन्ट और बिजली सस्ती मिलती थी या कच्चा माल मिलता था ?

श्री बेनी सिंह—

इनका चुनाव इस आधार पर किया गया है कि जहां उद्योगों की प्रमुख सुविधायें हैं और जहां तुलनात्मक दृष्टि से सब चीजें मिल सकती हैं । सुविधायें अधिक होने की दृष्टि से किया गया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव करने में कितने दिन की देरी हुई ?

श्री बेनी सिंह---

मैं यह तो नहीं बता सकूंगा कि कितने दिन की देरी हुई। परन्तु इतना अवश्य है कि देरी हुई।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वे इस स्कीम को प्रदेश के बैकवर्ड एरिया में भी लागू करने की सोचेंगे ताकि वहां विकास हो सके ?

श्री बेनीसिंह---

इस समय तक तो विचार किया नहीं, अगर माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो अवश्य विचार कर लेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

जो टार्गेट फिक्स किये गये थे उनमें मुश्किल से १० प्रतिशत से अधिक की पूर्ति नहीं हुई है। तो क्या माननीय मंत्री जी जिन लोगों ने गलत टार्गेट फिक्स किये या टार्गेट अगर सही थे तो उसके अनुसार कार्य नहीं किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बेनीसिंह---

इसकी जांच करा लेंगे कि लक्ष्य की पूर्ति क्यों नहीं हुई। अगर उसमें किसी अधिकारी की गलती पायी गयी, उसके कारण से लक्ष्य पूरे नहीं हुये तो अवश्य कार्यवाही करेंगे, यदि उसमें उसकी गलती नहीं है तो बात दूसरी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या इस स्कीम में बलिया को भी माननीय मंत्री जी शामिल करेंगे क्योंकि वह सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो उनकी स्कीम में है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

इस सूची को देखने से पता चलता है कि कहीं भी २-३ परसेंट से अधिक अचीवमेन्ट्स नहीं हैं, तो पिछली सरकार ने और इस सरकार ने इन अचीवमेंन्टस को पूरा करने के लिये क्या किया ?

श्री बेनी सिंह---

जो कुछ किया वह तो आपके सामने है। आगे जांच के लिये मैंने अभी कहा ही है, अगर कहीं कमी है तो उसको देखेंगे।

नान फेरेसस मेटल स्कीम, मुरादाबाद का आडिट

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नानफेरेसस मैटल स्कीम मुरादाबाद का आडिट कब-कब हुआ ? यदि अभी नहीं हुआ तो क्या तुरन्त एकाउन्ट के आडिट के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री आबिद अली—

कथित योजना का आडिट महालेखाकार द्वारा सामान्य रूप से अप्रैल, १९६६ में किया गया। उसके बाद उनके द्वारा सितम्बर, १९६६ तथा फरवरी, १९६९ में स्पेशल आडिट किया गया।

विभागीय लेखा निरीक्षकों द्वारा भी समय-समय आडिट किया गया। गत आडिट उन्होंने फरवरी, १९७० में किया।

श्री रियासत हुसैन—

अप्रैल, ६६, सितम्बर, ६६ तथा फरवरी, ६९ में स्पेशल आडिट रिपोर्ट के अनुसार कितना मुनाफा हुआ और कितना इसमें घाटा हुआ ?

श्री बेनी सिंह—

नफा-नुक्सान तो बैलेन्सशीट में दिया जाता है, आडिट रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं होता है।

श्री रियासत हुसैन—

इस स्कीम में घाटा हुआ है या मुनाफा हुआ है इतना ही बताने की कृपा करें मंत्री जी ?

श्री बेनीसिंह—

आडिट रिपोर्ट से उसका सम्बन्ध कहां आता है। बैलेन्सशीट में वह रहता है, उसके लिये अलग प्रश्न करें माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

आडिट रिपोर्ट में यह जिक्र तो आया ही होगा कि वह स्कीम घाटे में चल रही है या मुनाफे में चल रही है ?

श्री बेनीसिंह—

आडिट रिपोर्ट में तो अक्सर यह चीजें आती हैं कि कहां क्या-क्या खामियां हैं, घाटे-मनाफे की बात उसमें नहीं आती है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनरल रिमार्क जो आडिट रिपोर्ट का होता है, उसमें यह लिखा रहता है ? यदि उनके पास रिपोर्ट हो तो वह स्वयं देख लें, यह अवश्य दिया होगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रियासत हुसैन---

क्या मंत्री जी उस आडिट रिपोर्ट के आधार पर यह बात सही मानते हैं कि इस स्कीम के बारे में जनरल रिमार्क है कि यह घाटे की स्कीम है, इससे कोई फायदा नहीं है, इसलिये इसको बन्द कर दिया जाये ? क्या ऐसी सूचना डिस्ट्रिक्ट लेवेल की अथारिटी द्वारा उनके पास आई है ?

श्री बेनीसिंह---

इस प्रकार की तो सूचना नहीं है। सुझाव जो आप दे रहे हैं उस पर विचार किया जायगा।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस आडिट रिपोर्ट में क्या आडिट आब्जेक्शंस हैं ?

श्री बेनीसिंह---

आडिट रिपोर्ट बहुत बड़ी है। उसमें कुछ आब्जेक्शंस हैं, उनकी पूर्ति उन्होंने कर दी है और १९६९ में विशेष आडिट के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गई हैं---योजना के अन्तर्गत निरर्थक व्यय हुआ, भवन निर्माणों में विलम्ब हुआ, कुछ मशीनें बेकार पड़ी हैं, वगैरह।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस रिपोर्ट का उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, वह योजना घाटे में चल रही है या मुनाफे में ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामकरन (गोरखपुर)---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जब रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा हुआ है कि वहां पर निरर्थक व्यय हुआ है, तो क्या इसे देखते हुये यह मानकर कि घाटा है, उस स्कीम को बन्द करने की बात करेंगे ?

श्री बेनीसिंह---

उसका जवाब तो मैंने दे दिया है। जब आप लोगों ने कहा था तो मैंने कह दिया था कि देख लेंगे और मुनासिब बात की जायेगी।

श्री हिम्मतसिंह---

जो विभाग द्वारा जांच कराई गई थी, उस जांच की क्या रिपोर्ट है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

एक सवाल पर कितने सप्लीमेंटरी होंगे, किसी को आप २५-२५ सवाल पूछने देते हैं। मुझे समय मिलता नहीं और सबको मिलता है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन आप चलाते हैं या यह जो इस तरह से आप से पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस समय ऐसे सवाल न उठाइये। सदन का काम चलने दीजिये।

आजमगढ़ डिपो (वाराणसी रीजन) में सहायक बुकिंग क्लर्कों व बुकिंग क्लर्कों के वेतनमानों में असमानता

*४—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को पता है कि प्रदेश के अन्य रीजनों के मुकाबले वाराणसी रीजन के आजमगढ़ डिपो में सहायक बुकिंग क्लर्कों व बुकिंग क्लर्कों के वेतन मानों में भारी असमानता है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री श्यामलाल—

जब प्रश्न सरकार को ३-४-७० को भेजा गया, तो अब तक इतना समय बीत जाने पर भी प्रश्न का उत्तर न मिलने का क्या कारण है, जबकि परिवहन का मुख्य कार्यालय लखनऊ में ही स्थित है?

श्री रामजीलाल सहायक—

कई रीजन्स इसमें हैं। सूचना मंगानी पड़ी है, कहीं से आई और कहीं से नहीं आई। नहीं आई तो फिर लिखना पड़ा। कहीं से आई लेकिन गलत आई, उसमें भी फिर मंगाना पड़ा। इस प्रकार से विलम्ब हुआ है।

झांसी जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध कथित जांच

*५—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या झांसी जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार आदि की जांच प्रान्तीय खुफिया पुलिस द्वारा दिनांक १५ मार्च १९७० तक जारी रही? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि जांच रोक दिये जाने के आदेश दिये गये हैं तो इसके कारण क्या थे?

पंचायती राज मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारी सम्बन्धित सम्मिलित ज्येष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति

*६—श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत राज निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारियों की कोई सम्मिलित ज्येष्ठता सूची बनाई गई ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त सूची के अनुसार सहायक विकास अधिकारियों की पदोन्नति की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। पंचायत निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत सह समाज शिक्षा) की सम्मिलित ज्येष्ठता की सूची का आलेख्य जून, १९६८ में तैयार किया गया था। अभी इस सूची के अनुसार सहायक विकास अधिकारियों की पदोन्नति नहीं की जा रही है क्यों कि उक्त सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २ साल हो गये ज्येष्ठता सूची को बने हुए क्या कारण है कि अन्तिम रूप नहीं दिया गया और क्या भविष्य में, मंत्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे, जब ज्यष्ठता सूची बन जायगी तो पदोन्नति उस के अनुसार देने की कृपा की जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कुछ आधारों पर, ज्येष्ठता सूची कैसे बनेगी, ऐसा बताया गया है और लोगों की आपत्तियां मांगी गयी हैं, कुछ आ चुकी हैं, कुछ का निपटारा हो गया है और कुछ का निपटारा बाकी है। उसके बाद जब सूची अन्तिम हो जायगी तो उसके आधार पर पदोन्नति का कार्य आरम्भ होगा।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

क्या पंचायत राज मंत्री यह भी आश्वासन देंगे कि जिन लोगों की गलत तरीके से पदोन्नति दी गयी है उनको पदोन्नति से हटा कर सही तरीके से पदोन्नति देने की कृपा की जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

ऐसी कोई सूचना आज भी देंगे तो विचार कर लेंगे, सूची चाहे जब बनती रहे।

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सीनियारिटी लिस्ट है जिसके आधार पर पदोन्नति होनी चाहिये, इसके मार्ग में कम्युनिटी डेवलपमेंट या जिला डेवलपमेंट डिपार्टमेन्ट उसके द्वारा कोई बाधा तो नहीं पड़ गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सूचना तैयार होगी, उसमें जितनी भी समस्याएं होंगी उन सभी पर निर्णय हो जायगा।

प्रदेश की गन्ना मिलों में रिसीवरों की नियुक्ति एवं मिलों द्वारा बकाये की अदायगी

*७—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ जनवरी, १९७० के बाद कौन-कौन से गन्ना मिलों पर प्रादेशिक सरकार की तरफ से रिसीवर नियुक्त किय गये और कौन-कौन लोग नियुक्त हुए उनकी नियुक्ति के बाद कितना-कितना रुपया फैक्ट्री ने किसानों का और सरकार का अदा किया ?

श्री राजमंगल पांडेय—

दिनांक १-१-७० के बाद प्रादेशिक सरकार की तरफ से चीनी मिलों में कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किए गए। कथित रिसीवर यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९५०, के अन्तर्गत संबंधित जिलाधीशों द्वारा नियुक्त किए गए। संबंधित चीनी मिलों व उनमें नियुक्त किए गए रिसीवरों के नाम की सूची संलग्न तालिका 'क' में दी हुई है।

रिसीवरों की नियुक्ति के बाद ३०-४-७० तक संबंधित मिलों ने बकाये का जो रुपया किसानों का व सरकार का अदा किया उसका विवरण संलग्न तालिका 'ख' के स्तम्भ ७ में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०८-१०९ पर)

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पिछले साल ५८ लाख रुपया वसूल हुआ है उसकी कुल बकाया कितनी थी जिसमें ५८ लाख वसूल हुआ है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह, श्रीमन् अलग-अलग फैक्टरियों का अलग-अलग है, यह सब सूची में दिया हुआ है, सब को अलग-अलग जोड़ करके एक जगह करना पड़ेगा।

श्री रियासत हुसैन—

टोटल मंत्री जी के पास होगा, कुल कितनी बकाया थी जिसमें ५८ लाख रुपया वसूल कर लिया है, जब रिसीवर मुकर्रर हुए थे तो पिछले साल का कुल कितना बकाया था जिसमें ५८ लाख रुपया वसूल कर लिया, यह मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

योग इसमें दिया है तो दे दें।

श्री राजमंगल पांडेय—

अलग अलग दिया हुआ है। वह देखेंगे, इकबालपुर फैक्टरी का ७६.५६ लाख है, क्रय-कर ३ लाख ६० हजार है। पेमेंट किया ७८ लाख ४ हजार, बकाया है ८ लाख १९ हजार। इसी तरह से सहारनपुर की फैक्टरी का है। इसके जिम्मे था ६१.२९ लाख, क्रय

कर ४ लाख ९ हजार, पेमेंट किया ५७ लाख ६३ हजार, बाकी है १५ लाख ८ हजार। इसी तरह से देवबन्द फैक्टरी का है। जोड़ना पड़ेगा, कई मिलों का बकाया है। माननीय सदस्य खुद जोड़ सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ३०-४-७० की स्थिति बकाये की कितनी थी मिलों पर जिनमें कि रिसीवर्स मुकर्रर किये गये हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

पूरी मिलीजुली स्थिति तो नहीं बतला सकता क्योंकि सवाल अलग-अलग मिलों के लिये था इसलिय ३०-४-७० तक जो अलग-अलग भुगतान हुआ है वह इस प्रकार है--

इकबालपुर ८ लाख १९ हजार रुपया, सहारनपुर १५ लाख ८ हजार रुपया, देवबन्द १७ लाख ८९ हजार मंजूरपुर १४ लाख ८१ हजार, जसवंत ४० लाख १० हजार, पन्नीजी १८ लाख, धामपुर १० लाख ५९ हजार, बरेली २७ लाख ७५ हजार, मसोथा ५५ लाख १५ हजार, सिसवा बाजार ४ लाख ४३ हजार, इत्यादि, इत्यादि।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि देवबन्द का कितना प्रतिशत बकाया रह गया है और क्या कुछ फैक्टरीज पर बकाये की धनराशि बढ़ भी गयी है।

श्री राजमंगल पांडेय--

जितनी हमने गन्ने की कीमत अदा की है उसकी मेरे एस्टीमेट से ११, १२ प्रतिशत बकाया धनराशि है या इससे कम होगी ज्यादा नहीं।

श्री रियासत हुसैन--

१५, १६ रिसीवर ऐसे हैं जिनके ट्रान्सफर ५, ६ दिन के बाद ही हो गये तो क्या सरकार बतलायेगी कि ये ट्रान्सफर्स कलेक्टरों ने किये या स्टेट गवर्नमेंट ने ?

श्री राजमंगल पांडेय--

एप्वाइन्टमेंट आफ रिसीवर्स की पालिसी सरकार ने तय की और कलेक्टर को अख्तियार दे दिया किसी को भी रखने का। उन्होंने कुछ को रखा लेकिन फिर कहा कि उनके पास अफसरान की कमी है लेकिन सरकार कुछ करे। जब उनकी मांग आई तो हमने कुछ अफसरान आई० ए० एस० तथा कुछ गन्ना विभाग के अफसर भेजे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

पारसाल बकाया २, ३ प्रतिशत थी लेकिन अब ११ प्रतिशत हो गयी है इसका क्या कारण है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

शुगर की पोजीशन सर्वविदित है। इकोनामिक का सिद्धान्त है सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो मार्केट में स्लम्स हो जाता है। इस साल हमने चीनी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पेरी जिससे यह बकाया की धनराशि बढ़ गयी। पारसाल कोई भी फैक्टरी अब तक नहीं चली थी और इस साल जुलाई तक फैक्टरीज चलाने का हम विचार कर रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं इनको लिखकर आपके पास भेज दूंगा आप इसे नियम ४९ के अन्तर्गत सदन में विचार के लिये रख दें।

श्री अध्यक्ष—

यदि आपने यह सवाल पहले पूछा होता तो आपको उसका टोटल मिल गया होता। आपने अलग-अलग पूछा था तो आपको जबाव भी अलग-अलग ही मिल गया। अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

*८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[८वें मंगलवार के ता० प्र० १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९—श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

[८वें मंगलवार के ता० प्र० १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०—श्री रामचन्द्र विकल—

[८वें मंगलवार के ता० प्र० १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद मंडल विकास सम्मेलन के प्रस्तावों का कार्यान्वयन

*११—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४ या ५ अप्रैल, १९७० को फैजाबाद मंडल विकास सम्मेलन हुआ था? सम्मेलन ने यह निश्चय किया है कि यदि राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार ने ६ महीने के अन्दर औद्योगिक शक्षिक संस्कृति एवं हरिजन विकास तथा कृषि क्षेत्र के विकास में फैजाबाद मंडल के साथ भेदभाव की नीति की समाप्ति की शुरुआत नहीं करती तो जन आन्दोलन छेड़ दिया जायगा?

श्री चरणसिंह—

मुख्य मंत्री एवं श्री राज्यपाल को मंडल विकास संघर्ष समिति, फैजाबाद द्वारा दिये गये ज्ञापन से प्राप्त सूचना के अनुसार फैजाबाद मंडल विकास सम्मेलन ४, ५ अप्रैल, १९७० को फैजाबाद में हुआ था जिसमें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों पर दबाव डालने तथा मांगों को ६ मास के भीतर कार्यान्वित न करने की दशा में शान्तिमय ढंग से संघर्ष के अन्य मार्गों को अपनाने का भी एक प्रस्ताव पास किया गया।

नोटः—तारांकित प्रश्न ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१२—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४ या ५ अप्रैल, १९७० के उपरोक्त सम्मेलन में कौन-कौन मुख्य प्रस्ताव पारित हुये और फैजाबाद मंडल में पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो योजना की पूरी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, साथ ही लाखों एकड़ भूमि सीलिंग तथा ग्राम समाज की है जिन पर भूतपूर्व जमींदार तथा उनके सहयोगी कब्जा किये हैं उनके कब्जा हटाने में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? उक्त भूमि की वितरण व्यवस्था सरकार कब तक करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह—

सम्मेलन में पारित मुख्य प्रस्तावों की †सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है। फैजाबाद मंडल के लिये अलग से राज्य सरकार द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई है परन्तु फैजाबाद मंडल (बाराबंकी को छोड़कर) राज्य के उन १५ पूर्वी जिलों में शामिल है जिनको राज्य द्वारा पिछड़ा हुआ माना गया है और जिनके विकास के लिये सरकार अपने सीमित साधनों के अन्दर भरसक प्रयत्नशील है। १५ पूर्वी जिलों के विकास के लिये राज्य के ६१३ करोड़ के अनुमानित विभाज्य परिव्यय में से २२० करोड़ रु० चौथी योजना काल में व्यय होने का अनुमान है। बाराबंकी को भी राज्य के अन्य जिलों के साथ लाभ पहुंचेगा।

फैजाबाद मंडल के लिये चौथी योजना में जो विकास कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं वह संक्षेप में† परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं।

गांव सभा की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने तथा उसके आवंटन के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को आवश्यक निदेश पहले ही भेजे जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में परिषद् द्वारा भी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे ३० जून, १९७० तक समस्त गांव सभाओं की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के पश्चात् भूमि को नियमानुसार वितरित करा दें। सीलिंग ऐक्ट में संशोधन हो जाने से सीलिंग की अतिरिक्त भूमि का स्थायी बन्दोबस्त गांव सभा में निहित भूमि की भांति ही गांव में रहने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के साथ करने का प्राविधान हो गया है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवरिया हेतु सामान की खरीद व अनियमिततायें

*१३—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), देवरिया में मार्च, १९७० में कितने रुपये का सामान छात्रों की पढ़ाई के लिये खरीदा गया व उससे पूर्व के ११ महीनों में कितने-कितने का सामान खरीदा गया ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मार्च, १९७० में १६,४७३.८७ रु० का और उस के पूर्व ११ महीनों में ३५,२३४.७१ रु० का सामान छात्रों की पढ़ाई के लिये क्रय किया गया था।

*१४—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवरिया के स्टोर स्टाक रजिस्टर में मार्च, १९७० में ऐसे सामानों की भी एन्ट्री है जिसकी बिल्टी उस दिन रेलवे से नहीं छुड़ाई गई है जिस दिन एन्ट्री की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री राजमंगल पांडेय—

जी हां। ऐसा प्रधानाचार्य की गलती से हुआ जिस के लिये उन्हें चेतावनी दी जा रही है।

*१५—श्री रामचन्द्र विकल—

[८वें मंगलवार के प्र० सं० १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सरकारी बकाया न देने वाली चीनी मिलों पर कब्जा तथा चीनी मिल जांच समिति की संस्तुतियों पर विचार

*१६—श्री हिम्मत सिंह—

क्य मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी बकाया न अदा करने के कारण कितनी चीनी मिलों को वित्तीय वर्ष १९६९–७० में अपने कब्जे में लिया तथा कितनों को बाद में रिलीज कर दिया गया तथा क्यों ?

श्री राजमंगल पांडेय—

सरकारी बकाया न अदा करने के कारण वित्तीय वर्ष १९६९–७० में २० चीनी मिलों में रिसीवर नियुक्त किए गए। इनमें से ७ चीनी मिलों को बकाया की रकम अदा कर देने के कारण रिलीज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार ६ मिलों के रिसीवरों को कार्य करने से रोक दिया गया है। इन सभी मिलों की सूची संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १ पर)

*१७—श्री हिम्मत सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों की जांच के लिये गठित कमेटी की रिपोर्ट शासन को कब मिली तथा उसकी मुख्य–मुख्य संस्तुति क्या हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

समिति की रिपोर्ट शासन को १ जून, १९७० को प्राप्त हुई। उसकी संस्तुतियों पर विचार किया जा रहा है।

*१८—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[८ वें मंगलवार के ता० प्र० १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नियोजन विभाग के सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत एवं समाज शिक्षा) के स्थायीकरण की मांगें

*१९—श्री सूरजलाल गुप्त (गिला गोंडा), तथा श्री हिम्मत सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नियोजन विभाग के अन्तर्गत ऐसे कितने सहायक विकास अधिकारी, पंचायत हैं जो लगातार १० वर्षों में भी कार्य करते हुये अभी तक अस्थायी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

ऐसे सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) की संख्या ४५१ है।

*२०—श्री सूरजलाल गुप्त तथा श्री हिम्मत सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री ऐसे समस्त सहायक विकास अधिकारियों को स्थायी करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं, समस्त सहायक विकास अधिकारियों को स्थायी करना संभव नहीं है।

बहराइच जिले में इकौना—विशेश्वरगंज सड़क का निर्माण

*२१—श्री भगौती प्रसाद (जिला बहराइच)—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच इकौना कस्बा से विशेश्वरगंज की सड़क का विगत वर्षों में पी० डब्लू० डी० द्वारा निर्माण किया गया है ? निर्माण में कितना धन शेष रहा तथा वह धन किस मद में व्यय किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिला बहराइच में इकौना से विशेश्वरगंज जाने वाली सड़क अब तक जिला परिषद् की है। अतः पी० डब्लू० डी० द्वारा उसके निर्माण कराये जाने या उस पर कोई धन व्यय करने या कोई धन व्यय से शेष रहने के प्रश्न पैदा नहीं होते।

*२२-२३—श्री रामलाल राही—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

बांदा, फतेहपुर तथा झांसी की नगरपालिकाओं में साप्ताहिक बाजार बन्दी

*२४—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा, फतेहपुर तथा झांसी जिले के किन-किन नगरपालिकाओं में अभी साप्ताहिक बन्दी (बाजार की) नहीं होती है ? जहां बन्दी नहीं होती है उनमें से किन-किन स्थानों पर बन्दी की योजना सरकार के विचाराधीन है तथा कब तक बन्दी आदेश प्रसारित होंगे ?

श्री राजभंगल पाण्डेय—

केवल बांदा जिले की अतर्रा और फतेहपुर जिले की बिन्दकी नगरपालिका में अभी उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, जिसके अन्तर्गत साप्ताहिक बन्दी का प्राविधान है, लागू नहीं है। इन में से बिन्दकी में उक्त अधिनियम के आंशिक प्रसार का प्रस्ताव, जिसमें साप्ताहिक बन्दी भी है, शासन के विचाराधीन है और जैसा निर्णय होगा वैसे आदेश कालान्तर में प्रसारित किये जायेंगे।

*२५—श्री कल्पनाथ सिंह—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

*२६-२७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[१०वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न २२-२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों से दूना गन्ना लेने सम्बन्धी आदेश

*२८—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के उप गन्ना आयुक्त ने पत्र संख्या २००३, दिनांक ९ जनवरी, १९७० के द्वारा गन्ना सोसाइटी, फरेंदा, जिला गोरखपुर के अधिकारी को यह आदेश दिया था कि बाढ़ एरिया के गन्ना काश्तकारों को दुगुनी पर्ची दी जाय ?

श्री चरण सिंह—

उप गन्ना आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र, गोरखपुर ने प्रश्न में उल्लिखित अपने पत्र द्वारा जिला गन्ना अधिकारी, गोरखपुर को यह आदेश दिये थे कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों से गणेश शुगर मिल्स लि०, आनन्द नगर (जिला गोरखपुर) के गेट पर एक महीने तक सामान्यतः लिये जाने वाले गन्ने से दूना गन्ना ले लिया जाय जिससे इस क्षेत्र के लोगों को सहायता मिल सके।

*२९—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश का पालन नहीं किया गया जिससे गन्ना काश्तकारों का गन्ना सूख गया और उनको काफी परेशानी उठानी पड़ी ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं। उस क्षेत्र का पूरा उपलब्ध गन्ना माह मार्च, १९७० में ही उक्त मिल द्वारा ले लिया गया।

*३०—श्री जयराम यादव—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

*३१—श्री हरीसिंह विष्ट—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

*३२—श्री केशव चन्द्र सिंह—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

*३३—श्री नत्थाराम रावत तथा श्री कृष्णमगन सिंह—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

डेरापुर, झींझक और रसूलाबाद विकास खंडों में जिला परिषद् की सड़कें

*३४—चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या पंचायत मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर व झींझक और रसूलाबाद विकास खण्डों में जिला परिषद् की कौन-कौन सी सड़कें हैं और उनकी अलग-अलग लम्बाई क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिला कानपुर में डेरापुर व झींझक और रसूलाबाद विकास खण्डों में जिला परिषद् की सड़कें तथा उनकी लंबाई इस प्रकार है—

विकास खण्ड का नाम		सड़क का नाम	विकास खंड में लम्बाई
१—झींझक	..	(१) झींझक -नुनारी—खानपुर होते हुए गुलुबापुर।	६ मील
२—डेरापुर	..	(१) डेरापुर से दुर्गादासपुर ..	४ मील
		(२) झींझ ा नुनारी—खानपुर होते हुए गुलुबापुर	८ मील
३—रसूलाबाद	..	(१) उरिया कहिझरी ..	४ मील, ५ फर्लांग, ५२० फीट।
		(२) मकनपुर से सेमरामऊ ..	५ मील

*३५—३६—श्री शीतला प्रसाद सिंह तथा श्री दीप नरायण वन—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

*३७—श्री हरीसिंह विष्ट—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

खांडसारी निरीक्षकों की नियुक्तियां

*३८—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी), श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) तथा श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि वर्ष १९६४ व उसके पूर्व तथा २४ सितम्बर, १९६६ व ७ जुलाई, १९६७ की अवधि में की कई गन्ना विकास निरीक्षकों की नियुक्तियां लोग सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के बिना ही अप्रैल, १९६९ में शासन द्वारा अधिकृत मानी जा चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसी आधार पर उपर्युक्त अवधि की ही खन्डसारी निरीक्षकों की नियुक्तियां भी अधिकृत घोषित करेगी ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २४ सितम्बर, १९६६ को शासकीय आदेशानुसार गन्ना विकास निरीक्षकों का चुनाव लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से निकाल कर विभागाध्यक्षों को दे दिया गया था। लेकिन पुनः विचारोपरान्त इन पदों के चुनाव का अधिकार ७ जुलाई १९६७ को लोक सेवा आयोग को दे दिया गया। दिनांक २४ सितम्बर, १९६६ से ७ जुलाई, १९६७ के बीच जब

133956

क उक्त चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहा, गन्ना आयुक्त के द्वारा जो स्थायी नियुक्तियां की गईं या पहले से की गई स्थायी नियुक्तियों का अनुमोदन किया गया, उनको अधिकृत मानने के लिये आयोग को लिखा गया तथा आयोग ने इस प्रस्ताव को मान लिया ।

सितम्बर, १९६६ तथा जुलाई, १९६७ के बीच चीनी आयुक्त ने किसी खान्डसारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की, और न १९६४ या उससे पूर्व की गई नियुक्तियों का अनुमोदन इस अवधि में किया ।

*३९-४०—श्री जयनारायण सिंह—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

*४१—श्री तेजनारायण, श्री छेदालाल चौधरी, श्री माखन लाल तथा श्री सेवाराम—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

प्रदेश में उत्पादित गन्ने की मिलों को सप्लाई

*४२—श्री तेजनरायन त्रिवेदी (जिला खीरी), श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी), श्री माखन लाल (जिला खीरी) तथा श्री सेवा राम (जिला खीरी)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक ३ अप्रैल, १९७० तक प्रदेश के कुल उत्पादित गन्ने का कितने प्रतिशत गन्ना मिलों को सप्लाई हुआ और कितने प्रतिशत बाकी रह गया ?

श्री चरण सिंह—

केवल चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में उत्पादित गन्ना ही चीनी मिलों को पेरने के लिये उपलब्ध होता है । सीजन १९६९-७० में चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में लगभग ४७.४० करोड़ क्विन्टल गन्ना पैदा हुआ है और उसका लगभग २६ प्रतिशत गन्ना मिलों को ३ अप्रैल, १९७० तक सप्लाई हुआ है । लगभग ११ प्रतिशत गन्ना उक्त तिथि के बाद पेरे जाने का अनुमान है ।

*४३-४४—श्री श्यामलाल—

[१३वें बुधवार के लिये तारांकित प्रश्न २०-२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शक्कर मिल, तुलसीपुर (गोंडा) द्वारा गलत छूट प्राप्त करना

*४५—श्री सूरजलाल गुप्ता—

क्या यह सत्य है कि शकर मिल ,तुलसीपुर जनपद, गोंडा में सन् १९६९-७० के प्रारंभिक कई दिनों तक गन्ने की पेराई नहीं की गई है तथा सरकार को गलत सूचना देकर छूट प्राप्त कर ली गई है ? क्या सरकार उल्लिखित तथ्यों की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार तुलसीपुर चीनी मिल ने १९६९-७० सीजन में पेराई दिनांक १३ नवम्बर, १९६९ को शुरू की थी । मिल ने भी उक्त तिथि को पेराई आरंभ करने की सूचना दी थी । अतएव जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४६-४७—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

राम लक्ष्मण शुगर मिल, महीउद्दीनपुर के मजदूरों का बकाया वेतन के भुगतान

*४८—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, महीउद्दीनपुर के मजदूरों के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें किसी विधायक द्वारा २२ अक्तूबर, १९६९ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजमंगल पांडेय—

२२ अक्तूबर को नहीं बल्कि २८ अक्तूबर, १९६९ को प्राप्त हुआ था। श्रमिकों के बकाया के भुगतान क संबंध में हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली गन्ना उत्पादकों को मूल्य का भुगतान

*४९—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार को पता है कि एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली ने १ अप्रैल, सन् १९७० से वर्ष १९६९–७० का गन्ना उत्पादकों को जो भ जीपुरा गन्ना समिति के द्वारा अपना गन्ना सप्लाई करते हैं को मूल्य का भुगतान बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५०—श्री चेतराम गंगवार तथा श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

*५१—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

[८वें सोमवार के लये स्थगित]

सुमैया आरगैनिक्स, बाराबंकी की फैक्ट्री एरिया का क्षेत्रफल

*५२—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि सुमैया आरगैनिक्स, बाराबंकी की फैक्टरी एरिया का वास्तविक क्षेत्रफल क्या-क्या है तथा उस क्षेत्रफल को छोड़कर कितनी और आराजी उस फक्टरी के पास है ?

श्री बेनी सिंह—

सुमैया आरगैनिक्स लि०, बाराबंकी के पास कुल २४४.७८ एकड़ भूमि है। उपरोक्त भूमि में से ६० एकड़ फैक्टरी के लिये तथा १० एकड़ कर्मचारियों के निवास आदि के लिये अब तक उपयोग में आ चुकी है।

आतारांकित प्रश्न

तुलसीपुर सहकारी गन्ना विकास समिति पर गन्ना काश्तकारों का बकाया

१—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, गोंडा के तुलसीपुर गन्ना विकास विभाग पर गन्ना के काश्तकारों का वर्ष १९६४–६५ का कितना रुपया बाकी है तथा उसके अब तक

भुगतान न किये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार काश्तकारों के बकाये रुपयों का भुगतान शीघ्र करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—

जनपद, गोंडा के तुलसीपुर के सहकारी गन्ना विकास समिति (नाकि तुलसीपुर गन्ना विभाग जो इस प्रश्न में उल्लिखित है) पर गन्ना के काश्तकारों का वर्ष १९६४–६५ का १५ मई, १९७० तक रु० ३०,८७०.१६ गन्ना मूल्य का बाकी था। इस धनराशि का भुगतान अशोधित सूची (अनपेड लिस्ट) एवं स्थिति पत्रक (बैलेंस शीट) के आंकड़ों में अन्तर होने के कारण समिति द्वारा रोक दिया गया था। उक्त समिति के संचालक मण्डल की दिनांक २७ अप्रैल, १९७० को हुई बैठक में यह पारित किया गया कि उपरोक्त धनराशि से संबंधित पर्चियों का भुगतान हेतु अविलम्ब नोटिस निकाल दिया जाय तथा जो सदस्य सही पर्चियां लेकर आवें उनसे इकरार-नामा लिखा कर भुगतान दे दिया जाय। भुगतान यदि अनपेड लिस्ट में नाम हो, तभी किया जाय। इस संबंध में नोटिस प्रसारित कर दी गई है तथा उपरोक्त धनराशि के भुगतान किये जाने की व्यवस्था हर सोमवार को कर दी गई है।

तुलसीपुर गन्ना विकास सहकारी समिति द्वारा काश्तकारों से बांड की कटौती

२—श्री सूरजलाल गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर गन्ना कार्यालय द्वारा वर्ष १९६७–६८ तथा वर्ष १९६८–६९ में कितने ऐसे काश्तकारों से बांड की कटौती कर ली गई है जिन्होंने बांड के अनुसार गन्ने की सप्लाई मिल को कर दी थी ?

श्री चरण सिंह—

उपरोक्त समिति द्वारा वर्ष १९६७–६८ में अतिरिक्त सट्टा किसी सदस्य द्वारा न किये जाने के कारण कोई कटौती इस मद में नहीं की गई। वर्ष १९६८–६९ में किसी ऐसे काश्तकार से अतिरिक्त बांड की कटौती नहीं की गई, जिसने बांड के अनुसार गन्ने की सप्लाई मिल को कर दी थी।

३—श्री सूरजलाल गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर गन्ना विभाग द्वारा उन काश्तकारों के रुपयों की वापसी क्यों नहीं की गई जिन्होंने वर्ष १९६७–६८ तथा १९६८–६९ में बांड भरने के बाद विभाग को पूरा गन्ना सप्लाई कर दिया था ?

श्री चरण सिंह—

उक्त प्रश्न २ के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

४—श्री रघुनाथ सिंह—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

राजकीय रोडवेज कार्यालय, कानपुर में चतुर्थ श्रेणी के स्थानों की रिक्तियों की पूर्ति

५—श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय, कानपुर में अप्रैल सन् १९६६ से अप्रैल, १९७० तक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज, कानपुर द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कितनी रिक्तियां अधिसूचित हुयीं ? अलग-अलग सालों में कितने उम्मीदवार भेजे गये और कितनी रिक्तियों की पूर्ति हुई ?

श्री रामजीलाल सहायक—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १११ पर)

६—७—श्री जयनारायण सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक लिखित पत्र दिया है कि ११ मार्च को मुझे शिक्षा मंत्री द्वारा एक आश्वासन मिला था किन्तु आपके प्रश्न विभाग से मुझे एक पत्र मिला जिसमें यह लिखा था कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया था, मैंने इसे गलत बताते हुए आपसे शिकायत की तो आपने कहा कि आप लिखित भेज दें। मैंने लिखकर भी भेज दिया किन्तु उस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष—

अभी उसका उत्तर नहीं आया होगा।

प्रश्नों के उत्तर तथा वक्तव्यों की प्रतियां सभी सदस्यों को देने की मांग

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, मेरी दूसरी बात यह है कि प्रश्नों के उत्तर तथा वक्तव्यों की प्रतियां सभी माननीय सदस्यों को दी जाएं। यह बात मैंने पहले भी कही थी और उस पर आपने कहा था कि आप विचार करेंगे। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उसमें क्या व्यवस्था हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि परिषद् में तो यह चीज होती है किन्तु हमारे यहां ४५० उत्तर छपवाने पड़ेंगे और व्यय भी ज्यादा होगा। इसमें एक-दो रोज में निर्णय नहीं हो सकता। इस चीज को फाइनेंस में भी भेजना पड़ेगा। इस पर निर्णय इस सत्र के बाद किया जायेगा।

आयुर्वेदिक विद्यालयों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने सम्बन्धी विधेयक को शीघ्र लाने की मांग

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों के संबंध में एक विधेयक माननीय मंत्री जी लाने वाले थे। पहले उन्होंने २४ घंटे के बाद कहा। किन्तु अभी तक वह विधेयक नहीं लाया गया है। विधेयक तैयार हो गया है। विद्यार्थी हड़ताल करने वाले हैं अतः इससे पूर्व वह विधेयक आ जाय। इसकी मैं जानकारी चाहता हूं।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)—

श्रीमन्, अभी इस पर मंत्री परिषद् में विचार नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

ये यह पूछना चाहते हैं कि कब विचार होगा ?

श्री धर्मदत्त—

अब अगली बैठक में होगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, इस संबंध में मैंने भी चर्चा की थी । इस मामले को कितना टाला जा रहा है । मैंने पहले भी कहा था कि माननीय मंत्री जी भी इस मामले से वाकिफ हैं किन्तु इसे निरन्तर टाला जा रहा है । पिछली कैबिनेट में यह सवाल आया और उसने अगली कैबिनेट के लिये टाल दिया । तो जो यह छोटी-छोटी चीजें हैं इनका असंतोष तो शीघ्र ही दूर किया जा सकता है । इस मामले के संबंध में मंत्री जी यहां निश्चित ऐश्योरेंस भी दे चुके हैं कि परीक्षाओं के प्रारंभ होने से पहले वे इस मसले को तय कर लेंगे । मेरे सवाल पर सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया कि इसको कानपुर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलियेशन कर दिया गया है और यह बड़ा इफेक्टिव होगा । तो श्रीमन् मैं यह कहने के लिये विवश हूं कि जानबूझ कर यह कार्यवाही की जा रही है और जानबूझकर इन बच्चों को तंग किया जा रहा है । मान्यवर, यदि मंत्री जी चाहें, तो मैं इस संबंध में बिलकुल चर्चा न करूं । कृपा करके उनको आप सजा न दें । आप मुझे क्षमा करें । सरकार को इस बात का रोष है कि आपने इस प्रश्न पर अपने कक्ष में चर्चा क्यों कराई ? सरकार बड़ी चीज है लकिन उसको इस बात पर विचार करना चाहिये कि उन्होंने एक आश्वासन दिया है । एक नहीं ३-४-६-८ बार आश्वासन दिया गया है । इसलिये मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल किया जाय क्योंकि मानवीय कारणों से इसमें इतनी देर लगना अनुचित है, और वैसे तो अनुचित है ही ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह बहुत अनुचित है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर उनको उसमें कोई अपमान की बात होती तो मेरे कक्ष में मंत्री न आए होते ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

आपके कक्ष में मंत्री जी नहीं आए । उस अपमान को हम लोगों ने स्वीकार किया । उन्होंने केवल अपने स्टेट मंत्री को भेजा था ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी थे नहीं, इसलिये स्टेट मंत्री को ही बुलाया था ।

श्री धर्मदत्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत-सी बातों को वे एक साथ न मिलाएं । जहां तक विद्यार्थियों के परीक्षा का संबंध है, चिकित्सा परिषद् के द्वारा उनकी परीक्षा की व्यवस्था कराई जा सकती है, यदि छात्र लिखकर दें तो और एक मास का समय उसके लिये दिया जा सकता है । परीक्षा की व्यवस्था चिकित्सा परिषद् के द्वारा हुई थी, प्रश्न पत्र भी भेजे गये थे परीक्षार्थी उसमें नहीं बैठे, इसके लिये सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद् का कोई दोष नहीं है । जहां तक आश्वासन का सवाल है

[श्री धर्मदत्त]

इस सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि २४ घंटे में अथवा अमुक समय या अमुक तारीख तक यह हो जायगा। अगर इस संबंध में इससे पहली सरकार ने कोई आश्वासन दिया हो तो मैं नहीं जानता। सरकार का विचार विद्यार्थियों या अभिभावकों को किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाने का नहीं है। सरकार इस प्रश्न पर बड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। उस दिन कैबिनेट के सामने यह मसला था लेकिन उस दिन इतना समय उसके पास नहीं रहा कि वह इस विधेयक पर विचार कर सकती। शासन शीघ्र ही सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

हमारे माननीय मित्र को यह भी नहीं मालूम कि वह आश्वासन किस सरकार ने दिया था। उसको वे पिछली सरकार पर थोपना चाहते हैं। यह आश्वासन इसी सरकार के मंत्री ने दिया है, पिछली सरकार का नहीं है। आज मंत्री जी फिर से भारतीय चिकित्सा परिषद् की चर्चा कर रहे हैं और उस दिन उन्होंने निश्चित रूप से यह आश्वासन दिया था कि परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व निश्चित रूप से इसको कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया जायगा। पूर्व सरकार ने यह आश्वासन दिया था, इसको सोचकर वे इस कार्य को करना नहीं चाहते, यह बड़ी लज्जा की बात है। उनके बराबर जो स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने ही यह आश्वासन दिया था, लेकिन उस आश्वासन को एक न एक बहाने से बराबर टाला जा रहा है। यहां लोगों को इतनी भारी परेशानी हो रही है और कैबीनेट को उस पर विचार करने के लिये समय ही नहीं है। विद्यार्थी न जाने किस समय क्या कर बैठें इसलिये कृपा करके मंत्री जी को आप यह कहें कि उन्होंने जो आश्वासन सदन को दिया था, इसको पूरा कर दें। अगर यह आश्वासन पिछली सरकार का होता, तब तो हम यह सोच कर संतोष कर लेते कि ठीक है यह सरकार अपनी पालिसीज के अनुसार कार्य कर रही है। लेकिन यह आश्वासन तो इसी सरकार का दिया हुआ है। इसको इस प्रकार से हवा में फेंक देना उचित नहीं है। इसलिये आप मंत्री जी से इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करने को कहें।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, आपके सचिव महोदय से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है अपने इसी संबंध में नियम ५२ के प्रस्ताव के सिलसिले में। उन्होंने लिखा है कि सरकार इस संबंध में एक बिल लाने पर शीघ्र विचार कर रही है, इसलिये नियम ५२ का स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन मंत्री जी ने कहा कि हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, इससे बहुत भ्रम पैदा हो गया है। इसलिये मेरे सवाल को आप नियम ५२ में स्वीकार कर लें। इस प्रकार से मंत्री महोदय टालमटोल कर रहे हैं। हम नियम ५२ प्रेस करते हैं।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि एक प्रकार का आन्दोलन यह चल रहा है जिसमें इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि पांच आयुर्वेदिक कालेज बन्द हो जायेंगे अगर कानपुर विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक कालेज संबद्ध हो जायगा और इसमें कुछ मंत्री लोगों का हाथ है। मुझे स्पष्ट सूचना मिली है और जो सज्जन दस्तखत कराने गये थे उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया माननीय मंत्री जी की भी राय है। मैंने दस्तखत नहीं किये। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार टालमटोल इस कारण कर रही है कि ५ आयुर्वेदिक कालेज बन्द हो जायेंगे उसके लिये वैद्यजी तैयार नहीं हो रहे हैं? कृपया मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री धर्मदत्त—

श्रीमन्, यह असत्य है कि किसी मंत्री का इसमें हाथ है। हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। और मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो इतना महत्व इसको दे रहे हैं, हम भी जानते हैं कि महत्वपूर्ण विषय है और इस पर शीघ्र कोई बात होनी चाहिये। लेकिन इस वर्ष विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जाने के बाद भी परीक्षाएं किस प्रकार हो सकेंगी जरा इस पर तो विचार कीजिए कि कितना समय उसको कार्यान्वित करने में लगेगा। इसलिये यह कहना कि भारतीय चिकित्सा परिषद् की बात को फिर से सामने लाते हैं उचित नहीं है। इसमें एक वर्ष का समय लगेगा। अगले वर्ष ही से कोई सम्बद्धता की बात हो सकती है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, आपकी अध्यक्षता में ही हम लोगों को बुलाया गया था। आचार्य जी थे, धर्मदत्त जी थे और वहां एल० आर० को भी बुलाया गया और यह बात तय हुई थी कि सोमवार तक यह संशोधन विधेयक आ जायेगा। आज मंत्री जी दूसरी बात करने लगे। यह सारी घटना आपके सामने की है। आपको पूरी जानकारी है और उसी आधार पर आपने नियम ५२ के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। उसे मंजूर करें और आज इस पर वाद विवाद करायें।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, आपके सचिव की तरफ से हमें यह पत्र मिला है—

"प्रदेश के समस्त आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों में चलने वाली हड़ताल के संबंध में आपकी नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना के संदर्भ में मुझे यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि शासन द्वारा इस विषय में कार्यवाही की जा रही है और यह सूचित किया गया है कि इस संबंध में एक विधेयक शीघ्र आने वाला है। अतः नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा इस से समाप्त हो गई है।" ५ तारीख तक विधेयक लाने के लिये मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा था। तो अब उसके बाद क्या हुआ यह बताने का कष्ट करें।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि यह आन्दोलन चल ही इसलिये रहा है कि उनकी मांग है कि वहां प्रयोगशालायें नहीं हैं जिसके कारण उनको इलाज का ज्ञान नहीं हो पाता है। दूसरी चीज यह है कि मेडिकल बोर्ड से जो इम्तहान होते हैं उनको प्रदेश से बाहर मान्यता नहीं मिलती है। इसके मुकाबिले जो किसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं उनको प्रदेश से बाहर भी मान्यता मिल जाती है। यह दो मुख्य कारण थे जिसकी वजह से आन्दोलन चला और जब यह प्रश्न आया तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा था कि इसी चालू सत्र के चलते-चलते ये कालेज सम्बद्ध कर दिये जायेंगे किसी न किसी विश्वविद्यालय से और खास करके कानपुर विश्वविद्यालय से। फिर जब यह मामला उठाया गया तो आपने अपने कक्ष में सभी को बुलाया। उसमें माननीय मंत्री जी भी आये और उसमें इस हद तक उजलत दिखायी गयी कि विधि सचिव २४ घन्टे के अन्दर कानून तैयार कर देंगे संशोधन का और वह इस महीने में आ जायेगा। और जब पिछले हफ्ता यह सवाल उठा तो आपने यह आश्वासन दिया कि जो सोमवार से, यानी आज से सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें यह कानून आ जायेगा। पिछली दफा मंत्री जी से यह पूछा गया था कि यह बिल कब तक तैयार हो जायेगा, इसकी कोई निश्चित तारीख स्पष्ट करें,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो अब जो बच्चों को मजबूर कर रहे हैं, उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि एक दफा जो आश्वासन दिया गया है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आखिर यह सिलसिला कब तक रहेगा। इस सम्बन्ध में कोई पूरी स्पष्ट बात कहनी चाहिये। हम लोगों को जानकारी मिली है, जैसा कि माननीय रामकरन सिंह जी ने इशारा किया, [* * *] लेकिन यू० जी० सी० ने इस सम्बन्ध में साफ तौर पर कहा है . . .

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

श्रीमन्, इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य जो इस तरह से इनसिनुएशन कर रहे हैं और गलत तरीके से एक माननीय मंत्री पर आक्षेप कर रहे हैं यह बहुत अनुचित है। इस तरह से उनको इनसिनुएशन नहीं करना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब आप लोग ऐसी चीजें इनसिनुएशन के लिये खुद ही फराहम करते रहेंगे तो बराबर इनसिनुएशन होगा।

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह बिलकुल गलत है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि ये आयुर्वेदिक कालेज कानपुर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किये जायेंगे ?

(व्यवधान)

मैं बैठ नहीं रहा हूं।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायन्ट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य का ध्यान जब इस तरफ दिलाया गया कि आप माननीय मंत्री को इनसिनुएट कर रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि इनसिनुएशन के लिये उधर से ऐसी चीजें फराहम की जा रही हैं, तो इस बात को वे मानते हैं कि वे इनसिनुएशन कर रहे हैं, तो क्या आप उनको इजाजत देंगे कि वे इस तरह से किसी को इनसिनुएट करें और किसी की नीयत पर हमला करें ? अगर नहीं इजाजत देते हैं तो इसको रूल आउट कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप इनसिनुएशन न करें, आप व्यवस्था का प्रश्न बतला दें कि किस तरह से व्यवस्था का प्रश्न उठता है। (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, आपके कक्ष में मंत्री जी के जरिये आयुर्वेदिक कालेजों को कानपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने का आश्वासन दिया गया था और साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया था कि

[* * *] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

एक हफ्ते के अन्दर यह कानून पेश हो जायगा। तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आश्वासन देने के बावजूद वह कानून क्यों नहीं सदन के सामने लाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, पहले मैं उसका उत्तर दे दूं। मेरे कक्ष में जो कुछ हुआ वह यह हुआ कि बिल तैयार हो जायगा और अगर एल० आर० के नोटिस में आ जाय तो वे २४ घंटे के अन्दर ही बिल तैयार करके दे देंगे। बिल तैयार हो गया और माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह एक हफ्ते में यानी ५ तारीख को पेश हो जायगा कैबिनेट के सामने। और जहां तक मुझे सूचना मिली है वह शायद कैबिनेट के सामने पेश भी हुआ। कैबिनेट के सामने बहुत से महत्व के प्रश्न रहते हैं। तो मुझे जानकारी मिली विद्यार्थियों से कि उन्होंने उसे पोस्टपोन कर दिया शायद १० तारीख के लिये। इस पर मैंने उनसे कहा कि १० तारीख कोई दूर नहीं है। लेकिन सरकार ने क्या निश्चय किया है कि वह १० तारीख को सदन के सामने आ जायेगा ? १० तारीख तो इसी हफ्ते में है। जब नोटिस आ जायेगा तब फिर इस पर विचार करना होगा। ५ तारीख को इस प्रश्न पर विचार हुआ और बतलाया गया कि जल्दी वह सदन के सामने आ जायेगा। तो इसका मतलब क्या है ? माननीय धर्मदत्त जी इसको जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने उस रोज ५ तारीख की बात कही थी तो वे बतला दें या माननीय मुख्य मंत्री जी बतला दें कि उसे १० तारीख के लिये पोस्टपोन किया गया या लम्बी अवधि के लिये ?

श्री चरण सिंह—

जो कुछ मैंने उस रोज कहा था कि हम इसमें जल्द विचार करने वाले हैं, ५ तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है तो मैंने बात सही कही थी। वह पेश हुआ, लेकिन क्या उस पर विचार हुआ और कैसे मुल्तवी हो गया, मैं नहीं समझता हूं कि मुझको आप मजबूर करेंगे कि मैं कैबिनेट की बात यहां बतलाऊं....

श्री अध्यक्ष—

आइन्दा के लिये बतलाइए।

श्री चरण सिंह—

५ तारीख को हमने विचार किया अब फिर आगे करेंगे। (व्यवधान) मुझे सारा मामला मालूम नहीं है, बीच में आप कैसे पड़े, किस तरह आपके सामने यह मीटिंग हुई और क्या-क्या वादे हुए और क्यों आपने अपने ऊपर यह मामला ले लिया कि आप इसको पूरा करायेंगे, मुझे यह सारा किस्सा मालूम नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुख्य मंत्री जी सदन का अवमान कर रहे हैं, यह मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। मंत्री जी से पूछना चाहिये कि आपके कक्ष में कैसे चला गया ?

श्री चरण सिंह—

मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या अवमान कर रहा हूं। मुझको नहीं मालूम है कि किस तरीके से आपके यहां ये बातें हुयीं और क्या आपने गवर्नमेंट की तरफ से अन्डरटेकिंग दी है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने साफ बता दिया जो मेरी सूचना थी।

श्री चरण सिंह--

यह तो मुझे नहीं मालूम आपने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ओढ़ ली है। ली या नहीं ? नहीं ली। तो क्वैश्चन के बाद कोई एजेंडे पर यह चीज नहीं है लेकिन उस पर पूरे व्याख्यान हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा सवाल के जरिये से यह पूछा जा सकता था कि जो गवर्नमेंट का विचार था वह कब पूरा होने वाला है, लेकिन उस पर पूरा समय--२५ मिनट लगा दिया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम उस पर विचार कर रहे हैं और हमारा कोई इरादा जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा, बच्चों को तकलीफ देने का नहीं है, लेकिन बाज मजबूरियां होती हैं जैसा कि वैद्य जी ने कहा था कि फर्ज कर लो विश्वविद्यालय से हम अफीलिएट कर दें तो भी इस साल तो इम्तहान विश्व विद्यालय के जरिये से हो नहीं सकेंगे, वह अगले साल होंगे। लिहाजा यह कहना कि हम गुमराह कर रहे हैं, हम लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं---बड़े-बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

आपने कक्ष में इस बात का निर्णय ले लिया कि १० तारीख तक यह सब मामला निबट जायगा वरना दफा ५२ के अन्तर्गत बहस का मौका देंगे। अब मंत्री जी कहते हैं कि यह विचाराधीन है....

श्री अध्यक्ष--

मुझ को अब भी मौका है, दफा ५२ में ले सकता हूं।

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

ले लें, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम कैबिनेट के डिसीजन को.... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

व्यवस्था का प्रश्न है। वह बगैर इजाजत कैसे बोल रहे हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

आप असरार अहमद साहब को रोकिये, वह बीच में क्यों बोलते हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार से अव्यवस्था होती है। कई मर्तबा यह चीज हो चुकी है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मैंने एक व्यवस्था उठाई थी। अगर किसी के बोलते वक्त बिला आपकी इजाजत के कोई बोलता है तो मुझको अख्तियार है कि मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाऊं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

हम लोगों को एतराज है। यह मसला ज्यों का त्यों है और मुख्य मंत्री जी को तो उपदेश देने की आदत है कि सख्त जबान में यह चीज कही गयी है। तो उनके उपदेश हम सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं। (व्यवधान) आप चिल्लाते रहिये, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात को।

(व्यवधान)

हम नहीं सुनना चाहते हैं आपके उपदेश को। आप कौन होते हैं ?

(व्यवधान)

आज भी वह मसला ज्यों का त्यों है और उसे बराबर उलझाया जा रहा है। अब शायद सरकार को इस चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ है। मान्यवर, आपने अपने कक्ष में इस मामले को लिया। आज नहीं तो कल आप इसे रियलाइज करेंगे। आपने देखा कि एक मिनट भी अनवार साहब नहीं बोले क्योंकि उनके खुद एश्योरेन्स हैं सदन के सामने.....

श्री अध्यक्ष—

आश्वासन समिति बनी है, उसमें आप कह दीजिएगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं आश्वासन समिति में नहीं जाऊंगा । श्रीमन्, आप इसको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कार्यवाही को देख लूंगा ।

श्री लक्ष्मीरामण आचार्य—

इसके प्रोटेस्ट में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम लोग सदन में १० मिनट तक नहीं आयेंगे ।

(कांग्रेस (संगठन) के सदस्य सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री राम करन (गोरखपुर)—

सरकार जानबूझ कर इस काम को कर रही है । इसलिये मैं कह रहा हूं । हमारे पास आयुर्वेदिक कालेज के एक अध्यापक आये भी और उन्होंने जिक्र किया कि माननीय धर्मदत्त वैद्य ने इस काम को किया । तो इसके खिलाफ मेरा चार्ज है और इसके प्रोटेस्ट में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पांच मिनट के लिये वाकआउट करती है ।

(प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री धर्मदत्त—

श्रीमन्, जायसवाल जी ने मेरे सम्बन्ध में कहा । मुझे खेद है कि वह इस समय नहीं हैं, उनकी जानकारी असत्य है । उन्होंने कहा कि जो डिग्री है भारतीय चिकित्सा परिषद् की है । उसकी मान्यता नहीं है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश का बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन सबसे पुराना है जो दूसरे प्रदेशों की डिग्री को मान्यता देता था और रजिस्ट्रेशन करता था । एक बात उन्होंने कही कि कालेजों में साधन नहीं हैं । इसमें भी मैं निवेदन करना चहता हूं कि परिषद् की फैकल्टी जब मान्यता देती है तो सारे साधनों को देख लेती है । श्रीमन्, बार-बार कहा जाता है कि मैंने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की बात कही । मैं माननीय मित्रों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में माननीय कृष्णानन्द राय ने विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कहा था मैंने नहीं कहा था । ऐसी गलत बात कहना दुख की बात है । मैं चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी बातों को रोका जाय ।

श्री प्यारे लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं विद्रोही संसोपा की ओर से और मेरे सहयोगी नगीना सिंह जी दोनों सरकार की टालू नीति और छात्रों के विषय में खिलवाड़ करने के विरोध में सदन से वाक आउट कर रहे हैं ।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७०*

परिवहन मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या५८३२–टी/तीस–ख–४८–पी–६८, दिनांक १७ मार्च, १९७० के अधीन प्रख्यापित यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७० को यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३८ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

*छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् लेखाकार परीक्षा (संशोधन) नियमावली, १९७०†

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत))—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज (२) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३१३४–बी/३३—१(२३)–६७, दिनांक २५ जून, १९६९ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद लेखाकार–परीक्षा (संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा नियमावली, १९७०†

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज (२) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३५१–बी/३३—९–आर–६२, दिनांक ३ अप्रैल, १९७० के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा नियमावली, १९७० को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७०†

बिक्री-कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०टी० २४१६/१०—९४२(६)–६८, दिनांक ५ मई, १९७० के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७० को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड के कार्यों का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन, १९६८–६९‡

उद्योग उप मंत्री (श्री आबिद अली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड के कार्यों का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९६८–६९ को कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९–ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६५–६६‡

उद्योग उप मंत्री (श्री आबिद अली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन १९६५–६६ को कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९–ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।
‡छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा २७ मई, १९७० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ६ जून, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७०

सचिव , विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न घोषणा करता हूं :—

(१) उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ४ मई, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १३ मई, १९७० की बैठक में पारित किया था , राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २८ मई, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ४ मई, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २१ मई, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था , राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १ जून, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का जो पांडेय जी ने दिया था उसकी सूचना उनको मिल गई ।

नसीम उद्दीन साहब ने जो कहा उसके बारे में मैंने आर्डर दे दिया है कि वह सब खारिज कर दिया जाय । वह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

यह बात माननीय अध्यक्ष महोदय सोचने की है कि ऐसी अप्रिय घटनायें सदन में कई बार हो चुकी हैं और कार्यवाही से केवल निकाल देना....

श्री अध्यक्ष---

जो मुझे उचित मालूम हुआ वह मैंने कर दिया। पहली बार उन्होंने गलती की है। और भी लोगों ने इस तरह की गलती की है। अगर वह फिर ऐसा करेंगे तो सीरियस बात होगी।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न वक्तव्यों द्वारा सदन को गुमराह करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी हैं क्या ? (इस अवसर पर माननीय सदस्य सदन में नहीं थे) २४ जुलाई, १९६९ को पृष्ठ संख्या ११५ पर नेता विरोधी दल की हैसियत से भाषण करते हुये श्री चरण सिंह ने यह मांग की थी कि पब्लिक इन्टरेस्ट का यह तकाजा है कि शुगर इण्डस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण किया जाय। इधर जब शासन में आये तो इनके सहयोगी श्री गेंदा सिंह जी ने राज्यपाल के भाषण पर यह कहा कि सरकार ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा करके क्रान्तिकारी कदम उठाया है।

मुख्य मंत्री ने कहा था कि राष्ट्रीयकरण नहीं करूंगा टेक ओवर करूंगा। मुख्य मंत्री की ओर से बोलते हुय किसी सदस्य ने कहा था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने वाले हैं। इस प्रकार से सदस्यों को गुमराह किया जा रहा है। इस प्रकार का आक्षेप सदन में आ चुका है।

यह मैंने बता दिया था कि आप इसको किस प्रकार से सदन का अवमान कहना चाहते हैं। सदन में जो कहा जाता है या कहा गया है उसक ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे उठ सकता है उसको आप बतायें। इसक ऊपर में फैसला दे चुका हूं कि यह प्रश्न विशेषाधिकर की अवहेलना का प्रश्न नहीं है। विरोधी दल क नेता के रूप में जो बात कही गई थी दूसरी तरफ सरकार में नेता सदन के रूप में आने पर वे अपनी बातों और नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

वह नेशनलाइजेशन आफ शुगर इन्डस्ट्री के बारे में है। यहां पर नेता विरोधी दल की हैसियत से श्री चरण सिंह ने कहा कि यह होना चाहिये फिर गवर्नमेन्ट में आने के बाद कहा कि हम टेक ओवर करना चाहते हैं---ये दो चीजें हैं। मैंने पहले अपना निर्णय देते हुये कहा था कि यह उनका अधिकार है। नेता विरोधी दल की हैसियत से उन्होंने कहा कि यह हो सकता है परन्तु नेता सदन होने के बाद अपने मत को परिवर्तित कर दिया। अब मैं जस्टीफिकेशन के लिए उनसे कुछ नहीं कहूंगा। इसमें कोई विशेषाधिकार की बात नहीं उठती है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आपका मतलब है कि एक ही कमान से वह कई तीर चला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

मत बदल सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

दल बदलू के साथ ही साथ वह मत बदलू भी हैं।

श्री अध्यक्ष--

सब बदल सकते हैं।

परगनाधीश, जलालाबाद, शाहजहांपुर, श्री गुरूशरण लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, शाहजहांपुर का विशेषाधिकार के सम्बन्ध में जो पत्र मुझको आज मिला है वह मैं पढ़ता हूं :--

"निवेदन यह है कि दिनांक ६-६-७० को मैं शाहजहांपुर गया और जिलाधीश एवम् परगानाधीश, तिलहर से मिलने के बाद परगनाधीश जलालाबाद श्री गुरु शरनलाल श्रीवास्तव के पास गया और चपरासी से सूचना भिजवाई। चपरासी ने लौट कर कहा कि १५ मिनट बाद मिल लें। मैं पन्द्रह मिनट बाद दुबारा गया तो मुझे बुला लिया और जब मैं उनके पास पहुंचा तो कोई कुर्सी खाली नहीं थी। लगभग ५ मिनट खड़े रहने पर कुर्सी आई और मैं बैठा। यह बराबर बैठे रहे और डिब्बे से पान निकाल कर खाते रहे। मुझे देखत ही इन्होंने कहा कि विधान सभा में बहुत हुल्लड़ करते हो, क्यों जनता का पैसा बर्बाद करते हो। इतना कह कर दूसरी तरफ मुखातिब हो गये और बराबर दूसरे लोगों से ही बात करते रहे। इस तरह मुझे लगभग एक घन्टा हो गया। जब मैंने अपनी बात कहनी चाही तो उन्होंने फिर कहा कि यदि आपको जल्दी है तो लिख कर दे दीजियेगा मैं एक घन्टा तक फ़्री नहीं हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र जलालाबाद की ६ न्याय पंचायत आती हैं और वह न्याय पंचायत ऐसी हैं जहां प्रति वर्ष बाढ़ें आती हैं। उनके विषय में मुझे इनसे आवश्यक बात करनी थी तथा कुछ पट्टे जो इन्होंने तस्दीक किये हैं उसके विषय में भी, क्योंकि जनता में आम शोहरत है कि इन्होंने पैसा लेकर पट्टे तसदीक किये हैं। मेरी बात श्री गुरशरनलाल श्रीवास्तव ने नहीं सुनी। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की बात बताने में असमर्थ रहा और आज कल केवल शनीवार, रविवार को ही क्षेत्र तथा शहर आ जा सकता हूं। अतः मैं श्री गुरशरन लाल श्रीवास्तव, परगनाधीश, जलालाबाद, शाहजहांपुर को नियम ६३ के अन्तर्गत विशेषाधिकार अवहेलना की नोटिस देता हूं और माननीय अध्यक्ष जी की अनुज्ञा चाहता हूं।"

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, इसमें एक बात महत्वपूर्ण है। वह एक घंटे तक मिले या नहीं मिले यह तो इस बात का द्योतक है कि वह किस प्रकार लोगों के प्रति व्यवहार करते हैं.....

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--

अभी कृपया बैठिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

यदि आवश्यक समझें तो इस में छोटे तौर पर हम लोगों को सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

केवल उनको ही सुनूंगा। सुरेन्द्र विक्रम जी आप बताइये।

श्री सुरन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, आजकल विधान सभा की बैठक होने के कारण केवल शनिवार और इतवार का दिन ही क्षेत्र की समस्याओं के लिये मिलता है। उन्होंने हुल्लड़बाजी और समय बरबाद करने की बात कही। श्रीमन्, अगर हम हुल्लड़बाजी करते हैं और आपकी अध्यक्षता में करते हैं तो आप भी उसमें शामिल हुये। सदन के लिये ऐसी बात कहना बहुत गम्भीर बात है। हम लोग डेढ़ लाख जनता से चुन कर आये हैं। किसी भी अधिकारी को विधान सभा के कार्यकलापों पर टीका करने का कोई अधिकार नहीं है। श्रीमन्, इसी तरीके का एक प्रश्न सन् ६६ में सूबेदार सिंह जी ने गोपाल सिंह, एस० पी० के खिलाफ उठाया था और उस समय मदनमोहन वर्मा जी अध्यक्ष थे उन्होंने उसे प्रिविलेज कमेटी को भेजा था। तो श्रीमन्, इस तरह की बातों को रोका जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अगर यह बात सही है कि यह कहा कि सदन में हुल्लड़बाजी होती है तो प्रागदर्शन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिये। इसलिये मैं विशेषाधिकार कमेटी के सिपुर्द करता हूं और वहां इस बात की जांच होगी कि उन्होंने यह कहा कि नहीं।

१९७०–७१ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान — अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिय आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि क अतिरिक्त ५,१०,०१,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४५,८८,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, यह कार्य इतना विस्तृत, इतना महान्, इतना पवित्र और कल्याणकारी है कि अगर इसे पूरी तरह से कर ले तो फिर कोई शिकायत ही न रह जाय क्योंकि समाज में बाल, वृद्ध बनिता सभी आ जाते हैं इसी बात को ध्यान में रखकर सन् ५५ में शासन न समाज कल्याण विभाग की स्थापना की थी और तब से बराबर शासन इस बात के प्रयत्न में है कि हमारे समाज से सारी कमियां दूर हों। हमारे समाज में दुर्बल को बलवान न सता सके। हमारे समाज में निर्धनों की धनवान सहायता करने लगें। सताये हुये और अत्याचार सहने वाला कोई हमारे दश में न रह सक। हमार समाज में अछूत और हरिजनों का जो बहुत बड़ा कलंक है उसको मिटान क लिये शासन ने हर प्रकार से देश में और प्रदेश में कार्य-कलाप किये हैं यानी संस्थायें

खोली हैं। तरह-तरह की गोष्ठियां करके, मीटिंग करके इस कलंक को दूर करने के लिये सतत प्रयत्न किया गया है। इसको समूल नष्ट करने के लिये अभी तक शासन ने क्या किया है ? मैं चाहती हूं कि जो कार्य इस सम्बन्ध में हो चुका है उसके विषय में थोड़ा-सा बतला दूं तो अनुचित न होगा। वह यह है कि चलचित्रों, पोस्टरों, सामाजिक सम्मेलनों तथा विचार गोष्ठियों के द्वारा इस कलंक को मिटाने के लिये बराबर प्रयत्न किया गया है ताकि लोगों की भावना बदल जाय और हमारे प्रदेश से यह अछूतपन दूर हो।

पिछड़े वर्ग के लोग राज्य की बड़ी-बड़ी सेवाओं में प्रवेश का अवसर पायें इसके लिये यह किया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चलने वाले प्री एग्जामिनेशन सेन्टर जो आई०ए०एस० तथा सम्बन्धित सेवाओं की परीक्षा के लिये प्रशिक्षण देता है उससे इस राज्य के मेधावी हरिजन छात्रों को बहुत लाभ हुआ है। प्रशिक्षण केन्द्र का परीक्षाफल बड़ा ही सन्तोष-जनक रहा है। इस संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त किये २३ छात्र अब तक आई०ए०एस० और आई०पी०एस० में सफल हो चुके हैं। इस प्रकार से आप यह अनुमान कर सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से प्रोत्साहन देती है। सरकार चाहती है कि उनको सरकारी सेवाओं में आने का पूरा अवसर प्राप्त हो।

दूसरा कार्य राज्य सरकार ने यह किया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व प्रशिक्षण देने के लिये पिछले साल फरवरी, ७० में ही एक और संस्था की स्थापना की है। इससे यह आशा है कि अनुसूचित जाति के योग्य छात्र राज्य स्तरीय सेवाओं में प्रवेश का विशेष अवसर पा सकेंगे। इससे यह लाभ होगा कि जो सामाजिक प्रथा के कारण जोकि एक तरह से अछुतपन या अलगाव अनुभव करते हैं वह परीक्षा में सबके साथ बैठने पर दूर होगा। अपने अन्दर जो वह एक कमजोरी अनुभव करते थे इससे वह अपने को समान स्तर पर समझने लगेंगे। इसी तरह से अनुसूचित जाति के उन छात्रों के लिये इस विभाग में पुलिस कांस्टेबिल की भर्ती के पूर्व प्रशिक्षण देने की योजना भी चालू की गई है। यह लोग पुलिस सेवाओं में कनिष्ठ पदों पर भरती होने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह राज्य सरकार हरिजनों के हर क्षेत्र में राजकीय सेवाओं में प्रवेश पाने के लिये विशेष प्रयत्न कर रही है।

इसी प्रकार से श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक संस्थाओं में हरिजनों के लिये भरती का प्रयत्न किया गया है। इनमें २० प्रतिशत सीटें हरिजनों के लिये सुरक्षित होती हैं और अधिक छात्रों को तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति हो इस के विचार से हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत तीन औद्योगिक संस्था तथा एक पोलिटेकनिक चलाये जा रहे हैं। इस वर्ष औद्योगिक केन्द्र, नैनीताल में एक नये उद्योग के प्रशिक्षण देने की योजना के लिये ५५ हजार रुपये का प्राविधान है। इन संस्थाओं में इस समय ७० प्रतिशत हरिजन छात्र शिक्षा पा रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सब एक अच्छे जीवन में आ सकेंगे और एक सुख का जीवन बिता सकेंगे।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर सरकार पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के लिये क्रमशः ७८,९४,००० रुपये तथा ३,२२,००,००० रुपया शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्र-वृत्ति देती है। कक्षा १ से ५ तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तक की सहायता शासकीय अनुदान के आधार पर स्थानीय निकायों द्वारा ही दी जाती है। कक्षा ६ तक छात्रों को और कक्षा १० तक छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था है। ३०–३५ प्रतिशत छात्र यह छात्रवृत्ति पाते हैं। इस प्रकार लाभान्वित छात्रों की संख्या ८६ हजार के लगभग है। दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के

[श्रीमती विद्यावती राठौर]

लगभग सभी छात्र छात्रवृत्ति पाते हैं और लाभान्वित छात्रों की संख्या भी लगभग ४६ हजार है। शैक्षिक सुविधाओं को अधिक प्रचुर बनाने के लिये राज्य सरकार ने अभी एक और महत्वपूर्ण पग उठाया है। दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की स्वीकृति में देर हो जाती थी। अब इस योजना का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है और सभी छात्र वृत्तियां जिला स्तर से ही स्वीकृत करने की योजना है। योजना के अन्तर्गत विद्यालय निरीक्षक इन छात्रवृत्तियों को स्वीकृत करेंगे और जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी अविलम्ब सुविधाजनक ढंग से भुगतान करते रहेंगे।

अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रावास की सुविधा देने की ओर भी विभाग का विशेष ध्यान गया है। प्रदेश में स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा ९२ छात्रावास चल रहे हैं, पिछले वर्ष नये ५ छात्रावास खोले गये हैं तथा बालिकाओं के छात्रावास के भवन निर्माण के लिये भी अनुदान दिया गया है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मैं निवेदन करूंगा कि आप जो बजट पर अपने विचार दे रही हैं अगर वर्तमान सरकार ने अपने काल में हरिजनों के उद्धार व समाज उत्थान के लिये कोई नई विशेष योजना लागू की है तो केवल यह बता दें और जो वह पढ़ रही हैं पुलिस कांस्टेबिलों के विषय में या और वजीफों के विषय में वह तो वह सब पुरानी बातें हैं। अगर कोई नई योजना वह हरिजनों और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये लाना चाहती हैं तो वह बता दें अन्यथा इस तरह से सदन का समय लेने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्रीमती विद्यावती राठौर—

यह तो पूर्व का है और इसके बाद में और भी बातें आपको बताऊंगी, जो बातें बजट भाषण में नहीं थीं वह मैं बता रही हूं, जो जरूरी चीजें हैं वह मैं बताये दे रही हूं ताकि बाद को आपको आसानी हो जाय। जैसे नेत्रहीनों के लिये सुविधायें हैं वे बजट भाषण में नहीं मिलेंगी। वैसे आप कहें तो बिना बताये ही मैं समाप्त कर दूं लेकिन यह चीजें सदन को मालूम होनी चाहिये तभी आप बता सकेंगे कि इस में क्या कमियां हैं और कैसे यह चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो नेत्रहीनों के लिये भी अच्छी सुविधायें दी गई हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की भी योजना है। बाल अधिनियम को प्रदेश के दो और जिलों बलिया और मिर्जापुर में लागू कर के एक पर्यवेक्षण-गृह स्थापित किया गया है। यह जरूरी चीजें थीं जो मैं बताना चाहती थी वर्ना मुझे इनके पढ़ने की जरूरत नहीं थी।

तो मैं कह रही थी कि ४९१ संस्थायें ऐसी हैं जो प्रदेश में काम कर रही हैं और ८४ राजकीय संस्थायें हैं जो हर तरह से अन्धे, बहरों, निर्बलों और कमजोर लोगों की सहायता करती हैं, उन में कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग शिक्षा पाते हैं, कितने लोग लाभ उठाते हैं यह सब बजट में नहीं मिलेगा, वह मैं बताना चाहती थी। आप न सुनना चाहें तो बात दूसरी है। यह मैं बता दूं कि यह जो ८४ राजकीय संस्थायें हैं वे कहां-कहां हैं, आगरे में ६ हैं और अल्मोड़ा में हैं, बरेली में हैं, सब जिलों में एक-दो खुली हैं और सब की संख्या कुल मिलाकर ८४ है। यह सब ४९१ संस्थायें हैं जो प्रदेश में खुली हुई हैं। इनसे छोटे, गरीब लोगों का लाभ हो रहा है। इनमें कुल भरती १८,२५७ की हुई है, यह इन राजकीय संस्थाओं की बात है, इनमें से १,६२२ स्वावलम्बी हो चुके हैं, इनको नौकरियां मिल गई हैं या अपने घर चले गये हैं। २०० लड़कियों को घर भेज दिया गया है। इतने काम गवर्नमेंन्ट ने किये हैं।

यह तो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट की नीति यह है कि देश का प्रत्येक अंग उन्नति करे और इसीलिये समाज कल्याण का निर्माण हुआ है। जो कमजोर, दुर्बल और सताये हुए व्यक्ति हैं उनको अधिकाधिक तादाद में सहायता मिल सके। इस सहायता की प्राप्ति के लिये भी

ये चीजें और नीति सर्वथा हर शासन की यह हुआ करती है कि वह अपने देश में रहने वाले हर समुदाय को, हर व्यक्ति को पूर्ण तरह से योग्य व शिक्षित बना सके। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से पानी खींचकर वर्षा करता है और वर्षा होने पर अगर किसान यथासमय जोते नहीं, बीज न डाले तो वह कभी अनाज नहीं पैदा कर सकता। उसी प्रकार शासन के द्वारा जो धन, जो शक्ति समाज को या देश को या सूबे को प्राप्त होती है उसका वह उचित समय पर उपयोग न कर सके तो वह कभी सफलीभूत नहीं हो सकता। आज आप जो कमियां शासन को बतलाया करते हैं उसका कारण यह है कि शासन तो अपना कार्य करता है लेकिन कार्यकर्ता वर्ग, प्रतिनिधि वर्ग, हम और आप सब उस कार्य को उचित समय पर उचित तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो सरकार की नीति चाहे कितनी भी अच्छी और उत्तम हो वह कारगर कैसे हो सकेगी, यह आपके सोचने की बात है। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करती हूं कि आप लोग जब अपने विचार इस बजट पर प्रकट कर देंगे उसके बाद जो कमियां, खराबियां आप बतलायेंगे उन सबको पूरा करने की चेष्टा की जायेगी और उनका जवाब दिया जायेगा।

(व्यवधान)

*श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३० के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदया ने विभाग की कुछ उन एक्टीविटीज की तरफ ध्यान आकर्षित किया है जो मुख्य रूप से इस विभाग द्वारा संचालित हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सबको विदित है कि यह विभाग इस समय एक प्रकार से दो शाखाओं में काम करता है। उसका एक हिस्सा तो हरिजन विभाग द्वारा संचालित योजनायें हैं और दूसरा हिस्सा समाज कल्याण द्वारा संचालित योजनायें हैं। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री ने जब यह अपना बजट प्रस्तुत किया तो बजट भाषण में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये थे। उसके सम्बन्ध में एक भ्रम जो आमतौर से हम लोगों के दिमाग में था वह यह था कि सरकार ने इस वर्ष इस विभाग के अन्तर्गत इस बजट में बढ़ोत्तरी की है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इन विभागों के अन्तर्गत कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। अगर कोई बढ़ोत्तरी इन योजनाओं के अन्तर्गत की है तो मान्यवर, वह केन्द्रीय सरकार ने की है और मैं उसके आंकड़े सदन के सन्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि कुछ आइटेम्स तो ऐसे हैं जिनके ऊपर व्यय कम होना चाहिये था लेकिन विभाग ने व्यय बढ़ाया और कुछ योजनायें ऐसी हैं जिन पर व्यय बढ़ना चाहिये था उनके ऊपर इस विभाग ने पैसे में कटौती की है। इसके सम्बन्ध में मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अधीक्षण के अन्तर्गत १९६९-७० में ४,२४,००० रुपये का बजट था। १९७०-७१ में जो बजट आया वह ४,९४,००० रुपये का है तो इस प्रकार ७० हजार की वृद्धि इस आइटम के अन्तर्गत है।

जिला संगठन के सम्बन्ध में मैं निवेदन करदूं कि वर्ष १९६९-७० में इसके अन्तर्गत १४,५५,००० रुपये का प्राविधान किया गया था। वर्ष १९७०-७१ में १८,३७,५०० रुपये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसिंह]

का किया गया है। इस प्रकार ३,८२,५०० रुपये की बढ़ोत्तरी इस जिला संगठन के अन्तर्गत की गयी है। इधर शिक्षा जो कि इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है, जिससे हरिजनों का वास्तविक फायदा हुआ है उस पर आप देखें कि वर्ष १९६९–७० में ४,२३,८८,१०० रुपये खर्च हुये। वर्ष १९७०–७१ में ४,००,९१,८०० रुपये रखे गये हैं—अर्थात् इस मद में २३,०३,७०० रुपये की कटौती कर दी गयी। यह विभाग कल्याणकारी योजनाओं के लिये है, केवल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने या कुछ संस्थाओं को कायम करने के लिये नहीं है। शिक्षा ही इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है। उसी से हरिजन जाति का अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। इसलिये इस बजट में कटौती करके हमारे साथ हकतलफी और अन्याय किया गया है।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस बजट को जो बढ़ाकर दिखाया है, इसमें बढ़ोत्तरी दिखाई है, वह केन्द्रीय सरकार से जो रकम हमको मिलती है उसमें बढ़ोत्तरी के कारण हुई है। इस सरकार ने कुछ नहीं बढ़ाया है। आप देखें कि प्लान्ड आइटम्स के अन्तर्गत गत वर्ष राज्य का अंशदान ५७,५३,००० रुपये था और इस वर्ष वह ६६,८०,००० रु० है और केन्द्रीय सरकार से जो इस वर्ष मिला है वह है १,८४,३१,७०० रुपये। इस तरह आप देखें तो पता चलेगा कि केन्द्र ने ही १,४३,०७,७०० रुपये एकदम बढ़ाये हैं। अब इसके लिये राज्य सरकार को उसका श्रेय नहीं मिल सकता। अतः यह कहना कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष बजट में आपने अधिक रकम रखी है, यह गलत है।

अब चौथी योजना को आप देखें। जो उसका प्रारूप प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार वह योजना १,०७८ करोड़ की है और इसमें से केवल २३ करोड़ रुपया हरिजन कल्याण के लिये रखा गया है, यह कितना हास्यास्पद है। इससे उनको क्या लाभ होगा? चौथी योजना में तो पिछली योजना के मुकाबले अधिक धन रखा जाना चाहिये था। इसके लिये समय-समय पर विभिन्न समितियां भी मांग करती रही हैं। उसके बावजूद भी आपने केवल २३ करोड़ ही चौथी योजना में रखा है। इस वर्ष का भी बजट ५७५.८६ करोड़ का है जिसमें से हरिजन कल्याण के लिये केवल ६,७९,६४,२०० रुपया रखा गया है। जो इनकी आबादी है उसको देखते हुए यह प्रति हरिजन करीब १ रुपये के पड़ता है। सन् ६१ की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी ७ करोड़ ३७ लाख है। इसमें अनुसूचित जाति के लोग १,५५,९९,८०० हैं। विमुक्त जाति के लोग १८,००,००० हैं। अनुसूचित आदिम जाति के लोग १,७४,००० हैं और पिछड़ी जाति के लोग २,७०,००,००० हैं। कुल मिलाकर यह ५ करोड़, ७ लाख, ७३ हजार, ८०० हैं। इस तरह से आप देखें कि यह सब लोग आबादी का २/३ हैं। और बजट का प्राविधान आप देखें। प्रति व्यक्ति के हिस्से में प्रति साल १ रु० २८ पैसा आता है। यह सरकार एक रुपया २८ पैसा एक व्यक्ति पर एक साल में इस मद में खर्च करती है। तो आप अनुमान लगाइये केवल १.२८ पैसे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में आप कैसे और क्या उनका कल्याण कर सकते हैं? इसके विपरीत पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति पर एक वर्ष में आप ७५ रुपया खर्च करते हैं। इससे स्पष्ट है कि आप उनकी कितनी उपेक्षा करते हैं। इससे आप चाहें कि उनका कल्याण हो जाए तो यह मुमकिन नहीं है। मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता कि यह पैसा किसने खर्च किया किसने नहीं खर्च किया। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे सामने आयीं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के अंत तक प्लान स्कीम के अन्तर्गत २२ करोड़, ५१.४६२ लाख रुपये का प्राविधान किया गया था और उसमें से केवल १७ करोड़, ५४.८३१ लाख रुपया ही उन पर खर्च किया गया। इस प्रकार से ५ करोड़ से अधिक की धनराशि बिना खर्च किए हुए पड़ी रही। तो यह किसका उत्तरदायित्व है? हम सबको इसको महसूस करना चाहिए। यह देखें कि २२–२३ करोड़ का जो बजट तीन पंचवर्षीय

योजनाओं में था, उसमें से कुल १७–१८ करोड़ का ही विभाग ने उपयोग किया। इस पर हमें विचार करना चाहिये।

यह स्कीम सुचारुरूप से क्यों नहीं चली, इसके संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले प्रशासन से सम्बन्धित कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। सन् ५९ में श्री कालिका प्रसाद जो वाइस चांसलर थे, उनकी अध्यक्षता में समाज कल्याण के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनी थी। उस समिति की रिपोर्ट की दो सिफारिशें काफी महत्व की थीं, उनको सरकार को तुरन्त कार्यान्वित करना चाहिए था। उसने सिफारिश की थी कि प्रदेश स्तर पर एक परमानेन्ट कमिश्नर होना चाहिये, जैसा कि केन्द्र स्तर पर एक है, जो समय-समय पर राज्य सरकार को रिपोर्ट देकर विभाग में क्या-क्या खामियां हैं और समाज कल्याण के लिये और क्या-क्या कदम उठाये जाने चाहिये। उसका यह भी काम था कि जिला और प्रदेश पर कल्याण संबंधी कार्यों को देखे, निरीक्षण करे और उनमें कोआर्डिनेशन कायम करे। किन्तु आजतक उसकी सिफारिश मानने के संबंध में सरकार ने कुछ नहीं किया है। आप सिफारिश संख्या ९ को देखें। "इन आर्डर टू कोआर्डीनेट, इन्टीग्रेट एण्ड सुपरवाइज आल सोशल वेलफेयर एक्टीविटीज इन दी स्टेट कंडक्टेड बाई आफिशियल एण्ड नान आफिशियल एजेंसीज, देयर शुड बी स्टैटुयोरी सोशल वेलफेयर कमिश्नर आफ फिफटीन मेम्बर्स।" इसमें उन्होंने आगे कहा कि सब प्रकार के लोग इसमें हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी सभी। लेकिन सरकार ने उस पर आज तक ध्यान नहीं दिया।

दूसरी उसने महत्वपूर्ण सिफारिश यह की थी कि हमारी जो तमाम सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें परस्पर कोआर्डीनेशन होना चाहिये और ऐसे अफसर होने चाहिये जो ऐसे कैडर के हों, जिसकी बात पुलिस अधीक्षक और डी० एम० को छोड़कर जिले के सभी अधिकारी मानें। आज हरिजन कल्याण अधिकारी की क्या दशा है? वह किसी भी विभाग का इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। एक क्षति पूर्ति का अनुदान शिक्षा विभाग को देते हैं, जो कि स्कूल और कालेज के प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर देते हैं। वह छात्रों की संख्या के आधार पर तैयार करते हैं। हरिजन कल्याण अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह शैक्षिक संस्थाओं का निरीक्षण करके अपनी संस्तुति प्रस्तुत कर सके और जिला विद्यालय निरीक्षक को यह लिख सके कि यहां ये कमियां हैं और इनको इस प्रकार दूर किया जा सकता है। आपको उस अधिकारी को जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर है, एग्रीकल्चर आफिसर है, या इसी तरह के दूसरे जिले के अधिकारी हैं, उस स्तर का अधिकारी बनाना चाहिये ताकि जिले के अन्दर अधिकारियों में उसका मान-सम्मान बढ़ सके। इस कमेटी ने यह सिफारिश की थी इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई प्रशिक्षण राज्य स्तर पर नहीं किया गया। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि किन ऐक्टिविटीज को किस प्रकार करना चाहिये।

इसके अलावा हरिजन कल्याण अधिकारी के पास इतना काम है, स्कालरशिप का डिस्बर्समेंट वह करता है, समाज कल्याण की अनेकानेक संस्थाएं हैं, मूक, गूंगे बहरों की संस्थाएं हैं, बाल सदन हैं, इन सब संस्थाओं की देखरेख उस अधिकारी को करनी पड़ती है। एक निवेदन और करना है। अभी तक जो व्यवस्था समाज कल्याण विभाग की है, समाज कल्याण की कितनी ऐक्टिविटीज हैं, उनमें जिले का सीधा सम्बन्ध स्टेट लेविल से है। जिला अधिकारी को डिस्बर्सिंग अथारिटी दी जाय, इंस्पेक्शन करने का मौका दीजिये, और उसके अधिकार क्षेत्र में जिले की संस्थाओं को रखना चाहिये जो हरिजन कल्याण अधिकारी को दी जायं। इसके अतिरिक्त हरिजन कल्याण विभाग के सुपरवाइजर जो हैं उनका वेतनक्रम एक बी० एल० डब्लू० से भी कम है और हरिजन कल्याण विभाग का सुपरवाइजर किसी विभाग में जायगा

[श्री रामसिंह]

तो कोई व्यक्ति उसको रेकगनाइज करने को तैयार नहीं है। जुगुलकिशोर कमेटी ने संस्तुति की थी कि उसका ग्रेड ए०डी०ओ० के बराबर रखना चाहिये जब कि उसका ग्रेड बी० एल० डब्लू० के बराबर भी नहीं है। इस विभाग की जो इंस्पेक्शन की एजेंसी है उसके पास काम बहुत कम है और वह काम कर नहीं पाती। हम लोग जो पैसा बांटते हैं, उसका चाहे सही इस्तेमाल हो या गलत हो, उसका निरीक्षण और जांच करने की व्यवस्था करनी चाहिये। हरिजन कल्याण अधिकारी को सेकेंड ग्रेड के अफसर के अधिकार देने चाहिये जिससे वह अधिक से अधिक अपने मुहकमे की योजनाओं का संचालन कर सके।

इसके अतिरिक्त हरिजन कल्याण विभाग के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो शैक्षिक योजनाओं का संचालन है। दूसरी आर्थिक उन्नति सम्बन्धी योजनाओं का संचालन है, जिसमें गृह निर्माण, गृह उद्योग, पशु पालन या इंडस्ट्रीज की स्कीमों के लिये अनुदान देते हैं और हरिजनों को पैसा देते हैं जिससे वह तरक्की कर सकें। सब से पहले मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आज कक्षा १ से ५ तक पुस्तकों के लिए जो कुछ सहायता करते हैं, मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, उस पैसे का वेस्टेज होता है। १–५ कक्षा के लिए पुस्तकों की सहायता के अनुदान को कक्षा ६–८ की छात्रवृत्तियों में तब्दील कर दें ताकि कक्षा ६ से ८ तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अधिक सुविधा मिल सके। और जो कक्षा १ से ले कर ८ तक की संस्थायें हैं उनको जिला परिषद् या प्राइवेट संस्थायें चलाती हैं। उनको जो अनुदान दिया जाता है मेरा ऐसा अनुभव है कि अधिकतर कार्यालय से मिल कर उसका दुरुपयोग होता है। आप कक्षा १० तक की छात्रवृत्तियों का रेट बढ़ाइये। रेट आज कल यह है कक्षा ६ तक ६ रुपये, कक्षा ८ तक ८ रुपये और कक्षा १० तक १२ रुपये। इस से छात्र का कोई भला नहीं हो सकता है। अगर पूरे वर्ष की छात्रवृत्ति एक मुश्त भी उसे मिल जाय तो पूरे कोर्स की किताबों के लिये वह नाकाफी है। लिहाजा आप छात्रवृत्तियों का रेट बढ़ाइये। सरकारी किताब जो बंटी है उस से साफ जाहिर है कि कक्षा ६ से १० तक की जो छात्रवृत्तियां हैं वे २० प्रतिशत हैं, दूसरी स्टेट्स में ये छात्रवृत्तियां ज्यादा हैं।

आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने सिफारिश की थी कि कक्षा १० तक के छात्रों को कम से कम ५० प्रतिशत छात्र वृत्तियां दी जायं और उनका रेट भी बढ़ाया जाय। जो टेक्निकल एजूकेशन पाने वाले लड़के हैं अथवा साइंस के विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं उनके लिये आप कम्पलसरी स्कालरशिप की व्यवस्था करें। आई० टी० आई० में हरिजन छात्रों के लिये स्कालरशिप की व्यवस्था है। कक्षा ६ तक के विद्यार्थियों की फीस जिस तरह माफ है और वह तमाम पैसा आप संस्थाओं को देते हैं तो वह पैसा उनको न दें, बल्कि उस पैसे का भार शिक्षा विभाग वहन करे और उसी प्रकार अन्य क्षेत्र में भी हरिजन छात्रों के लिये शिक्षा का भार शिक्षा विभाग वहन करे। इसलिये शिक्षा के मद में आप पैसा बढ़ायें। आपने यह भी व्यवस्था की है कि जो हरिजन छात्र आई० टी० आई० में पढ़ता है उसको हरिजन विभाग की तरफ से छात्रवृत्ति मिलेगी। दूसरे जो छात्र हैं आई० टी० आई० के उनको ३३ प्रतिशत के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती है। उन छात्रवृत्तियों का भुगतान इंडस्ट्री विभाग, लेबर विभाग अथवा आई० टी० आई० के द्वारा होता है। मेरा निवेदन है कि आई० टी० आई० में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान उसी से सम्बन्धित विभाग को करना चाहिये जैसे शिक्षा विभाग के बारे में मैंने निवेदन किया। इससे हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा मिलने में सुविधा तथा आसानी होगी।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो छात्र मेरिट पर स्टैंड करता है तो उसको मेरिट स्कालरशिप मिलता है अथवा विभागीय स्कालरशिप मिलता है, एक ही छात्रवृत्ति उसको मिलती है। मेरा निवेदन है कि दोनों स्कालरशिप उसको मिलनी चाहिये। हरिजन छात्रवृत्ति तथा मेरिट स्कालरशिप इस से वहां छात्र तरक्की कर सकेगा और आगे बढ़ सकेगा।

छात्रवृत्ति मिलने में जो देर होती है उसके लिये हम सभी जिम्मेदार हैं। कमेटियों के द्वारा इसका वितरण होता है। विभाग की तरफ से तारीख निश्चित होनी चाहिये। जैसे छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र के लिये ३१ जुलाई अन्तिम तारीख है उसी प्रकार वितरण के लिये भी अन्तिम तारीख निश्चित होनी चाहिये कि कमेटियों को इस तारीख तक छात्रवृत्ति बांट देनी होगी।

इसके अलावा जो रिनुअल आफ स्कालरशिप हैं कक्षा ११ से ऊपर तक के उनको भी लाजिमी देना होगा। उसमें देर हो जाती है। मैंने आपके डिपार्टमेंट की एक्टीविटीज को देखा और मालूम हुआ कि आप एक सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं वह बहुत अच्छी स्कीम है उसको लागू करना चाहिए।

मैं छात्रावासों के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज छात्रावासों की दशा बहुत ही खराब है। मैं चन्द छात्रावासों के उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। इन छात्रावासों में लाइब्रेरीज जो हैं वहां अखबार वगैरह कुछ नहीं आते हैं ताकि छात्र उन्हें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सके। छात्रावासों में खाना बनाने के लिये जो नौकर हैं उसको आप ३५ रुपया वेतन देते हैं। इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति हरिजन छात्रों के लिये खाना बनायेगा वह ३५ रुपये में अपना काम कैसे चला सकता है अपना गुजारा कैसे चला सकता है, मेरा निवेदन यह है कि आप कम से कम उसे चपरासी के बराबर तो वेतन दीजिये। आपने ३५ रुपये उसकी तनख्वाह फिक्स कर रखी है। आप जानते हैं कि ३५ रुपये में कोई नौकर खाना बनाने वाला नहीं मिलेगा। अतः उसके वेतन की ओर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए।

छात्रावासों के भवनों की दशा अत्यन्त ही खराब है। कई-कई साल तक तो उस भवन की ह्वाइट वाशिंग नहीं होती है। आप जो ग्रान्ट देते हैं और पिछले सालों से देते आ रहे हैं उसी ग्रान्ट को हर साल रिपीट कर देते हैं। आप की परिस्थिति में उतना प्राविधान कर देने से काम नहीं चल सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्कीम भवन निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने चलाई थी और इकोनामी के दृष्टिकोण से वह स्कीम बन्द कर दी गई थी उसे आप पुनः चालू कर दें। उससे हरिजन विद्यार्थियों को फायदा होगा, वे उन्नति करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था हो जायेगी। आप जानते हैं कि रहने के लिये उनके पास मकान नहीं हैं। यदि किराये पर भी मकान लें तो वे किराया नहीं दे सकते। यह एक बड़ी समस्या है। इसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ सुविधा आपको देनी चाहिए।

एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि जो कालेजों के छात्रावास होते हैं उसमें हरिजन विद्यार्थियों को रहने के लिये डिसकरेज किया जाता है और साथ-साथ नहीं रहने दिया जाता और उनका उत्साह नहीं बढ़ाया जाता है। मैं नहीं समझता कि यह अलग रहने की प्रवृत्ति कब तक चलेगी। आपको २०–२५ प्रतिशत तक छात्रावासों में हरिजन विद्यार्थियों को रहने की सुविधा देनी चाहिए ताकि वे अपना गुजारा कर सकें और आसानी से पढ़ सकें। मान्यवर, इसी से सम्बन्धित जो आपके पुस्तकालय और वाचनालय हैं उनके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन लाइब्रेरीज में जो लाइब्रेरियन हैं वह लाइब्रेरी का सारा काम करते हैं, पुस्तकें साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं उन्हें आप सिर्फ २० रुपया प्रति माह वेतन देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस २० रुपये में कौन व्यक्ति पुस्तकालय चला सकता है। उसे अपना जीवन यापन करने के लिये कहीं अन्य जगह नौकरी, व्यापार या कोई अन्य दुकानदारी करनी पड़ती है। वह ज्यादा समय भी इस लाइब्रेरी को नहीं दे सकता क्योंकि उसे अपना गुजारा करने के लिये अवश्य कहीं दूसरी जगह काम करना पड़ता होगा। सिर्फ २० रुपये से उसका काम चलने वाला नहीं है। उसके वेतन की बढ़ोत्तरी के बारे में आपको सोचना चाहिए।

प्रारम्भिक पाठशालाओं के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन स्थानों पर नगरपालिका या जिला परिषदों की पाठशालायें हैं वहां पर हरिजन विद्यार्थियों की पाठशालायें

[श्री राम सिंह]

नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरा यह तजुर्बा है कि हरिजन पाठशालाओं में वह स्टैंडर्ड नहीं मिल सकता है जैसा कि अन्य पाठशालाओं में मिलता है क्योंकि वे टाट-पट्टियों में बैठते हैं, टीचर्स और फर्नीचर की पूर्ण सुविधा उन्हें नहीं मिलती। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन स्थानों पर नगरपालिका तथा जिला परिषद् की पाठशालायें हैं और वहीं पर हरिजन पाठशालायें भी हों तो उन्हें वहां से उठा कर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दें और उनसे सम्बन्धित जो कमेटियां हैं उन कमेटियों को भी इस बात की देखरेख करनी चाहिए कि जो आदमी ३० साल से उसका मैनेजर था वही आज भी है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ग्रान्ट आप देते हैं वह सारी की सारी खा लेता है। छात्रों तक वह नहीं पहुंचता इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस ओर भी ध्यान दें।

इसके अलावा हरिजन पाठशालाओं में जो अध्यापक हैं वह जिला परिषदों और नगर-पालिकाओं के अध्यापकों की भांति ट्रेंड नहीं हैं, अनट्रेंड और अनक्वालीफाइड रखे हुए हैं, इसलिए वे शिक्षा भी सुचारु रूप से नहीं दे पाते हैं। जिस प्रकार से नगरपालिकाओं और जिला परिषदों के स्कूलों में आप वहां से शिक्षकों की ५ साल की सर्विस पर इन-सर्विस ट्रेनिंग देते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था इनके लिये भी की जाय, ताकि वे लोग रोजगार में भी बने रहें और ट्रेन्ड भी हो जायं। इससे वहां की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकेगा।

इसके अलावा टेकनीकल शिक्षा में भी इन लोगों के लिये रिजर्वेशन होना चाहिये। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में २०० रुपया की टेक्नीकल सहायता दी जाती है, उसी प्रकार से टेक्नीकल स्कूलों में हरिजन छात्रों को नहीं मिल पाती। वह प्राविधिक इन्स्टीटयूशन्स में हरिजन विद्यार्थियों को भी मिलनी चाहिये ताकि वे लोग उससे फायदा उठा सकें।

इसके अलावा आर्थिक साधनों को जुटाने के लिये भी आपकी योजनायें हैं। एक योजना है कार्य-स्थल के भूमि का खरीदा जाना। जमीन खरीदने के लिये है। इस मद में बहुत सा पैसा विभाग का बेकार ही पड़ा हुआ है। वह सरेंडर हो रहा है। अगर आप तीसरी योजना के आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा। आपका लक्ष्य ११,४०० ऐसे स्थलों को खरीदने का था जिसमें से आपने केवल ३,७८० स्थल ही खरीद किये। यानी केवल चौथाई कार्य ही आप कर सके। तीन-चौथाई पैसा आपका लैप्स हो गया। इसकी वजह यह है कि जिस आदमी को आप अनुदान देते हैं उसको भूमि नहीं मिल पाती और जो पैसा भी आप देते हैं वह २५० रुपया ही देते हैं उसमें ढाई बिस्वा जमीन भी नहीं मिल सकती। इसलिये इस पैसे के सही इस्तेमाल करने के लिये आपको उनके लिये जमीन को एक्वायर करने की व्यवस्था करनी चाहिये। जिससे उन लोगों को रोजगार भी मिल सके और आपका पैसा भी इस्तेमाल हो जाय।

दूसरी चीज है स्वच्छ पेय जल योजना। इसमें कुओं और हैण्ड पाइप निर्माण करने की योजना थी। इस योजना में भी काफी रुपया रखा गया था। लेकिन वह भी इस्तेमाल नहीं हो पाया। उस में से भी बहुत सा पैसा सरेंडर करना पड़ा।

तीसरी है कृषि उत्थान एवं लघु सिंचाई योजनायें। उसमें ग्राम समाजों को इस बात के आदेश दिये गये थे कि वे भूमिहीन व्यक्तियों हरिजन विभाग से दी हुई ग्रान्ट के द्वारा हरिजनों के लिये जमीन की व्यवस्था करें। लेकिन गांवों में ग्राम समाज की संपत्ति का बहुत दुरुपयोग हुआ है और बची हुई जमीन को उन लोगों ने हथिया लिया जिनके पास पहले से ही जमीन मौजूद थी। अतः हरिजनों के लिये भूमि की व्यवस्था भी आपको करनी चाहिये और इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक स्कीम पशुपालन की है। इसमें ३–४ कामों के लिये रुपया दिया जाता है जैसे मुर्गीपालन, सूअर पालन तथा सिलाई की मशीन के लिये लेकिन बुधारू पशुओं के लिये कोई पैसा

नहीं दिया जाता। एक व्यक्ति जो भैंस और गाय खरीद कर, दूध बेंचकर अपना गुजारा करना चाहता है उसको कोई रुपया नहीं दिया जाता। मुर्गी पालन के लिये जो पैसा दिया जाता है उसमें अगर उसने मुर्गी खरीदी और वह मर गयीं तो फिर वह बेकार हो जाता है। उससे लोग अधिक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिये दूध वाले पशुओं के खरीदने के लिये भी रुपया दिया जाना चाहिये।

इसी प्रकार से कुटीर उद्योगों की भी आपकी स्कीम है। इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स की मुझ को स्वयं जानकारी है। एस्टीमेट्स कमेटी की एक सब-कमेटी उनकी जांच करने के लिये गयी तो मैंने देखा कि वहां बहुत सी बिल्डिंग्स बेकार पड़ी हैं। कोई हरिजन उनमें काम करने के लिये नहीं है और अगर कोई है तो उसकी व्यवस्था इस प्रकार से है कि नाम तो हरिजन का है और कारोबार दूसरे व्यक्ति का है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स के बारे में सरकार ने यह योजना बनायी कि हायर परचेज पर वह बिल्डिंग्स दे दी जायें हरिजनों को। तो फिर दूसरी बिरादरियों को वह क्यों दी जाती हैं? प्रचार हरिजनों का और फायदा दूसरे लोगों का। वह स्कीम नहीं चली तो सरकार को यह देखना चाहिये कि आखिर यह स्कीम चली क्यों नहीं। क्या रा-मेटीरियल की कमी है, धन लगाने के लिये पैसा नहीं है, ट्रेन्ड व्यक्ति नहीं हैं आखिर क्या बात है? कोई उद्योग ऐसा नहीं है जिसमें हम काम नहीं कर सकते। चमड़े के उद्योग में हजारों आदमी मिल जायेंगे। लेकिन अधिकारियों के दिमाग में तो यही है कि ये बेकार रहें और इनका डिस्पोजल हो जाय। इंडस्ट्रियल स्टेट्स को दूसरी बिरादरी वालों को दें यह मुनासिब नहीं है। आप इस बात की कोशिश करें कि यह संस्थायें चलें ताकि हरिजनों को कुछ फायदा हो सके।

विमुक्त जातियों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरी योजना के सम्बन्ध में जो पुनर्वास के लिये पैसा आया था उसका कितना लक्ष्य पूरा हुआ। २५ लाख रुपया पूरे पांच वर्ष में खर्च करना था। लेकिन खर्च कितना हुआ ४·८४ लाख रुपया। लक्ष्य यह था कि ६६५ मकान आप विमुक्त जातियों के लिये बनवायेंगे लेकिन केवल १३१ मकान आपने बनवाये। तो बहुत गम्भीर स्थिति है कि २५ लाख में से केवल चार, साढ़े चार लाख रुपया खर्च हो और शेष धन वापस चला जाय। तो बजट में केवल प्राविधान करने से क्या लाभ होगा।

इसी तरह से अगर अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आपने १२.९६ लाख रुपये का प्राविधान किया था जिसमें से केवल ५.३६ लाख रुपया ही खर्च किया। इस प्रकार जो ३२४ मकानों का लक्ष्य था उसमें से केवल १५६ मकान ही बनवा पाये आदिम जाति के व्यक्तियों के लिये। ६० प्रतिशत रुपया वापस होकर डिपार्टमेंट को चला गया। और फिर एक और बात है। बजट पिछले काम की प्रगति को देख कर बनता है। इस प्रकार जो पैसा लैप्स हो गया फिर आइन्दा सालों में वह बजट कम होता चला जायगा। इससे भी नुकसान होने की बात है।

इसी तरह से जो मेहतरों के सम्बन्ध में योजना थी। जो हमारे समाज का सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ तबका कहा जाता है उसके सम्बन्ध में तीसरी पंचवर्षीय योजना में २५.५६ लाख रुपया खर्च करने का प्राविधान था। मैं गृह-निर्माण की बात कह रहा हूं। इस २५.५६ लाख में से आपने केवल १५ लाख रुपया ही खर्च किया, यानी १५ लाख से ज्यादा रुपया बच गया और वह पैसा सरकार को वापस हो गया।

इसके अलावा मेहतरों की कार्य प्रणाली में जो सुधार की बात थी, यानी जो वह सफाई का काम करता है उसमें सुधार के लिये जो अनुदान नगर पालिका और टाउन एरिया को आप देते हैं जिसके सम्बन्ध में बड़ी चर्चा है कि हमने बड़ा कल्याण किया है, उसके लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में २५.३८ लाख रुपये का प्राविधान था जिसमें से केवल १० लाख रुपया ही आप खर्च कर पाये और १५ लाख रुपया जिसको आप सबसे बुरा और घृणित काम समझते हैं उसमें से बचा लिया, और १० लाख रुपया जो खर्च हुआ उसके सम्बन्ध में भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो इसकी जांच भी करा लें अपने डिपार्टमेंट के जरिये

[श्री रामसिंह]

से । वह १० लाख रुपया जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज व टाउन एरियाज कमेटीज हैं उनके पी० एल० में पड़ा हुआ है यानी अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है । बहुत कम नगर पालिकायें हैं जिन्होंने उस पैसे को खर्च किया । वह पैसा भी बगैर इस्तेमाल हुये नगर पालिकाओं के उस स्कीम के खाते में पड़ा हुआ है , उसे वे खर्च नहीं कर सकी है । तो ये आंकड़े जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये , आखिर वे खर्च क्यों नहीं किये गये , यह किसकी रिसपांसिबलिटी है ? जिस अधिकारी की रिस्पांसिबलिटी हो उसको सजा दी जाय और उसको मजबूर करें कि वह इस काम को पूरा करे । तो जैसा कि मैंने इन दोनों स्कीमों के सम्बन्ध में निवेदन किया, हमें गहराई में जाकर देखना होगा कि कमजोरी कहां पर है ।

इस सम्बन्ध में सबसे पहले अस्पृश्यता निवारण का जिक्र बहुत किया गया है । उस सम्बन्ध में हमें देखना है कि छुआछूत कितनी दूर हुई । इस स्कीम के सम्बन्ध में पूरी तफसील में मैं कोई बात नहीं कह सकूंगा लेकिन केवल एक बात मैं इस बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि पूरे वर्ष के लिये केवल १५ हजार रुपये का प्राविजन अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिये इस बजट में है । १५ हजार रुपये से आप क्या करेंगे ? सिनेमा स्लाइड्स के जरिये छुआछूत मिटायेंगे , पम्फलेट्स वगैरह छपवा कर छुआछूत मिटायेंगे, सोशल संस्थाओं को अनुदान देकर भी इसको खत्म करना चाहेंगे । तो आप कल्पना करें कि केवल १५ हजार रुपये से कैसे ये सारे काम हो सकेंगे । इसलिये या तो आप इस आइटम में और पैसे बढ़ावें या इस आइटम को ही एक दम निकाल दें क्योंकि इस तरह से आपका कोई काम भी नहीं होगा और सब पैसे भी बर्बाद हो जायेंगे । अस्पृश्यता को दूर करने की जो भावना आजादी मिलने के पहले थी और जितना उस सम्बन्ध में काम हुआ है वह आज नहीं हो रहा है और लोगों के दिल में उसके प्रति और भी गलत-गलत धारणायें बन गयी हैं । जो शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन की रिपोर्ट है उसके आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिससे मालूम हो जायेगा कि वास्तव में कितना कल्याण का काम हरिजनों के लिये हुआ है । मान्यवर, १९६१-६२ की रिपोर्ट हमारे सामने है । अनटचेबिलिटी ऐक्ट १९५५ में पास हुआ और उसका इन फोर्समेंट हुआ । आज हमारे प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के पास उसकी कापी तक नहीं है । पुलिस इस बात की कोशिश करती है कि इस संबंध में कोई रिपोर्ट न लिखाई जाय और अगर कोई रिपोर्ट लिख भी गई तो इनवेस्टिगेशन करके पुलिस की फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है और अगर किसी का चालान पुलिस ने कर भी दिया तो कोर्ट में जाकर वह छूट जाता है । इस ऐक्ट के अन्तर्गत सन् ५५ से लेकर ६१ तक कुल २,८९८ केस रजिस्टर्ड हुए और केवल ६३७ केसेज में कंविक्शन हुआ । पहले तो केवल सवर्ण ही हरिजनों से छूआछूत का व्यवहार करते थे और उनसे घृणा करते थे लेकिन अब तो वे आपस में ही एक दूसरे से घृणा करते हैं । और इस चीज को इस सरकार ने ही प्रोत्साहित किया है । वह इस तरह से कि सरकार अगर कहीं कोई कुआं बनवाती है तो वह सब लोगों के लिये न बनवा कर कहीं एक कुंआ चमारों के लिये बनवाती है तो कहीं एक कुंआ वाल्मीकियों के लिये बनवाती है और अलग से एक कुंआ तांतवायों के लिये बनवाती है । इस तरह से हरिजन जाति के अन्दर वे एक दूसरे के विरुद्ध घृणा का भाव रखते हैं । इस तरह से हरिजनों के अन्दर की खाई को पाटने के बजाय और भी नई नई खाई पैदा करते हैं । इसीलिये मैं कह रहा हूं कि अस्पृश्यता दूर करने के लिये जो आपने १५ हजार रुपये की रकम रखी है इससे और केवल बात करने से वह दूर होने वाला नहीं है ।

अब मैं रिजर्वेशन के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री राधाकृष्ण अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी । उस कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशें दी हैं । जिन पर एक बार इस सदन में बहस भी हो चुकी है । आज तक हम लोगों को यह जानकारी नहीं है कि रिजरवेशन की कितनी बातें उसकी मान ली हैं

और कितनी को अस्वीकार कर दिया। इस कमेटी पर हजारों रुपया खर्च किया उसने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, लोगों से इन्टरव्यू किया, उसकी रिपोर्ट में जो चीजें मान ली गयीं उसकी जानकारी नहीं है। इसलिये यह अफसोस की बात है और उस रिपोर्ट की जानकारी हमको करानी चाहिये। आपकी पुस्तिका जो निदेशक महोदय की तरफ से बंटी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजतक १८ प्रतिशत रिजर्वेशन पूरे प्रदेश में है, लेकिन इसमें सरकार खुद कहती है कि केवल ३ प्रतिशत रिजर्वेशन अब तक पूरा हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? कमियां क्या हैं?

आपके इसी विभाग के अन्तर्गत जो हरिजन और समाज कल्याण के नाम से जाना जाता है उसमें भी रिजर्वेशन पूरा नहीं है। यह अफसोस की बात है कि जो मुहकमा तमाम प्रदेश के हरिजनों के लिये रिजर्वेशन की बात करता है उसमें ही कमी हो। यह उदाहरण की बात है, इस पर सोचना चाहिये। आप १८ प्रतिशत की बात करते हैं, लेकिन जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार हरिजन, विमुक्त जाति और आदिम जाति की संख्या पूरे प्रदेश में २५ प्रतिशत से अधिक है। तो बजाय १८ के २५ प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिये। जो आप कहते हैं कि फोर्थ क्लास इम्प्लाईज के लिये २५ से ४५ कर दिया तो वह कुछ है नहीं। २५ तो जनसंख्या के हिसाब से अधिकार पहुंचाता है, आप एक्सपर्टस को बैठाल लें। २३ प्रतिशत तो केवल हरिजनों की संख्या है और २ प्रतिशत में विमुक्त और अदिम जातियां हैं। तो १८ प्रतिशत बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाय और पूरा किया जाय। इसके संबंध में उस कमेटी ने सिफारिश की थी। उसमें सबसे बड़ी यह थी कि रिजर्वेशन इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के जरिये से जहां लोग नौकरियों के लिये जाते हैं उसमें हरिजन अधिकारी का हाथ होना चाहिये, उसके पास सूचना पहुंचनी चाहिये कि अमुक स्थान पर इतने व्यक्तियों की आवश्यकता है और इतने नाकाफी होंगे, जिससे वह फालो कर सके कि वह पूरे हुए या नहीं, जिससे उस संबंध में कुछ और ठोस और अधिक काम आप कर सकें।

एक बात और कहना चाहता हूं, हालांकि वह सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, कि मिलीटरी में हरिजनों को डिस्करेज किया जाता है अगर वह सिपाहियों में भर्ती के लिये जाते हैं। आज भी अधिकारी जो नियुक्तियां करते हैं, अगर हरिजन जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि जाइए, नहीं हो सकते हरिजन, यहां तो मार्शल रेसेज के आदमी लिये जायेंगे। बहादुरी का श्रेय आज मार्शल रेसेज ने ही जैसे ले लिया है। तो आपको केंद्रीय सरकार को मजबूर करना चाहिये कि हमारे प्रदेश में कम से कम मिलिटरी सर्विसेज में हमारी जनसंख्या के आधार पर हरिजनों को लेना चाहिये।

इसके अलावा जो आपने पुलिस कांस्टेबिल ट्रेनिंग की बात कही, अगर उसमें कुछ कर पाएं तो बड़ा अच्छा है। एक दाइयों की, मेडिकल डिपार्टमेंट की सेवा है। जो मिडवाइव्ज होती है तो उस कैटेगरी में कुछ विशेष जानकारी या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेक्टिकल एक्सपीरिएन्स की बात है। उसको दिखला लें कि कितनी उसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स की होती है जबकि मैं आपसे निवेदन करूं कि सन् ४७ से पहले मुख्य रूप से यह काम जो बड़ी बिरादरी के लोग थे वहां छोटी कही जाने वाली जातियों की बुढ़ियों से काम लिया करते थे। मगर आज दिखलावें कि इस काम में कितनी दाइयां आपने अप्वाइन्ट की हैं?

चपरासी के लिये क्या विशेष योग्यता की आवश्यकता है? लेकिन चपरासी तक में पूरा रिजर्वेशन नहीं है जिसमें योग्यता की बात नहीं है। तो आप जो आरक्षण और संरक्षण की बात करते हैं उसके बजाय इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी चाहिये। केवल यह कह देने से कि १८ परसेंट हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। यह देखना चाहिये कि यह क्यों पूरा नहीं होता।

[श्री रामसिंह]

एक बात और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं। नगरपालिका और जिला परिषद् के जो स्कूल हैं उनमें हरिजन अध्यापकों का रिजर्वेशन पूरा नहीं है। हरिजन छात्र हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियट पास करके बेकार घूम रहे हैं लेकिन उनको कोई अध्यापक बनाने के लिये तैयार नहीं है। इसके लिये मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनट्रेन्ड हरिजन टीचर हैं उनको निकाला न जाय जब तक कि उनकी जगह पर ट्रेन्ड हरिजन टीचर न आ जांय। इसके लिये आदेश जारी कर दिये जायें। इससे यह होगा कि उनका रिजर्वेशन पूरा बना रहेगा।

अब श्रीमन् मैं समाज कल्याण स्कीम के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। तीन, चार स्कीमें चल रही हैं। एक बाल कल्याण की है। मैं निवेदन कर दूं कि आपने पांच बाल कल्याण केन्द्र ऐसे खोले हैं जो अलग-अलग तरह के हैं। एक केन्द्र आगरा में है वह उन बच्चों के लिये खोला गया है जो अवैध सम्बन्ध से पैदा हो जाते हैं। दूसरा केन्द्र मेरठ में है। प्रोटेक्टिव होम में जो औरतें आती हैं उनके साथ जो बच्चे चले आते हैं उनके लिये है। एक देवरिया में है जिन औरतों के पति युद्ध में मारे गये हैं उनके बच्चों के लिये और एक निराश्रित महिलाओं के बच्चों के लिये है और पांचवा जो है वह पाकिस्तान का निर्माण हो जाने के बाद जो व्यक्ति यहां आये थे उनके बच्चों के लिये है। यह स्वराज्य भवन इलाहाबाद में है और आपके डिपार्टमेंट के अन्तर्गत है। इन पांचो के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन पांचों में हर तरह के बच्चों के रखने की व्यवस्था होनी चाहिये और जो यह श्रेणियों में विभाजित किया है इसको समाप्त किया जाना चाहिये।

दूसरी स्कीम महिलाओं के कल्याण से सम्बन्धित है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो तरह के सदन इस समय चल रहे हैं। मान्यवर, एक तो ऐसे हैं जिनको उत्तर रक्षा गृह कहते हैं वह चलते हैं। इन संस्थाओं में आमतौर से वह स्त्रियां रखी जाती हैं जो किसी कुकर्म की वजह से या किसी कुपरिणाम की वजह से आती हैं और पुलिस की कस्टडी में आ जाती हैं और कोर्ट में मुकदमा चलने के वक्त तक रखी जाती हैं। उनको प्रोबेशन गृह में रखते हैं। इस प्रकार की संस्थायें प्रदेश में १० हैं। इसके बाद उसको उत्तर रक्षा गृह में भेज देते हैं जिससे वह वहां रह कर शिक्षा और ट्रेनिंग पा सकें। उसको उस समय तक रखते हैं जब तक कि वह रिहैबिलिटेट न हो जाय। चार संस्थायें ऐसी हैं जो उत्तर रक्षा गृह से संबंधित हैं जिनको शरणालय कहते हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश में कुल १४ संस्थायें हैं। तो मेरा निवेदन है कि इन दोनों तरह की कटेगरी की जो संस्थायें हैं इनमें आप परिवर्तन कर दें। इन दसों संस्थाओं में इन दोनों तरह की संस्थायें होनी चाहिये। जो लड़की कहीं बरामद हो अगर वहां उत्तर रक्षा गृह है तो वहीं शरणालय गृह भी होना चाहिये ताकि वह वहां रह सके बजाय इसके कि उसको दूसरी जगह ले जाया जाय। जहां से वह बरामद हुई है उसके नजदीक स्थान पर वह रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके और अपना पालन पोषण कर सके इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

एक मुख्य बात जो मैं आप से कहना चाहता हूं वह है कि मान्यवर, सप्रेसन आफ इम्मारेल ट्रैफिक इन ओमेन एण्ड गर्ल्स ऐक्ट के बारे में। एक बार इस्टीमेट कमेटी ने इस बात की सिफारिश की थी कि इस ऐक्ट के सेक्शन ३, ४, ५, ६, ७ और ८ में कुछ डिफेक्ट्स हैं उनको दूर करना चाहिये और उनमें जो शब्द हैं उनकी जगह दूसरे शब्द रखें। जैसे, मान्यवर, एक शब्द है इसमें प्रास्टीच्यूशन। आप प्रास्टीच्यूशन की डिफिनेशन देखें तो कोई भी जुर्म आप साबित नहीं कर सकते क्योंकि इस ऐक्ट के अनुसार उसका एविडेन्स नहीं मिल पाता। दो पार्टीज जो इंटैंगिल्ड हैं वह अपने विरुद्ध एविडेन्स नहीं दे सकते और पकड़ने वाली की एवीडेंस मानी नहीं जायगी। थर्ड पार्टी की कोई वैलू नहीं रहती। तो कानूनी ढंग से इसको प्रभावी करने के लिये आपको इस प्रास्टीच्यूशन शब्द की जगह जो शब्द रखा जा सकता है, मान्यवर, बुरा न मानें वह हो सकता है इन्टरकोर्स। परिभाषा जो सेक्शन २ में है वह यह है " for hire, whether in money or in kind."

जो हायर की बात कही गई है उसका गलत साबित करना मुश्किल है। इसी तरह से ब्राथेल की जो परिभाषा है वह भी इतनी वेग है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। सेक्शन (२) में ब्राथेल की परिभाषा है

Brothel includes any house, room, or place or any portion of any house, room or place, which is used for purposes of prostitution for the gain of another person or for the mutual gain of two or more prostitutes.

तो यह जो परिभाषा है यह भी कानून की जो मंशा है उसकी पूर्ति में बाधक है और इनमें भी कुछ तरमीम होनी चाहिये। जैसा कि इंस्टीमेट कमेटी ने सिफारिश की थी कि कुछ संशोधन करने चाहिये।

एक बात और, मान्यवर, उस ऐक्ट के बारे में कहना चाहूंगा। इस ऐक्ट के संबंध में जो स्पेशल पुलिस आफिसर्स की नियुक्तियां होती हैं वह राज्य सरकार से होती हैं। अगर कोई स्पेशल पुलिस आफिसर राज्य सरकार ने डेप्यूट किया कि अमुक शहर के अन्दर इस तरह के केसेज जो पकड़ेंगे और इस बीच उस अधिकारी का ट्रांसफर हो गया और दूसरा आया तो, मान्यवर, उस अधिकारी को केसेज को पकड़ने या इनवेस्टीगेट करने का तब तक कोई राइट नहीं है जब तक राज्य सरकार इस बात का अधिकार न दे कि स्पेशल पुलिस आफिसर फार दि परपज है। इसलिये ऐक्ट में एमेन्डमेन्ट करना चाहिये कि जिला मजिस्ट्रेट को इस बात की अथारिटी होनी चाहिये कि वह किसी पुलिस आफिसर को जिसको मुनासिब समझे स्पेशल पुलिस आफिसर इस तरह के केसेज को इनवेस्टीगेट करने के लिये नियुक्त कर सके। मान्यवर, इस ऐक्ट के अन्दर जो यह रेस्ट्रिक्शन लगा है कि किसी वरशिप के प्लेस से पब्लिक प्लेस से या धार्मिक संस्था के दो सौ गज तक ब्रांथेल नहीं हो सकता है इस का मतलब यह निकलता है कि दो सौ गज के बाद हो सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने तो इसका टोटल बैन किया है इसलिये यह कहीं भी प्रदेश में नहीं हो सकता है। तो इस चीज को आप ऐक्ट से बिलकुल निकाल दें जिससे यह सभी जगह इनफोर्स हो सके।

मान्यवर, मैं अब कुछ पर्यवेक्षण गृह के बारे में कहना चाहता हूं। दो संस्थाएं हैं जो हमारी देखी हुई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक संस्था चाइल्ड गाइड्स क्लीनिक। इस संस्था में इस बात को देखते हैं कि किस बच्चे का क्या रूप है और कौन सा बच्चा भविष्य में क्या बन सकता है, क्या रुचि रखता है? उसकी रीडिंग होती है तो वे उसके मस्तिष्क का विवरण देते हैं कि यह बच्चा इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकता है और हो सकता है उसको उस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मैं समझता हूं कि यह अच्छी संस्था है और प्रदेश में इस प्रकार की ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं होनी चाहिये चाइल्ड गाइड्स क्लीनिक्स की।

भ्रष्टाचार निवारण के लिये क्राइम प्रीवेन्शन कमेटीज हैं जिनको मैं क्राइम इन्वेस्टीगेशन कमेटी कहता हूं। मैं इसको इस नाम से इसलिये कहता हूं कि वहां पर स्वयं इतना भ्रष्टाचार है, लूट है और उसकी कोई भी पूंछ नहीं है। उसमें मेम्बरशिप फार्म भरा जाता है और शायद उसको ६ रु० मेम्बरशिप फीस ली जाती है परन्तु उसकी कोई भी डुप्लीकेट रसीद मुसन्ना नहीं दी जाती है। वह तो जिले के सेक्रेट्री महोदय के ऊपर है कि उसको जो चाहे करें। मैं निवेदन करूं कि इस संस्था की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह कोई भी कल्याण का काम नहीं करती है। अगर कोई उसका सदस्य बनना चाहें तो मेम्बरशिप के लिये उसको डुप्लीकेट रसीद या मुसन्ना मिलना चाहिये। ऐसा नहीं कि फार्म भरकर दे दिया जाय और ६ रु० भी दे दिया सेक्रेटरी उस रुपये को भेजे या नहीं या जो चाहे सो करें। यह जो बैगर्स होम्स हैं, जो संस्थाएं इनके लिये हैं हमारे प्रदेश में इस आइटम के ऊपर भी पैसा वेस्ट हो रहा है। इसके लिये तीन

[श्री राम सिंह]

संस्थाएं प्रदेश में चल रही है, वाराणसी में, हरिद्वार तथा लखनऊ में। इसमें डिसएबिल्ड पर्सन्स नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हैं और मेहनत करके कमा सकते हैं। अगर उनको किसी काम में लगाने की व्यवस्था हो तो इससे प्रदेश का हित होगा। इन बैगर्स होम्स की कोई खास प्रगति नहीं है। उनके लिये कोई उन्नति करने की बात नहीं हो रही है इसलिये बैगर्स की प्रथा को रोकने के लिये आपको कानूनी रूप देना चाहिये और यह कहना चाहिये कि भीख मांगना कानूनी जुर्म है। इसमें तो आपको जो अपंग हैं, अन्धे हैं, कोढ़ी हैं या लूले हैं उनको ही इन संस्थाओं में रखना चाहिये। जो मजबूत हैं या काम कर सकते हैं उनको यहां नहीं रखना चाहिये। इस पर भी आपको विचार करना है।

दो, तीन जनरल बात और कहना है। हरिजन सहायक कमेटी जो जिलों में हैं उसका निर्माण उस समय किया जाता है जब कि कोई नई सरकार आती है या कोई नया मंत्री होता है तब इस कमेटी का निर्माण किया जाता है। वह अपने दिमाग से या अपने साथियों के मशविरे से हर कमेटी का निर्माण करता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हरिजन सहायक कमेटी का जो कान्सटीट्यूशन परमानेन्ट कर दिया जाय। नामिनेशन अगर आप चाहें तो जब तक कर सकें परन्तु इस कमेटी का कांसटीट्यूशन परमानेन्ट हो जाए और यह न हो कि जब उनकी इच्छा हो उसको बदल दें जैसा कि सहकारी समितियों में होता है कि फलां आदमी उस कमेटी का मेंबर हो सकता है या गन्ना सोसाइटियों में या और संस्थाओं में जिनमें नामीनेशन और कोआप्शन की व्यवस्था है जैसे जिला परिषद् है, उनमें एक कानून के अन्तर्गत नामीनेशन होता है। यह नहीं कि मंत्री जी आए तो विधान भी बदल गया और नामीनेशन भी बदल गया। नामीनेशन बदल जाय लेकिन विधान ज्यों का त्यों रहना चाहिये। और उस विधान के अन्तर्गत जितना भी छोटा स्वरूप कमेटी का कर सके उतना करें।

आज जो कमेटी है उसके संबंध में मेरे दो ऐतराज हैं। एक तो एस० डी० एम० को, जो सेक्रेटरी बनाने की बात है वह गलत है। हरिजन कल्यण अधिकारी की कोई वकत रहेगी या नहीं? वह आपका अधिकारी है, उसके ऊपर सारा भार है। यह उचित नहीं है कि कोई भी हरिजन कल्याण अधिकारी फाइल बगल में दबाये खड़ा रहे कि एस० डी० एम० साहब कोर्ट बन्द करें तब पूछूं कि कब तारीख रखी जाय या तब किसी कागज पर वह दस्तखत करें। तो बजाय एस० डी० एम० के हरिजन कल्याण अधिकारी को रखें। अध्यक्ष चाहे आप जिलाधीश को रखें और चाहे गैरसरकारी आदमी को रखें। लेकिन जो आपने इसको एक दूसरी जिला परिषद् बना दी है, एम० एल० एज०, एम० एल० सीज०, एम० पीज० जिसके सदस्य होंगे, उससे बहुत दिक्कत पैदा होगी। कमेटी का कोरम नहीं होगा, ग्रांट ठीक से नहीं बटेगी, और ग्रांट इस आधार पर बटेगी की ५० मेम्बर हैं और १० हजार रु० किसी आइटम पर है तो सब मेंबर अलग-अलग तकसीम कर लें और जिसको चाहे दे दें। वह ठीक नहीं है। आपको तो विभाग की ग्रांट्स और छात्रवृत्तियों के बारे में एक कानून बनाना चाहिये जिससे कि कोई भी व्यक्ति या कमेटी उन नियमों के अन्तर्गत उनका इस्तेमाल कर सके। उस जिले के रहने वाले बैकवर्ड क्लास के विधायकों और एम० पीज० को उसमें रखें, उसे दूसरी जिला परिषद् न बना दें। पिछले दिनों की मैं एक घटना बता दूं। हाउसिंग ग्रांट गयी कहीं पर। ७५० रुपये का प्रावीजन है। कमेटी के मेंबर्स ने पचास-पचास रुपये और दो-दो सौ रुपये पांच-सात आदमियों को दे दिये। दो सौ रुपया जिसे मिला, ५० रु० तो खर्च हो गये और १५० रु० वैसे उड़ गया। फायदा कुछ नहीं हुआ। तो ग्रांट का यूटेलाइजेशन सही तरीके से होने के लिये कमेटी इफेक्टिव होनी चाहिये और उसका स्वरूप छोटा होना चाहिये।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय नहीं हैं, उन्हीं से कहना चाहता हूं। हमारे जिले में या इस प्रदेश में एक गूजर बिरादरी है। सरकारी किताब के अनुसार उसका नाम दोनों लिस्टों में है--विमुक्त जातियों की सूची में भी और पिछड़ी

हुई जातियों की सूची में भी। सन् ६१-६२ की पुस्तिका जो बटी है उसके पृष्ठ ४८ पर परिशिष्ट ४ में है--विमुक्त जातियों के उन समुदायों की सूची जो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहते हैं। इसके क्रमांक १६ पर गूजर है। किन जिलों में हैं? जिला सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और मुजफ्फरनगर। इन चार जिलों में रखे हैं और उसी से जुड़े हुए दो जिले बुलन्दशहर और मेरठ में उनको नहीं रखा है। उनकी दलील यह है कि गूजर ऐसी बिरादरी है जो बहुत साधन सम्पन्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, बिजनौर और कम से कम हमारे जिले में तो गूजर सबसे आगे हैं। विमुक्त जातियों का पैसा प्रभावशाली लोगों में इस्तेमाल होता है। इसी पुस्तक के पृष्ठ ४९ पर परिशिष्ट ५ में आप देखें---अन्य पिछड़ी जातियों की सूची जिन्हें शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती संबंधी सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें नम्बर १६ पर गूजर है। तो इस प्रकार से जो बैकवर्ड क्लास की ग्रान्ट आयेगी उसमें भी विमुक्त जातियों की जो ग्रान्ट आयेगी, वह हिस्सेदार होंगे। इसके ऊपर विचार करना चाहिये। यदि इस पर सरकार को सन्तोष न हो तो इसका सर्वेक्षण कराना चाहिये। ४,५ जिलों के अन्दर जो इनको रखा गया है यह गलत है। इन पर रुपये का दुरुपयोग होता है। यदि देहरादून में शामिल करते तो ठीक था क्योंकि पहाड़ी गूजर जो होते हैं वह वाकई गरीब होते हैं और बेचारे किसी तरह से दूध बेचकर अपना निर्वाह करते हैं। उनको लाभ हो सकता था मगर आपने उनका जिक्र इसमें नहीं किया।

समाज कल्याण उप मंत्री (श्री गुलाब सिंह)---

जो देहरादून में रहते हैं वे बिजनौर और सहारनपुर में भी आते हैं।

श्री रामसिंह---

आर्थिक दृष्टिकोण से मैंने यह बात कही कि आपने यह विभाजन किस तरह से किया है। मेरठ और सहारनपुर में गूजर रहते हैं वे साधन सम्पन्न हैं और हमारे यहां सहारनपुर में तो सब से अधिक साधन सम्पन्न ही लोग रहते हैं। उनको आपने इसमें रखा है तो वे विमुक्त जातियों के पैसे में हिस्सेदार हो जाते हैं तो उस तरह से पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो मैंने अपने सुझाव दिये हैं इस विभाग के सम्बन्ध में उन पर मंत्री महोदय विचार करेंगे और विचार के बाद उन समस्याओं का निपटारा शीघ्र से शीघ्र करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रान्ट माननीय मंत्री जी ने रखी है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये माननीय सदस्य श्री रामसिंह ने कहा कि हमारे प्रदेश में कुल बजट ५।।। अरब का है। उसमें से ५ करोड़ १० लाख इस हरिजन ग्रान्ट के लिये रखा गया है। इस तरह से कुल बजट का सौवां भाग से भी यह कम है जब कि इस प्रदेश में हरिजनों की आबादी १९६१ की जन गणना के अनुसार २१ प्रतिशत है। इस तरह से जो इस बजट पर इनके लिये खर्च किया गया है वह बहुत कम है। इस वर्ग के लिये, जो देश और प्रदेश में सब से पिछड़ा हुआ, सबसे पीड़ित और दलित है, जो आज व्यवस्था की गई है वह बहुत ही अपर्याप्त है। साथ ही मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भाई रामसिंह जी ने इतने थोड़े बजट में भी एक रुपया छोड़कर कटौती करने की बात कही है। अगर इनका प्रस्ताव पास हो जाय तब तो इस वर्ग का कल्याण किसी तरह से भी नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आखीर में भाई रामसिंह जी इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लें लेंगे।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बजट रखा जाता है उस बजट में भी कुछ रुपया लैप्स हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि उसमें से रुपया काट लिया जाता है। आपत्ति

[श्री माता प्रसाद]

की बात तब होती है जब हरिजन कल्याण में कटौती की जाती है। पिछले वर्ष इसमें ५० लाख रुपया काट लिया गया। इस तरह से जो बजट में रखा जाता है वह भी काट लिया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस कटौती के मामले को रोकना चाहिये। सरकार आइन्दा के लिये इस पर जरूर अपना ध्यान दे जिससे यह गड़बड़ी न हो। अभी कटौती का प्रस्ताव रखते हुये भाई रामसिंह जी ने कहा कि जिलों में जो हरिजन कल्याण समितियां हैं वह बहुत ही बड़ी हैं। उनके जरिये से किसी तरह से जिले का काम नहीं हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके उन कमेटियों को छोटा कर देना चाहिये। उन्होंने जो यह सुझाव रखा है मैं बिलकुल इसका समर्थन करता हूं कि ये कमेटी छोटी हों तभी जिले का काम चल सकता है।

मान्यवर, पहले जब मैंने भाषण दिया था हरिजन मूल्यांकन समिति के बारे में निवेदन किया था। अब फिर आज दोहरा देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन् १९४५ से यह विभाग कायम है और बहुत अच्छा काम इस विभाग ने किया है। जहांतक शिक्षा का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैं बहुत अंश तक मान सकता हूं कि उसमें हरिजन तथा पिछड़े हुये पीड़ित वर्गों के लिये काफी कार्य हुआ है और उन की तरक्की हुई है परन्तु अन्य क्षेत्रों में यह तरक्की बिलकुल नगण्य रही है। जैसे पानी की व्यवस्था पीने तक के लिये नहीं हो सकी है, उद्योग की समस्या, मकानों की समस्या, इन सब में यह वर्ग आज बहुत ही खराब हालत में है। मेरा सुझाव है कि इन सब चीजों के लिये सरकार एक हरिजन कल्याण निगम की स्थापना करे और वह एक स्वायत्तशासी इकाई की तरह से कार्य करे और वह सारी हरिजनों की समस्याओं को अपने हाथ में लेकर चलाये।

हरियाणा में ऐसा निगम बना है और थोड़े दिन पहले एक सप्ताह पूर्व पंजाब की सरकार ने भी ऐसा निगम बनाने की घोषणा की है। ऐसे निगम में ही उचित रूप से इन सारी समस्याओं पर विचार हो सकेगा। आजकल जो ग्रान्ट दी जाती हैं उन के विषय में मैं चाहता हूं कि कुओं की ग्रान्ट और उद्योग धंधों को ग्रान्ट तो दी जाय लेकिन जो दूसरी ग्रान्ट में हैं जैसे मकान खरीदने के लिये २५० रुपए की हाउसिंग ग्रान्ट दी जाती हैं उस से कोई लाभ नहीं होता और उस का बहुत दुरुपयोग होता है। हमारे जिले के लिये ४ मकानों के वास्ते ४,००० रुपया दिया गया है। जिस जिले में कई सौ गांव हों और हजारों हरिजन बस्तियां हों वहां चार मकानों के लिये ४,००० रुपया देने से क्या लाभ होगा? इस तरह से कुओं और पीने के पानी की व्यवस्था को छोड़कर बाकी सब ग्रान्ट्स को अच्छा हो कि आप समाप्त कर दें और हर जिले में एक सरकारी होस्टल की व्यवस्था कर दें जहां हरिजन छात्र रह सकें और विद्या पा सकें।

इसके अतिरिक्त यह जो हरिजन कल्याण अधिकारी हैं इनका वेतन बहुत ही कम है और इस के अलावा वहां जो जिला स्तर के अन्य अफसर हैं उन सब में इनका वेतन कम है, इनकी कहीं पर भी कोई गिनती नहीं होती। जब यह अधिकारी किसी कालेज की जांच के लिये जाते हैं तो वहां के प्रिन्सपल ६००—१२०० का वेतन पाते होते हैं और इस २५०-५५० पाने वाले अधिकारी को वह किसी गिनती में नहीं गिनते, इसी तरह से जो ब्लाक के अधिकारी बी० डी०ओ० हैं उनको भी इस हरिजन कल्याण अधिकारी से अधिक वेतन मिलता है और यह लोग इनके पहुंचने पर कोई ध्यान नहीं देते। अगर इनको प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो इन का वेतन दूसरे स्तर के अधिकारियों के बराबर होना चाहिये।

एक निवेदन मैं यह भी करूंगा कि इन अधिकारियों के पास आपद काल के लिये कुछ रुपया रहना चाहिये जैसे आग लग जाय या कहीं बाढ़ आ जाय कोई गरीब मुकदमे में फंसा दिया जाय, इन सब कामों के लिये इन अधिकारी के पास कुछ रुपया रहना चाहिये ताकि आपद काल में वह गरीबों की मदद कर सकें। इसके अलावा थोड़ा सा सुधार एजूकेशन कोड में

भी होना चाहिये क्योंकि यह निरीक्षक वर्ग में नहीं आते और बगैर प्रिंसिपल की अनुमति के वह इन्टर कालेज में जा नहीं सकते, यह चीज उचित नहीं है। जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनका बहुत दुरुपयोग होता है और यह हरिजन कल्याण अधिकारी स्कूलों की इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उस को नहीं देख सकते। इसके लिये जब तक एजूकेशन कोड में व्यवस्था न होगी तब तक ठीक से छात्रवृत्तियों के वितरण, आदि की व्यवस्था नहीं देखी जा सकती। अच्छा तो यह होगा कि जब तक इस अधिकारी की संस्तुति न आ जाय कि फलां कालेज या स्कूल में फीस, छात्रवृत्ति और वेतन, आदि की व्यवस्था ठीक है और कोई शिकायत नहीं है तब तक उसको ग्रान्ट न दी जाय। अगर हरिजन कल्याण अधिकारी संस्तुति न करे तो उसको ग्रान्ट न दी जाय। यह व्यवस्था कर दी जाय तो काफी अंश तक इन हरिजन कल्याण अधिकारियों की बात सुनी जानी लगेगी और हरिजन बच्चों का कल्याण होगा।

प्रदेश में १७३ हरिजन कल्याण सुपरवाइजर्स हैं। जब कि हरिजनों की आबादी १ करोड़ ६० लाख से भी ऊपर है। करीब एक लाख हरिजनों पर एक हरिजन सुपरवाइजर पड़ता है। एक तहसील में भी एक नहीं पड़ता। एक जिले में दो या तीन हरिजन सुपरवाइजर हैं। किस तरह से वे हरिजन सुपरवाइजर जिले में जाकर जांच कर सकते हैं उन ग्रान्टों की जो दी जाती हैं? तो मैं चाहता हूं हर तहसील में एक हरिजन कल्याण सुपरवाइजर अवश्य रखिये जिससे वह देखभाल कर सके। हरिजन सुपरवाइजरों के वेतन ३० व ५० रुपये और विशेष भत्ते १५ और २० रुपये हैं जब कि वे काम करते हैं डेढ़ दो तहसीलों में। इतनी तनख्वाह में वह कितना काम कर सकता है? मैं यह भी चाहता हूं कि, मान्यवर, ये जो दो ग्रेड्स हैं इस असमानता को खत्म किया जाय। उनको ग्राम सेवक स्तर का वेतन जरूर देना चाहिये। भत्ते की बात विचाराधीन चल रही है। जैसे दूसरे कर्मचारियों को निगम के मुताबिक भत्ता दिया जाता है उसी प्रकार इनको भी देना चाहिये।

इसी तरह से राज्य स्तर पर जो निदेशालय है उसका स्टेटस भी दूसरे निदेशालयों की अपेक्षा कम है। मैं चाहता हूं कि दूसरे निदेशालयों की तरह उसका स्टेटस भी बढ़ाया जाय। समाज कल्याण और हरिजन कल्याण का विलयन हुआ था तो दोनों तरह के कर्मचारी रक्खे गये। निदेशालय में निदेशक तो एक ही है लेकिन कर्मचारियों में भेद है। समाज कल्याण के कर्मचारियों को वेतन ज्यादा मिलता है, उनको प्रोमोशन मिलता है। लेकिन हरिजन कल्याण के कर्मचारियों का वेतन कम है। एक निदेशालय के अन्तर्गत यह जो असमानता है इसको भी खत्म करना चाहिये। मैं अब आपको मुसहर कौम के बारे में बताना चाहता हूं। पूर्वी जिलों में खास तौर से जौनपुर, प्रतापगढ़, बनारस, मिर्जापुर और आजमगढ़ में यह कौम है। यह आज भी बहुत पीछे है, पिछड़ी हुई है। आज यह केवल लकड़ी तोड़ कर अपनी गुजर करती है। यह कछुवा, बिच्छू और सर्प को मार कर खाती है। इनके जीवन निर्वह का कोई ठिकाना नहीं है। इनका कोई मकान नहीं होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते है और इनकी बड़ी खराब हालत है। इनका रहन-सहन दूसरी तरह का होता है। एक तरह से इनको अर्द्ध जंगली कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मुसहर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में जरूर शामिल कर लिया जाय, क्योंकि इनका रहन-सहन, बोलचाल, रस्मोरिवाज और आर्थिक दशा औरों की अपेक्षा बहुत पीछे है। आप हरिजनों की लिस्ट में इनको रखते हैं। हरिजनों में दो जातियां हैं एक मुसहर और दूसरे भंगी भाई। इनकी हालत बहुत ही खराब है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों जातियों के लिये कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि जब तक समाज में सभी लोग समान नहीं होंगे तो हरिजनों में भी जो दूसरे लोग हैं उनका स्तर ऊंचा नहीं उठेगा। तो हमारी जो योजनायें चल रही हैं और हमारा जो उद्देश्य है कि समाज के स्तर पर सभी लोग बराबर आ जायं, अगर हम ऊपर नहीं उठाते हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा

[श्री माता प्रसाद]

नहीं होता है। इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि इन मुसहर भाइयों की तरफ विशेष ध्यान दें जिससे वे आगे बढ़ सकें।

मान्यवर, दूसरी चीज मैं सर्विसेज के बारे में कहना चाहता हूं। अभी रामसिंह जी ने सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन से ही खाली इस समस्या का हल नहीं हो सकता। आज जरूरत इस बात की है कि आपने जो रिजर्वेशन कर रखा है उसका कड़ाई के साथ पालन हो। आपने रिजर्वेशन तो तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में २५ फीसदी का कर रखा है, मगर उसका पालन हो नहीं रहा है। ३ जून, १९६४ को आपके यहां से इसके लिये जी० ओ० निकला। यह माननीया सुचेता जी की सरकार के समय में निकला था, उसके बाद गुप्ता जी की सरकार के जमाने में भी इसके लिये कई जी० ओ० निकले, मगर, श्रीमन्, आज तक उन जी० ओज० का पालन नहीं हो रहा है। सरकार को चाहिये कि वह देखे कि इन आदेशों का कड़ाई के साथ पालन किया जाय। सरकार को इसके लिये यह भी करना चाहिये कि जो जिलाधीश इसका पालन करें उनको गुड एन्ट्रीज दी जायं और जो पालन न करें उनको बैड एन्ट्रीज दी जायं। ताज्जुब तो तब होता है कि जब चपरासियों की जगह भी दूसरों को दे दी जाती हैं, उन जगहों तक पर इनको नहीं रखा जाता। जितना संरक्षण है वह पूरा नहीं होता। आखिर चपरासियों के लिये तो खास योग्यता की जरूरत नहीं होती। फिर हमारे जाति के काफी कैन्डीडेट्स आज इन्टर और हाई स्कूल पास ऐसे मारे मारे फिर रहे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। आप कह देते हैं कि स्यूटेबिल कन्डीडेट्स नहीं मिलते। आज हजारों लड़के हमारी जाति में इन्टर और बी० ए० पास मिलेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप आदेशों का कड़ाई से पालन करायें।

इसके अलावा जो हरिजन कर्मचारी होते हैं उनके साथ उनके अधिकारियों का व्यवहार भी ठीक नहीं होता। उनको खराब एन्ट्रीज दे दी जाती हैं ताकि उनका प्रोमोशन न हो सके। द्वेष की भावना उनमें रहती है। इस ओर भी सरकार को देखना चाहिये कि उनको एन्ट्रीज, बिना किसी कारण के, खराब न मिला करे। आप यदि चाहते हैं कि समाज में सुधार हो, तो उसके लिये आपको इन पिछड़ी हुई जातियों की तरफ पहले ध्यान देना होगा। २२–२३ वर्षों से सुनते-सुनते हमारे कान पक गये, मगर आज तक जो सुविधायें हमें मिलना चाहिये थीं वह नहीं मिलीं। एक तरफ तो हमें रिजर्वेशन भी मिल नहीं पाता है, दूसरी तरफ हमारे साथी नाराज होते हैं कि हम लोग यह फायदा उठा रहे हैं। उधर वे नाराज होते हैं, इधर मिलता हमें कुछ नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि हरिजनों के लिये एक कारपोरेशन बनाया जाय जो इनको मकान बनाने के लिये, उद्योग चलाने के लिये, व्यापार करने के लिये, तथा अन्य जरूरतों के लिये लम्बी अवधि के लिये बिना ब्याज पर रुपये दे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके।

श्रीमती सरस्वती देवी (जिला अल्मोड़ा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के इस अनुदान पर बोलने के लिये समय दिया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं विरोध की भावना से नहीं, वरन् कुछ उपयोगी सुझाव सरकार के सामने रखूंगी। मान्यवर, हमारा देश और प्रदेश ब्रिटिश शासन काल से ही हरिजन समाज को उपेक्षा की दृष्टि से देखता रहा है और यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। राष्ट्र पिता बापू का ध्यान हरिजनों की ओर गया, और उन्होंने देश तथा प्रदेश का ध्यान इस ओर खींचा।

मान्यवर, आजादी के २३ वर्ष बाद भी हरिजन समाज आज भी वहीं और उसी श्रेणी में है जहां आजादी से पहले था। मान्यवर, आज हरिजन के पास काश्तकारी के लिए जमीन नहीं है। वह शिक्षाहीन, रोजगारहीन और आवास हीन है। हमारे पर्वतीय जिलों में हरिजनों के लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर अधिक भूमिहीन हैं। हमारे पर्वतीय

जिले के आंगन तराई भावर में सरकार ने देश के विभिन्न भागों से आए हुए लोगों को भूमि उपलब्ध की है, लेकिन अभी तक हरिजनों को बसाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। तराई–भाबर क्षेत्र में भूमि सुरक्षित करके उनको वितरित करने की व्यवस्था की जाए और उनके आवास के लिए भी भूमि की व्यवस्था की जाए और अनुदान तथा गृह निर्माण ऋण देकर मकान बनवाए जाएं। यहां पर जो भी सरकार द्वारा सहायता दी जाती है वह जन्मजात सम्भ्रान्त कबीले के लोगों को ही मिलती है, हरिजन अब भी उपेक्षित अवस्था में पड़े हैं और पशुवत जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं।

हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में भोटिया जाति के हरिजन लोगों की बड़ी दुर्दशा है, इनकी बहू-बेटियों की दुर्दशा की भी कोई सुरक्षा नहीं है। उनको इंसानियत के नाते सम्मानित जीवन व्यतीत करने का मौका दिया जाए और विभाग द्वारा उनकी दुर्दशा की जांच कराई जाए और उसके लिए एक कमेटी नियुक्त की जाय।

श्रीमन्, पहले गढ़वाल में हरिजन सीट थी, बाद में वह खत्म कर दी गई। क्या आंकड़ों के आधार पर वहां पर पुनः रिजर्व सीट करने की सरकार व्यवस्था करेगी? बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी में कहने को कानून द्वारा एक हरिजन सदस्य को रखने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी हरिजन सदस्य नहीं है। सीमान्त जिलों के असहाय, गरीब हरिजन सहायता के लिए भटक रहे हैं, सरकार उनकी सहायता करे।

हरिजनों के लिये पेय जल की व्यवस्था नहीं है। अक्सर वहां पर पेय-जल की बड़ी कठिनाई है। उसकी उसे कोई सुविधा नहीं है। हरिजनों की शिक्षा के लिए मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहती हूं। सीमान्त जिलों में आश्रम पद्धति के विद्यालय खोले जाएं, यह बहुत जरूरी है। इस समय जो खुल रहे हैं वे उच्च भोटिया जाति के बच्चों के लिए ही सीमित हैं, हरिजन बच्चे उसमें प्रवेश नहीं पा सकते प्रौढ़ और महिला शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाए और उन्हें अक्षर ज्ञान अवश्य कराया जाए। वहां पर महिलाओं के शौचालयों आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, समाज कल्याण विभाग इस पर ध्यान देकर इसे पूरा कर सके, तो वहां की महिलाएं आपकी आभारी रहगी।

प्राविधिक शिक्षित नवयुवक बेकार पड़े हैं। मेरा निवदन है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सहकारी समितियां खोल कर उनको साधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि व अपना जीविकोपार्जन कर सके।

पर्वतीय जिलों में जहां पर इंटरमीडिएट कालेज और हाई स्कूल हैं, वहां पर छोटे छात्रावास और जहां पर डिग्री कालेज हैं वहां पर १०० छात्रों के आवास वाले छात्रावास खोले जाएं। हमारे अल्मोड़ा जिले में इन्टरमीडिएट कालेज है, और एक डिग्री कालेज हैं, वहां पर १०० विद्यार्थियों के रहने के लिए एक छात्रावास अवश्य बनवाया जाए। जिसकी जानकारी माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदया को भी है। माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदया वयोवृद्ध महिला हैं और पूज्य बापू के साथ रह चुकी हैं। वह हरिजन उत्थान की मेरा विश्वास है। मेरे पास चमोली जिले से हरिजनों की एक चिट्ठी आयी है। मैं उसको इस सदन में पढ़ना सचित नहीं समझती हूं। माननीय मंत्री महोदया को जानकारी तथा उचित कार्यवाही हेतु उनको दे दूंगी। (व्यवधान) सारांश यही है—उन लोगों का कहना है कि स्वतंत्रता के २२ साल बीतने पर भी हरिजनों की दशा यथावत् है। सरकार ने हरिजनों के लिये कुछ भी नहीं किया है। हरिजनों के नाम की बेकार डुगडुगी पीटी जाती है। चमोली में हरिजनों के साथ अन्याय और बर्बरता पूर्ण व्यवस्हार हो रहा है। मला दशोली के माणाखी गांव में जुपुल्ल मिस्त्री, गंडासू में रतनीदास के मकानों को दोपहर में जलाया गया, शासन देखता

[श्रीमती सरस्वती देवी]

रहा । हरिजनों को न्याय भी नसीब नहीं है । हरिजन युवक कार्यकर्ताओं को उनकी आवाज दबाने के लिये फंसाया जाता है । प्रेम लाल भारती, महामंत्री शोषित दल, गेन्दालाल, कोषाध्यक्ष शोषित दल को पुलिस ने परेशान किया , उनको फंसाया गया । जो भी हरिजन अपनी जाति के लिये कुछ कहता है , उनको पुलिस के माध्यम से फंसाया जाता है । पौड़ी में बलवन्त सिंह को फंसाया गया ।

हरिजनों के पास काश्तकारी के लिये जमीन नहीं है । २२ वर्षों से जमीन का प्रबन्ध नहीं हो पाया। एक और बेनीताल, सिलकोट और ग्वालदम में हजारों एकड़ भूमि फ्री सिम्पिलस्टेट के नाम से बंजर है , नदियों द्वारा बनायी गयी नयी नयी भूमि भी भूमि पतियों को दी जाती है । परन्तु हरिजन गिरि गुफाओं में रहते हैं । उनके पास मकान तक की जमीन नहीं है । नयाबाद दरख्वास्त खारिज की जाती है । अधिकारी भी जातिगत भावनाओं से प्रभावित होते हैं । पेयजल योजनायें हरिजनों के लिये नहीं हैं । एक भी हरिजन बस्ती में पेय जल की व्यवस्था नहीं हुई, जबकि अन्य लोगों को व्यक्तिगत भी स्वीकृत होते हैं । मकान के लिये १५०० रुपये अनुदान बताया जाता है, जबकि मकान का स्वीकृत मानचित्र दस हजार से कम कीमत का नहीं होता । इससे धनहीन हरिजनों को कोई लाभ नहीं होता । जिले के हरिजन १०–१२ साल आश्रम पद्धति के विद्यालय के लिये मांग कर रहे हैं परन्तु वह स्कूल उनसे सशक्त अन्य वर्ग का दिया गया जिसमें हरिजन क्षात्रों को प्रवेश के लिये प्रतिबन्ध है।

इन्ही सुझावों को रखते हुये, मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं । और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वे पुनः बजट पर विचार कर हरिजन समस्याओं को हल करने की असीम कृपा करें ।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों के लिए समाज कल्याण का अनुदान प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करने तथा कुछ सुझाव शासन को देने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस प्रदेश में तथा देश में अनुसूचित पिछड़ी जातियों का विशेष मसला है और वह है उनका उत्थान किया जाय । प्रदेशीय सरकार ने भी उनके उत्थान के लिये अभी तक जो कदम उठाये हैं वे नाकाफी रहे हैं और २२ वर्ष की आजादी के बाद भी देखने में यह आया है कि पिछड़े हुए समाज की उन्नति नहीं हो सकी । जनसाधारण में यही विचारधारा उत्पन्न होगी कि यह देश वास्तविक समाजवाद से बहुत दूर है । तत्कालीन मुख्य मंत्री से ३६ विधायकों का एक शिष्ट मंडल मिला था और उनसे यह कहा कया था कि शासन के द्वारा समय उमय पर जो जी० ओ० निकाले गये है उनके अनुसार उनका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पा रहा है । शिष्टमंडल ने १३, १४ मुख्य मांगें प्रस्तुत की उनमें से केवल एक मांग स्वीकार की गयी कि जिला स्तर पर समितियां गठित की गयीं जो देखें कि १८ प्रतिशत रिजवेशन हरिजनों को क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है ? यह आज्ञा केवल शासनादेश मात्र ही रह गयी और उन कमेटियों की मीटिंग तक नहीं हो पाई । समाज कल्याण मंत्री इस बात की जांच करायें कि उन समितियों की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गयी ? जिला स्तर पर उसकी जांच कराने को तुरन्त व्यवस्था की जाय ।

जिला स्तर पर जो हरिजन व समाज कल्याण समितियां नियुक्त की गयी हैं वर्षों से देख रहा हूं कि उन समितियों का अध्यक्ष या तो जिला परिषद् का अध्यक्ष होता था या उनके इशारे पर नाचने वाले उसके अध्यक्ष होते थे । अब जिला परिषदें भंग हो गयी हैं और हो सकता है कि जिलाधीश अध्यक्ष हों लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि जिला स्तर में जब पिछड़ी जाति क एम० एल० ए० भी मौजूद हैं तो ऐसे विधायक में से इन समितियों का अध्यक्ष उनको क्यों न नहीं बनाया जाता है? यह बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न है । रिजर्वेशन पूर्ति हेतु

जो जांच समिति बनाई गयी है अगर कोई जांच वह करती भी है तो अन्तिम निर्णय सरकार का होता है और इस प्रकार नाम मात्र के वह शासनादेश होते हैं। शासन की ओर से एक जी० ओ० ९ जून, ६९ को निकला था और यह आदेश निकला था कि १८ प्रतिशत के बजाय ४५ प्रतिशत का कोटा रिजर्व कर दिया जाय गया है और जो कमियां १८ प्रतिशत में हैं उनको तुरन्त पूरा कप दिया जाय लेकिन जब १८ प्रतिशत ही पूरा नहीं हो सका तो ४५ प्रतिशत से उसकी पूर्ति कैसे होगी? इस जी० ओ० में यह भी लिखा था कि सरकारी कार्यालयों में मितव्ययिता के आधार पर छटनी अगर की जाती है तो किसी भी दशा में हरिजन इम्पलाई नहीं निकाला जायगा चाहे वह कितना ही जूनियर क्यों न हो जब तक कि वहां १८ प्रतिशत के ऊपर उनकी संख्या न हो।

ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि राजाज्ञा होने के बावजूद भी हरिजन समाज उत्थान की जितनी बातें हो रहीं हैं उसमें बहुत खामियां हैं। यह बहुत अफसोस की बात है। मान्यवर, मेरा यह निश्चित मत है और मैं समझता हूं कि हमारे इस सदन के माननीय सदस्य भी इस विचार-धारा के होंगे कि किसी भी राजनीति में अगर कहीं बैलेन्स की बात है तो यही वर्ग है। इम्बैलेन्स हो तो बड़ी बात नहीं, मगर अफसोस की बात है आज २२ वर्ष के बाद भी उनकी उपेक्षा की जा रही है। अगर यही स्थिति रही तो मैं समझता हूं कि १२२ वर्ष तक भी इसी रफतार पर कोई उनकी भलाई नहीं हो सकती है। अभी पिछले दिनों में हमारे राज्यपाल महोदय तथा माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए अपने भाषण में जिक्र किया था। मान्यवर, मैं जिस तराई भावर.के क्षेत्र से आता हूं वह पर्वतीय इलाके का केन्द्र है और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस क्षेत्र में जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है वह है लाखों की तादाद में हरिजनों और पिछड़ी हुई जाति के लोगों का। इनके बारे में बराबर शासन से और दूसरी पार्टियों ने इस बात पर जोर दिया जाता यहा है कि इन लोगों को भूमि दी जाय और इनके आवास की व्यवस्था की जाय किन्तु उस पर कोइ अमल नहीं किया गया और न उस ओर ध्यान ही दिया गया है। वहां पर हजारों एकड़ के बड़े-बड़े फार्म हैं किन्तु वे भी बड़े-बड़े लोगों के ही पास हैं।

यदि आप वास्तव में हरिजनों का उत्थान करना चाहते थे, उसमें समानता लाना चाहते थे, बेरोजगारी मिटाना चाहते थे तो कोई वजह नहीं हो सकती थी कि उन हरिजनों को और पिछड़ी जाति के लोगों को भी भूमि दी जानी चाहिये थी। जमींदारी उन्मूलन हुआ, सीलिंग का ऐक्ट पास होने जा रहा है अतः अनिवार्य रुप से समस्त बची हुई भूमि को हरिजन भाइयों को दी जावे। सन् १९५२ में तथा १९५५–५६ में कुमायूं के हरिजन भूमिहीन कुछ जमीनें पर आकर बसे हैं, उसमें सरकार ने उनके पक्ष में एक जी० ओ० निकाला था कि उनको यह भूमि फौरन दे दी जाय किन्तु आज ८–१० वर्ष हो गये हैं अभी भी यह मामल विचाराधीन है। जी० ओ० से पूर्व का समय जोड़ा जाय तो आज लगभग १८ साल हो गये हैं अभी यह मामला सरकार के विचाराधीन ही पड़ा है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान सीमान्त जिलों की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जहां जिला हरिजन समितियों में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं वहां चमोली, उत्तर काशी और पिथौरागढ़ में अभी तक समाज कल्याण अधिकारियों की इन जिलों में नियुक्त नहीं की गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात को देखने की कृपा करेंगे और इनके उत्थान के लिये जो बजट में हजारों रुपये का प्राविधान किया गया है उसके ऊपर गौर करने की कृपा करेंगे ताकि उनकी माली हालत में सुधार हो सके। करोड़ों रुपया जहां जहां पिछड़ी हुई अनसूचित जातियों पर व्यय करके के लिये अनुदान दिया जाता है वह सरकारी अधिकारियों के सैर सपाटे में चला जाता है और प्रैक्टिकली देखने में कुछ नहीं आता है।

[श्री इन्द्रलाल]

यही हालत छात्रवृत्तियों की है । जिला स्तर पर समितियां बनाई गई हैं । २–१–विधायक भी उसमें सदस्य होते हैं । लेकिन शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हमारा सदन बैठा है और विधायक विधान सभा की बैठक में लगे हुए हैं जिला स्तर पर जानबूझ कर ऐसे समय में उनकी मीटिंग को रखते हैं । इस कारण कि उस समय में वे अपने कर्मचारियों और एजेन्टों के द्वारा जो सुझाव उनको मिलेंगे उसके अनुसार वे इस मामले को इधर-उधर कर बैठेंगे जो स्वच्छ प्रशासन के हित में उचित नहीं है ।

मान्यवर, पश्चिमी वन सर्किल और रामनगर वन खंड में जहां वन विभाग की ऐसी जमीन है जो टोंगिया सिस्टम पर दी हुई है । कई सौ हरिजन परिवार वहां से बसे हुए हैं । उसके बाद में एक बार यह तय हुआ कि टोंकिया पर जो लोग बैठे हुए हैं और बहुत दिन हो गये हैं उनको वह जमीन पट्टे पर दे दी जाय लेकिन साधारण रूप से कोई भी चीज जिस पर बाप का अधिकार होता है, उस पर बेटे का अधिकार हो जाता है । लेकिन जंगल विभाग का कहना है कि वह तो उस व्यक्ति को केवल लाइफ टाइम के लिये दी हुई है । उसके बच्चों का उस पर कोई हक नहीं है । माननीय मंत्री जी इस विषय के काले कानून में परिवर्तन कराने की कृपा करें । वैसे तो शिक्षा के नाम पर हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के लिये लाखों रुपया रखा जाता है लेकिन इन्हीं टोंगियों की आबादी में ५०० की आबादी में, एक प्राइमरी पाठशाला तक नहीं है और जिन क्षेत्रों में हरिजन पाठशालाओं के नाम पर पाठशालायें बनी हुई हैं वहां पर न तो टीचर हैं और न कोई बिल्डिंग ही है । शासन को इस ओर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।

(इस समय २ बजकर ४८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए ।)

तराई भाबर क्षेत्र में अगर कहीं किसी हरिजन का २–२ एकड़ पर भी कब्जा है तो भी शासन के ऐसे आदेश हैं कि अलादीन के चिराग की तरह से उसको एक दम निष्कासित कर दिया जाय, लेकिन बड़े-बड़े लोग जो हजारों एकड़ भूमि दबाये हुए हैं और उसका कुछ लगान भी नहीं देते हैं, उनके खिलाफ शासन कोई ऐक्शन नहीं ले पा रहा है । समाज कल्याण के नाम पर करोड़ों रुपया सरकार की ओर से खर्च किया जाता है लेकिन क्या सचमुच में कभी उनके काम में यह रुपया आ सकेगा । हरिजन और पिछड़े हुओं में अब भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास आवास की कोई व्यवस्था ही नहीं है । रुपया जो उनके लिये मंजूर किया जाता है वह क्षेत्र समितियों के नाम से बांटा जाता है । जिनमें ब्लाक प्रमुख तथा कुछ और सम्पन्न घराने के लोग होते हैं इसलिये इन समितियों में हरिजनों का कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं हो पाता है और अपने विकास का जो संविधानक अधिकार उन लोगों को प्राप्त है, वह नहीं मिल पाता । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री सियाराम (जिला एटा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री रामसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, आज आजादी प्राप्त हुए २३ साल हो रहे हैं लेकिन आज भी हरिजन समाज की वही हालत है जो अंग्रेजों के जमाने में थी । आज भी उनकी बारात को रोक लिया जाता है, उनको कुओं पर नहीं चढ़ने दिया जाता है । यह कितने शर्म की बात है ? मैं यह बता देना चाहता हूं कि उस समाज में और आज के समाज में कोई अन्तर नहीं आया है । आज भी मंदिर प्रवेश में अड़चनें पैदा की जाती हैं । जो सबका भगवान है, जिस पर सबका समान अधिकार है उसके मंदिर में भी सब को प्रवेश का अधिकार होना चाहिये । आज भी अछूत बहनों की असमत लूटी जाती है । इसका संतिया कांड एक ज्वलंत प्रमाण है । आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । समाज में आज हरिजनों के प्रति वही घृणा भाव और दुर्व्यवहार है जो पहले था ।

आजादी के २२ वर्षों के बाद भी उनके साथ कोई भी समानता का व्यवहार नहीं हुआ । आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो आज अछूतों का वही हाल है जो पहले था । आज भी वह भूख के मारे तड़प रहा है । और उसकी जिन्दगी कुत्ते की तरह है । जिस तरह एक कुत्ता जूठन

पर दौड़ता है उसी जूठन के लिये हरिजन भी दौड़ता है, कोई भी फर्क नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार ने उनके आर्थिक उत्थान के लिये कुछ मदद दी है लेकिन वह न के बराबर है। उनको जो अनुदान दिया जाता है वह गन्दे पेशों के लिये ही दिया जाता है, जैसे सुअर पालन और मुर्गी पालन। यानी सरकार चाहती है कि हरिजन हरिजन ही बने रहें। जो सुअर पालने वाला व्यक्ति होगा उसका क्या उत्थान होगा ? इसके अतिरिक्त डेढ़ सौ या ढाई सौ रुपये का ही अनुदान दिया जाता है जो बहुत ही कम है। उनको कभी कोई अनुदान हलवाई की दुकान या होटल खोलने के लिये नहीं दिया गया। उनको ऐसे ही कामों के लिये अनुदान दिया जाता है जिससे अछूत, अछूत ही रहे और उसका उत्थान न हो सके। कृषि के लिये जो अनुदान उसको दिया जाता है वह भी न के बराबर है। बैल खरीदने के लिये केवल २५० रुपये दिये जाते हैं जबकि आज एक बैल की कीमत कम से कम ५०० रुपये हैं और अगर उसको दो बैल खरीदने हैं तो १,००० रुपये के होते हैं। ट्रैक्टर वगैरह की तो नौबत ही नहीं आती। इस तरह से उसकी आज आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। अगर सरकार वास्तव में उनका उत्थान चाहती है तो हजार, दो हजार का अनुदान दे जिससे वे हल, बैल वगैरह खरीद सकें और अच्छी खेती करके अपनी उन्नति कर सकें।

जब मैं विधान सभा में बैठता हूं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में अछूतों का उद्धार होकर रहेगा लेकिन बाहर वही चीत्कार है। आज हरिजनों को कतई ग्राम समाज की परती भूमि नहीं दी जाती है। जिनके पास अधिक भूमि है, जो तगड़े हैं उन्हीं के पास सारी श्रम समाज की भूमि है और हरिजन आज भी भूमिहीन बना हुआ है, केवल दिखावे के लिये, वोट मांगने के लिये कहते हैं कि हम हरिजनों का उत्थान चाहते हैं, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और होते हैं। यदि सरकार चाहे तो अछूतों की आर्थिक स्थिति सुधरने में कोई देर न हो।

मजदूरों की हालत का तो कहना ही क्या है ? उनको तो बिल्कुल बेघरबार समझिये। वे लोग घुमक्कड़ की तरह जिन्दगी बिताते हैं। मजदूर रोज कमाता और रोज खाता है। उसके पास इतना सरप्लस पैसा नहीं हो पाता जिससे वह मकान बना ले या अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तथा अन्य सुविधायें दे सके। अगर यही हालत रही तो आप उनका आर्थिक विकास नहीं कर सकते।

जहां तक मेडिकल व्यवस्था की बात है, उसमें भी बहुत अनियमितता बरती जाती है, उसके साथ कोई रियायत नहीं की जाती है। उसके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आया जाता है और उसकी इलाज की व्यवस्था ठीक न होने से वह बेचारा बेइलाज हो, मर जाता है और इस तरह से उनकी चिकित्सा का कोई भी अच्छा प्रबन्ध नहीं है।

संरक्षण की दृष्टि से राजनीतिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। संरक्षण के अनुसार ही १८ परसेंट हमलोग यहां पर चुन कर आये हैं और इस विधान सभा में बैठे हुये हैं। अगर आज यह रिजर्वेशन खतम हो जाय तो १८ परसेंट कौन कहे, २ परसेंट भी हम यहां नहीं आ सकते हैं। रिजर्वेशन की वजह से ही हम लोग यहां १८ परसेंट दिखलाई पड़ते हैं। आज भी किसी जनरल सीट से यदि कोई हरिजन खड़ा हो जाता है तो राजनीतिक चेतना की वजह से अगर कोई उसे वोट देना चाहता है तो दबंग प्रवृत्ति के लोग उसे दबाते हैं और उसे वोट डालने से मना किया जाता है। यदि कहीं उसने वोट डाल दिया तो उसे पीटा जाता है और उसे धमकाया जाता है कि खेत तो हमारे ही हैं, रास्ते तो हमारे ही हैं, अगर तुम वोट देते हो तो तुम्हें कहीं निकलने नहीं दिया जायेगा। इस तरह से उसके साथ बुरा से बुरा व्यवहार किया जाता है, उसकी मां-बहनों को बेइज्जत किया जाता है और उनके साथ नीच से नीच व्यवहार किया जाता है। इस तरह से राजनीतिक दृष्टि से १८ परसेंट रिजर्वेशन के अनुसार हम अपनी जगह पर ठीक हैं लेकिन अगर आज रिजर्वेशन खतम हो जाय तो हमारा कहीं अस्तित्व ही नहीं रह जायेगा।

[श्री सियाराम]

अब में शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक रुपये की कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उसको क्या हरिजनों का कल्याण होगा जबकि सरकार ने इसके लिये ५ करोड़ रुपये का अनुदान रखा है? अगर ५ करोड़ रुपये को सब लोगों में बांटा जाय तो प्रत्येक व्यक्ति पर मुश्किल से २ रुपये पड़ेंगे। क्या इससे हरिजन समाज का सुधार हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं आपको एक मिसाल देकर बतलाना चाहता हूं। एक कहावत है, "माल सब तुम्हारा है, हाथ मत लगाना।" दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्तियों का विवरण देकर मैं उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि वही बात यहां पर भी किस तरह से लागू की गयी है।

१९६७-६८ में ८५.५६८ लाख रुपये की ग्रांट स्वीकृत की गयी और १२०.९०० लाख रुपये व्यय किये गये। १९६८-६९ में १२८.३०८ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी और १६०.३०५ लाख रुपये व्यय किये गये। और १९६९-७० में १५४.०० लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी जब कि व्यय केवल १२०.०० लाख रुपये किया गया। इससे साबित होता है कि जितने हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये थी १९६९-७१ में उनको नहीं दी गयी। मालूम होता है कि उनके फार्म्स लौटा दिये गये या कैंसिल कर दिये गये इसीलिये यह बचत दिखलायी गयीहै। इससे क्या फायदा है कि केवल दिखावे के लिये काम किया जाय?

अब मैं प्राविधिक शिक्षा की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। १९६७-६८ में १,००,००० रुपया अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये स्वीकृत किया गया था और व्यय ३,४६,५० रु० हुआ। १९६८-६९ में १,००,००० रु० स्वीकृत किया गया था जबकि २,९९,७०० रु० किया गया। और १९६९-७० में १,००,००० रु० स्वीकृत धन था और व्यय १,००,००० रु० हो गया। इस तरह से प्रविधिक शिक्षा के लिये वर्ष के अन्दर जो ग्रान्ट दी जाय उसमें बचत कर दी जाय और पूरा का पूरा न खर्च हो तो उससे क्या फायदा है?

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं बता देना चाहता हूं--वह हैं निःशुल्क शिक्षा के संबंध में। जो १९६७-६८ में धनराशि स्वीकृत की गयी थी वह थी ८८.३५ जो कि खर्च हो गयी थी। १९६८-६९ में १६७.३५ स्वीकृत थी और खर्च हुई अनुसूचित जाति वालों के लिए और १५७.०६ और १९६९-७० में अनुदान स्वीकार किया गया १३८ लाख का केवल। तो इतना कम रुपया इन जातियों के लिए रखा जा रहा है इससे क्या भला हो सकता है विद्यार्थियों के लिये हम देखते हैं कि प्रवेश के समय कितनी अड़चनें आती हैं। आदेश हैं कि अनुसूचित जाति वालों से फीस नहीं लेनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए लेकिन फीस बराबर ली जाती है। छात्रवृत्ति केवल २७ रुपया है जो कि इस महंगाई में "ना" के बराबर है। बजाय २७ के ५० रुपये छात्रवृत्ति एक छात्र को मिलनी चाहिये। नगरपालिका और जिला परिषद् द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती हैं उसका तो बिलकुल घोटाला हो जाता है, सही तरीके से वितरण नहीं होता। कभी-कभी अध्यापक दस्तखत छात्र से करा कर खुद उसे ले लेता है। यह सारी व्यवस्था जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा होनी चाहिए और उस पर ही पूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो छोटी क्लासों को, पांचवीं क्लास तक छात्रवृत्ति दी जाती है इसको बन्द कर दिया जाय और यह ऊंची क्लासेज के छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी जाय जिससे ऊंची क्लास वाले छात्र सुविधा प्राप्त करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

अब मैं राज्य कर्मचारियों के संरक्षण के ऊपर आता हूं। यहां पर यह संरक्षण कर्मचारियों में न के बराबर है, और बहुत कम परसेंटेज है आई० सी० एस० और पी० सी० एस० में। स्थानीय निकायों में न के बराबर है। केवल सफाई कर्मचारी जो हैं, उन्हें संरक्षण में शामिल

करके दिखाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि संरक्षण जो विभागों में है वह वास्तव में न के बराबर है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां पर मुख्य मन्त्री श्री० चरण सिंह बैठे हुए हैं, यदि सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों की स्थिति देखी जाय तो उसमें, रिजर्वेशन न के बराबर ही पाया जावेगा, और जो पूरा नहीं है। यह तो पास की बात है, फिर दूर की बात तो अलग रही।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

जरा सांस लेकर तो बोलो।

श्री सियाराम—

अधिष्ठाता महोदय, जिला एटा के अभी अमीनों के चुनाव हुए हैं। १३६ अमीन हैं, उनमें केवल एक शेड्यूल्ड कास्ट का था और उसे भी नोटिस दिया गया और उसे निकाल कर बाहर कर दिया गया। जब यह सरकार की स्थिति है तो कैसे हरिजनों का उद्धार हो सकता है? एक ओर बड़े-बड़े पोस्टरों से, भाषणों से हम हरिजन उद्धार की बात करते हैं, दूसरी तरफ सरकार की नीति है कि किसी तरह से भी हरिजन वर्ग उठने न दिया जाय। भाई रामसिंह ने कहा कि अछूत वर्ग के छात्रों को जो मेरिट में आ जाता है उसे या तो मेरिट के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है या उसे २७–२८ रुपया छात्रवृत्ति दी जाती है, गरीब होने की हैसियत से वह दी जाती है लेकिन जब वह मेरिट में आ जाता है तो उसे दोनों छात्रवृत्तियां मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तो वह गरीब है इसलिए और दूसरी उसे योग्यता के आधार पर मिली है। इसलिए दोनों ही मिलनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

श्रीमन्, पिछली तीन पंच वर्षीय योजनाएं इस देश में चलीं और उनके परिणामस्वरूप जो मूल्यांकन किया गया यहां के राजनैतिक शास्त्रियों और बड़े विशेषज्ञों द्वारा, वह मूल्यांकन यह है कि जो एक सुखी तबका था खाता-पीता जिसके पास साधन थे वह अधिक अमीर होता चला गया, अधिक सम्पन्न होता चला गया और श्रीमन्, इन तीन पच वर्षीय योजनाओं के कार्यान्वियन के पश्चात् जो निर्धन तबका था जो अशिक्षा में अपना जीवनयापन करता था वह अधिक निर्धन होता चला गया। इसका कारण क्या है? इसका विश्लेषण करते हुए विशेषज्ञों ने और अर्थशास्त्रियों ने बतलाया है कि इन पंच वर्षीय योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं केवल वे लोग जिनके पास साधन थे। उन योजनाओं का और साधनों का सम्पूर्ण उपयोग केवल वही वर्ग कर पाया। जिनके पास साधन नहीं थे वे वर्ग अधिक निर्धन होते चले गये और यदि इस विश्लेषण को हम सही मानें, और सही भी है, तो इसमें सब से ज्यादा प्रभावित जो वर्ग हुआ है वह था हरिजनों का, अनुसूचित जातियों का और पिछड़ी जातियों का। श्रीमन्, उनकी जो दशा २०, २५ वर्ष पहले थी, आर्थिक और सामाजिक, वैसी ही आज भी है। वही भेदभाव है, वही उनमें दारिद्र है, वही उनमें विपन्नता है और उसी अनुपात में अशिक्षित हैं। श्रीमन्, पिछले समय यहां एक विदेशी पर्यटक आये थे और जब उन्होंने समाज में विषमता देखी तो उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य होता है यह देखकर कि जो वर्ग सदा पीड़ित रहा है, स्वतंत्रता की प्राप्ति और समाजवाद की घोषणा के पश्चात् भी जब एक नया रुख समाज को देने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है, उसके बाद भी आज उसी विपन्नता और अज्ञानता में वह वर्ग है तो वह वर्ग विद्रोह क्यों नहीं कर देता, क्रान्ति क्यों नहीं कर देता आज की सामाजिक परम्पराओं के विरुद्ध, आज के राजनैतिक ढांचे के

[श्री कृष्ण चन्द्र]

विरुद्ध। श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है कि हरिजनों में जो धैर्य है, जो उनमें संयम है, जो राष्ट्र के प्रति उनमें आस्था है, इन्हीं की वजह से वह विद्रोह नहीं कर रहे हैं नहीं तो विद्रोह के कारण आज समाज में मौजूद हैं और उनके खिलाफ बगावत की जा सकती है। आज भी ऐसे स्थान हैं प्रदेश में जहां हरिजनों को मकान बनाने की सुविधा नहीं है। जिनका मान है समाज में आज वे हरिजनों को मकान बनाने नहीं देते हैं। श्रीमन्, आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर हरिजन किसी महाजन के मकान के सामने सिर पर टोपी रख कर नहीं जा सकता है। तो, श्रीमन्, आज भी समाज में इस प्रकार की विषमतायें विद्यमान हैं। आज भी, श्रीमन्, अगर हरिजन गांव में बाजा बजाना चाहते हैं तो वह बजा नहीं सकते।

श्रीमन्, जैसे पिछले समय में उदार दल ने आवाज दी थी, नारा किया था, कि हमें नौकरियां ज्यादा दो, मिनिस्ट्री दो, कौंसिलों और असेम्बलियों में प्रतिनिधित्व दो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हरिजनों के प्रति विश्वास और हमारे मन में जो प्रेम था वह इसी नारे में रिड्यूस हो गया है। उस समय भी जब लिबरल पार्टी सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में, सर चिन्तामणि के नेतृत्व में ऐसी मांग करती थी तब महात्मा गांधी ने कहा था कि इन नौकरियों में होने से मंत्रिमंडल में होने से, असेम्बली और कौंसिल में स्थान देने से इस देश के निर्धन आदमी का, अनुसूचित जातियों का कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक कि उनमें आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता दूर नहीं होगी, इस देश में आजादी नहीं आयेगी। जब तक हमारे समाज के आर्थिक ढांचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हो जायगा उस वक्त तक यहां निर्धन और हरिजनों का उत्थान नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, आज भी यही बात है। आज मुख्य समस्या हरिजनों के सामने, अनुसूचित जातियों के सामने है यह कि किस तरह से उनकी आर्थिक विषमता दूर हो। आज इसको सभी सदस्य, और श्रीमन्, आप भी जानते हैं कि हरिजनों के पास देहात में भूमि नहीं है। वह खेती करना चाहते हैं लेकिन श्रीमन्, उनके पास भूमि नहीं है। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। देहात की जो परती भूमि है वह उसे संपन्न व्यक्तियों ने अपने हाथ में ले रखा है और जो बाकी जमीन है वह वन विभाग के कब्जे में है। यह हरिजनों की समाजवाद की लड़ाई है। यह जो हरिजनों का संघर्ष है यह समाज को उठाने का संघर्ष है, यह वेलफेयर स्टेट के निर्माण करने का संघर्ष है। अगर सचमुच समाजवाद लाना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है तो समाज का जो सब से अधिक छोटा तबका है, निर्धन तबका है उसको उठाना चाहिए, उसको उठाना है और वह उठाया जा सकता है। वह तबका आज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आत्म निर्भर नहीं है। जब वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जायगा तो वह अपने आप सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जायगा।

आप जानते हैं अधिष्ठाता महोदय और सदन के समस्त सम्मानित सदस्य जानते हैं कि आज हरिजनों के पढ़ने की सुविधायें हैं। लेकिन कितने प्रतिशत हरिजन हैं, शहरों की बात छोड़ दीजिए, मैं देहातों की बात, श्रीमन्, कह रहा हूं, वहां कितने हरिजन बालक हैं जो उन सुविधाओं का उपयोग कर पाते हैं? वहां बाप छोटे-छोटे बच्चों को छोटी-छोटी बच्चियों को ले जाता है, मजदूरी के लिये। यद्यपि स्कूलों में उनका नाम लिखा होता है लेकिन वह उसका उपयोग अपनी विपन्नता के कारण नहीं कर पाते। यह आर्थिक विपन्नता दूर होनी चाहिए। यह विपन्नता उनकी दूर हो सकती है यदि हमारी कृषि की पालिसी सउद्देश्य हो, सालक्ष्य हो और वह यह हो कि जिनके पास भूमि नहीं है जिनके पास कृषि की सुविधायें नहीं हैं उनको जमीन दी जाय और कृषि की सुविधायें दी जायं। और ऐसा जो वर्ग है उस में ७०, ७५ प्रतिशत हरिजन या अनुसूचित वर्ग है। इस कारण इस वर्ग को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

दूसरे, मान्यवर, हरिजनों को उद्योग की सुविधा होनी चाहिये। जो हरिजन कृषि नहीं करना चाहते या जिनको कृषि की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं हो सकती हैं उनको उद्योग की सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये। हमारे यहा कितने चर्मकार भाई हैं जो चमड़े का व्यापार करते हैं।

सरकार ने बहुत से उद्योग खोले, लघु उद्योग खोले, करोड़ों रुपया उसने बाट दिया परन्तु चर्मकारों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ और दूसरे लोग इसका ज्यादा लाभ उठा ले गये। इस पर एक छोटा सा दोहा मुझको याद है। उसकी सभी पंक्तियां तो मुझको नहीं याद है परन्तु अन्तिम यह है 'बाटा बड़ा चमार है और टाटा बड़ा लुहार"। चर्मकारों में सबसे बड़ा कौन है, वह है बाटा। चर्मकार वर्ग को जो सहायता सरकार से उपलब्ध थी वह सब इस बाटा ने ले ली। पंचवर्षीय योजना में जो कुछ भी था वह चर्मकारों का इसी ने ले लिया। हरिजन भाई को अपने आप में निर्भर बनाने के लिये भूमि मिलनी चाहिये, उनको उद्योग मिलना चाहिये और जब हम यह उनको दे देंगे तब हम उनसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपने बच्चों को स्कूलों में भेज सकें। मैं सुझाव दूं कि आज इस प्रदेश में बहुत सी इंस्टीडस्ट्रीज हैं जिनमें हमारे हरिजन बालक अधिकांश संख्या में काम करते हैं जैसे जिस क्षेत्र का मैं रहनेवाला हूं वह मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है। वहां पर बीड़ी की इन्डस्ट्रीज बहुत बड़ी है। उस इन्डस्ट्रीज को स्कूल अटैच्ड टैक्स करना चाहिये और उनकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वहां पर जो से हरिजन बच्चे बच्चियां काम करते हैं उनके लिये वे स्कूल आदि की व्यवस्था करें। ४,५ घंटे वे काम करें और ४,५ घंटे वे स्कूल में भेजे जायं जिसका खर्च वह इन्डस्ट्रीज स्वयं वहन करे।

मैं माननीय मंत्राणी जी से समाज कल्याण के विषय में कहना चाहता हूं कि वे अब एक नया रुख अपनायें, नया दृष्टिकोण आना चाहिये। अंग्रेजों के जमाने में जो अनाथालय और विधवा आश्रम जिस रूप में थे आज भी हर स्थान पर उसी रूप में मिलते हैं। वे वैसे ही कायम हैं। हमने कोई नई प्रगति उससे आगे नहीं की है वे अनाथालय और विधवा आश्रम व्यापारिक संस्थानों में परिणित हो गये हैं। उनमें अनाथ और विधवा अब नहीं रहती हैं। उसमें दूसरे लोग किराये पर रहते हैं और उनसे पैसा लिया जाता है। विधवा आश्रम की भी यही बात है और अब उनका स्वरूप विकृत हो गया है। मेरे यहां भी एक अनाथालय और एक विधवा आश्रम है। वहां पर न तो विधवायें हैं और न अनाथ ही हैं। उस आश्रम के पास ५० एकड़ भूमि है, पक्की बिल्डिंग है, मैनेजर है, सरकार से उसको सहायता मिलती है लेकिन वहां पर न तो अनाथ हैं और न विधवायें ही। उत्तर प्रदेश में यह हालत है। कृपा करके इसका सर्वेक्षण करवायें, इन्क्वायरी करवायें और यह देखें कि इस प्रकार की संस्थायें कहां पर चल रही हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, श्री राम सिंह द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हम को यह आशा थी, उम्मीद थी कि इस विभाग का जो बजट है वह हमारे देश और प्रदेश के विकास में तथा उन पिछड़े और अविकसित समाज के अंगों के लिये खर्च होगा लेकिन इधर २२–२३ सालों में हमारे देश और प्रदेश का पचास प्रतिशत बजट करप्शन में गया, विकास में नहीं खर्च हुआ। इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के उन नेताओं पर थी जिनके हाथ में अब तक शासन की बागडोर रही। जो अनुदान आज सदन के सामने है, कटौती का प्रस्ताव तो एक परिपाटी है क्योंकि नियमों के अनुसार उसी के द्वारा सरकारी नीतियों की आलोचना की जा सकती है, वर्ना यह तो ऐसी मद है जिसका अनुदान जितना मांगा जा रहा है उसका चौगुना कर दिया जाना चाहिए। जिस स्पीड से आज तक इस समस्या को हल करने की कोशिश की गयी है। अगर वही स्पीड चलती रही तो हरिजनों को २४६ वर्षों में शिक्षा दे पाएंगे।

सन् १९४७ में एक प्रतिशत हरिजन शिक्षा पाए हुए थे जो आज ८ प्रतिशत है। २३ साल में यह तरक्की हुई है। तो ९२ प्रतिशत और पूरा करने के लिये २४६ वर्ष लगेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

देश की क्या प्रगति हुई ? हम तो महा पतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हरिजन, पिछड़े वर्ग और ऐसी ही अन्य जातियां मुस्लिम—इनकी समस्याओं को हम भूल गये और सारा धन खर्च किया उन्हीं लोगों के लिये जो पहले से खुशहाल थे, जिनके पास सम्पत्ति थी और हिन्दुस्तान में जो चार-पांच हजार वर्ष से उच्च वर्ग के लोग कहे जाते थे। यह जातिवाद सब से बड़ा जहर है जो प्रगति को रोक रहा है। जब तक यह समाप्त नहीं होगा तब तक हिन्दुस्तान में समाजवाद लाना एक कोरा नारा ही रहेगा। आज २३ साल की आजादी के बाद भी सरकार ने क्या किया इस जाति प्रथा को तोड़ने के लिए? कहीं भी सरकारी तरीके से हरिजनों के साथ, भंगियों के साथ उनके यहां भोज का अभियान करते हैं ? इन्टर कास्ट मैरिज करने वालों को नौकरियों में स्थान देते हैं ? या उनके यहां खाने-पीने, उठने—बैठने का व्यवहार करते हैं ? यह तीन महीने वाली जो नयी सरकार है यह भी वैसी ही है जैसी वह २२ साल वाली थी। जैसे वह गैरसमाजवादी थी वैसे ही यह भी है और हरिजन तथा पिछड़ी हुई जाति बिरोधी है।

१८ वर्ष की प्लानिंग के भारतवर्ष के आंकड़े में रखना चाहता हूं। २७७ करोड़ रुपया हरिजनों व पिछड़ी जातियों पर खर्च हुआ है। इसमें से १०० करोड़ शिड्यूल्ड कास्ट पर, १५० करोड़ जनजातियों पर और २७ करोड़ बैकवर्ड पर है। ११७ करोड़ शिक्षा में, ९१ करोड़ आर्थिक विकास में और ६९ करोड़ स्वास्थ्य और आवास में। उत्तर प्रदेश में कुल ५० लाख रुपया चौथी योजना में इस मद में है यानी १० लाख रु० प्रति वर्ष। यह तो एक तरह का लैमनचूस है। इससे तो कोई कल्याण हो नहीं सकता। यह तो हरिजनों और पिछड़े वर्ग के साथ एक किस्म का धोखा है। यह सरकार तो रिजरवेशन या समाज कल्याण विभाग केवल वोट के लिये खोल देती है। आज जो हरिजनों में क्रान्ति होती उसे रिजरवेशन के माध्यम से, यह लैमनचूस देकर, रोक दिया गया है। प्रदेश में दो करोड़ आबादी हरिजनों की होने जा रही है सन् १९७१ में और हिन्दुस्तान में १० करोड़ थी पिछली मर्दुमशुमारी में, लेकिन उनकी समस्या आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी, बल्कि और बदतर हो गयी।

इस तरह से अगर समस्याओं का हल यह सरकार करती रही तो मेरा यह खयाल है कि यह हमारा समाज पतन की ओर जायगा। इसी तरह से आप देखें कि १९४९ में प्रति व्यक्ति आय यहां पर २६० रु० थी। १९६६—६७ में वह आकर २२८ हो गई और उसके बाद १९६७—६८ में वह २४७ हो गई। इस तरह से यह हमारी प्रदेश की दशा है। यह प्रगति के आंकड़े हैं। इनसे जाहिर होता है कि यह प्रदेश पिछले २२, २३ सालों के अन्दर उन्नति की ओर न जाकर पतन की ओर गया है। अगर यह सरकार इस तरह से प्रगति करती रही तो हम इसको समाजवादी सरकार नहीं कह सकते हैं। यह बिलकुल एक पूंजीवादी सरकार ही कही जा सकती है।

जहां तक शिक्षा का संबंध है आप देखें कि हरिजनों के ९ और १० कक्षा के छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। जो छात्र ७० फीसदी से ऊपर नम्बर पायेगा उसी छात्र को ये छात्रवृत्तियां मिल सकती है। अगर संविधान की धारा ४५ के अनुसार सबको अनिवार्य रूप से शिक्षित करना है तो निःशुल्क शिक्षा देना पड़ेगी। हाई स्कूल तक कम से कम यह शिक्षा निःशुल्क तो जरूर ही होनी चाहिये। और प्रथम श्रेणी का लिहाज नहीं करना चाहिये। सब हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देना चाहिये। मैं एक उदाहरण को जानता हूं कि बाराबंकी का केस है और इलाहाबाद का भी है कि ७, ८ लड़कों ने दरख्वास्त दी लेकिन उन लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई। उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया उनसे यह कह दियां गया कि तुम्हारे नम्बर ७० फीसदी से कम आए हैं। उनको नहीं मिल पाई।

इस तरह की व्यवस्था सरकार को नहीं करनी चाहिये। जो कक्षा ९ और १० के हरिजन छात्र हों या पिछड़ी जाति के हों उन सबको यह छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये। हरिजन कल्याण अफसर ने हमको यह जवाब दिया कि ७० फीसदी से एबव वालों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। ४, ५ सौ साल से जो दबे हुए

(इस समय ३ बजकर २७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

चले आ रहे हैं वे एकदम से सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक उन्नति कैसे कर सकते हैं। वे ७० फीसदी से ऊपर नम्बर कैसे पा सकते हैं।

भारत सरकार ने एक बैकवर्ड कमीशन नियुक्त किया था। उसने सारे भारतवर्ष में भ्रमण किया और उस पर करीब २ लाख रुपया खर्च हुआ। उसने अपनी रपट १९५५ में सबमिट की। उसकी सिफारिशों को आज तक न तो भारत सरकार ने और न प्रान्तीय सरकार ने लागू किया है। अगर उसकी सिफारिशों को लागू कर दिया जाता तो ९० फीसदी हरिजन और पिछड़ी जातियों का कल्याण हो गया होता। उसमें एक सिफारिश यह थी जिसकी वजह से जवाहर लाल ने उसको ठुकरा दिया। वह सिफारिश मजारिटी की तरफ से आई थी। वह यह थी कि कम से कम इस देश का शासन हरिजन या पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि के हाथ में दे दिया जाय। उनके प्रधान मंत्री हों और उनके ही मुख्य मंत्री प्रान्त में हो। तभी इन जातियों का कल्याण होगा और इनका सामाजिक स्तर ऊंचा होगा। लेकिन इस सिफारिश को जवाहर लाल जी ने ठुकरा दिया था।

उसमें यह भी था कि ७० फीसदी रिजर्वेशन पिछड़ी जाति और हरिजन वालों को दिया जाय। मगर यह सरकार उस नम्बर को बढ़ाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। जो नम्बर उनको मिलते हैं उसमें भी कम हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में वे पढ़ते हैं तो वहां भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। यही हाल नौकरियों का भी है। संविधान के आर्टिकिल १६(४) में यह दिया गया है कि अगर पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व राज्यों में किसी वजह से काफी नहीं है तो यह सरकार लेजिस्लेशन करके या राजाज्ञा देकर वह रिजर्वेशन कर सकती है। यहां पर जब मुख्य मंत्री जी ने १७ फरवरी को शासन भार संभाला तो २१ तारीख को मैंने उनको एक पत्र लिखा था कि २२ साल हो गये हैं अभी तक इस आर्टिकिल को लागू नहीं किया गया है तो आप इसको लागू करने का प्रयास करें। इसको मैंने कहीं भी नहीं देखा है और न गवर्नर महोदय के भाषण में स्वीकार किया गया है और न कोई घोषणा ही की गई है। गुप्ता जी ने हरिजनों के लिये एक योजना बनाई थी लेकिन बाद को उसका भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। यह सरकार जिस संविधान के अनुसार यहां पर चल रही है उसी संविधान की यह हत्या कर रही है।

इसलिये मैं इस आर्टिकिल पर जोर दूंगा और मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि वह आज ही घोषणा करें कि वह इस आर्टिकिल के अनुसार उनका रिजर्वेशन करेंगे। इसमें लिखा है कि "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।" इस आर्टिकिल के अनुसार एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ए० आई० आर० ६३ दिया हुआ है और वह पेज ६४२ पर छपा है और इसी तरह से सन् ६८ का फैसला पेज १२८३ पर छपा है। अगर यह फैसले हैं तो आप अपने कानूनी विभाग से राय ले लें और इस रूलिंग के मुताबिक वह बगैर किसी विधेयक के यहां लाए हुए ही एक आदेश से ही यह रिजर्वेशन कर सकते हैं। उनके सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए वह ऐसा कर सकते हैं और वह एक जायज और वैलिड चीज कानून की दृष्टि से होगी और वह संविधान के भी अनुकूल होगा। मालूम होता है कि सरकार का ध्यान इस अनुच्छेद १६(४) और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की तरफ नहीं गया है।

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

इन पिछले वर्गों के लोग आई० ए० एस०, आई० पी० एस० व अन्य बड़ी नौकरियों में नहीं आ पाते और उनका कहीं भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता ।

कहा जाता है कि यह लोग अयोग्य होते हैं । इस संबंध में डा० राम मनोहर लोहिया ने जो कहा था वह मैं आप के समक्ष रख दूं । उन्होंने कहा था कि यह जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको कि ५ हजार साल से दबा कर रखा गया है, उनकी यदि हम योग्यता ही देखते रहे, उनकी पूरी क्वालिफिकेशन हो तभी उन्हें आगे बढ़ाया जाय तो इस तरह से तो हम इस वर्ग को कभी भी ऊपर नहीं उठा सकेंगे । अगर सरकार को इस पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना है तो वह इस नीति को लागू करे कि जिस तरह से एक मरीज को सब परिवार के लोग अपनी सारी सुख-सुविधा को समाप्त करके अपने मरीज के लिये मुसम्मी और अनार का प्रबन्ध करते हैं उसी प्रकार इस समाज के अंग को भी हमें ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिये । इसके लिये हमें उनके साथ एक विशेष नीति को अपनाना होगा । इसी तरह से दफा १ है जिसमें हरिजनों को भूमि देने का जिक्र है । आपने जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में इसके लिये दफा १९८ बनाई और आप कहते हैं कि हम हरिजनों के मित्र हैं लेकिन आप उसके मित्र नहीं दुश्मन हैं । आपने हरिजनों को नम्बर २ पर रखा है और अगर आप उसको नम्बर १ पर रखते तो हम आपको हरिजनों का हितैषी कहते । उसमें पहली प्राथमिकता स्कूल आदि के लिये दी गई और दूसरे नम्बर पर हरिजनों को रखा है, आजादी के बाद जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने फर्जी तौर पर स्कूल खोलकर कितनी ही जमीन उनके नाम करके कब्जा लिया और उनके नाम होने से अदालतें भी कुछ नहीं कर सकतीं । यदि इस दफा १९८ को संशोधित करके पहली प्राथमिकता यदि हरिजनों को दी जाय तो इस समस्या का हल हो सकता है ।

इसी तरह से प्रदेश की सीलिंग की जमीनों की बात है और गांव सभाओं की भूमि की बात है । वह हरिजनों को नहीं दी गई । मैं चाहता हूं कि इन भूमियों का युद्ध स्तर पर बटवारा हो और इस काम के लिये बहुत सख्ती के साथ सरकारी अधिकारियों को जिमेम्दार बनाया जाय और कहा जाय कि अगर ३० जून तक इन जमीनों का ठीक से बटवारा नहीं किया गया तो तुम्हारे खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा और नौकरी खत्म कर दी जायगी । एक तरफ आज भी ग़रीब हरिजन भूखों मरते हैं और दूसरी तरफ हम बड़े-बड़े वेतन लेते हैं, रोज उसको बढ़ाते जाते हैं, मिनिस्टर लोग यहां बंगले और ख़स की टट्टियों में रहते हैं । अभी तक हरिजनों के लिये पीने के पानी तक की समुचित व्यवस्था नहीं है । मुट्ठी भर लोगों की तमाम शानोशौकत पर व्यय होता है और गरीबों की तरफ ध्यान नही जाता । यदि इसी तरह की नीति रही तो यह राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता । पिछले २० सालों में बिरला तो ५० करोड़ से ५०० करोड़ की हैसियत का हो गया, अमीर और अमीर होता गया, जब कि दूसरी तरफ गरीब और निर्धन ही बना है । जब मैं हरिजनों के लिये इन सुविधाओं की बात करता हूं तो यह उनके लिये कोई दान नहीं मांग रहा हूं, यह तो उनका अधिकार है । आज अगर हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग चाहें तो हर तरह से सरकार को झुका सकते हैं । उनके यहां ८९ एम०एल०एज० हैं और वह चाहें तो अपनी सारी मांगों को पूरा करा लें । इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुझसे पहले जो पूर्व वक्ता सियाराम जी और कृष्ण चन्द्र जी शर्मा बोले उन दोनों साहबों ने विशेष रूप से यह कहा कि हरिजनों की दशा जो आज से २२ साल पहले थी, वही आज है । दूसरी नहीं है । श्रीमन्, मैं भी आपके माध्यम से इस सदन को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और सरकार को यह बताना चाहता हूं कि मेरा भी यह विश्वास है कि जो हरिजनों की दशा आज से २० या २२ साल पहले थी वही दशा आज है और उसका कारण मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि मैं दोषी सरकार को ही ठहराता हूं। श्रीमन्, मैंने कुछ बजटों को देखा। बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है हरिजन उद्धार के लिये, हरिजनों के उत्थान के लिये। सरकार बड़ी प्रयत्नशील है। लेकिन अगर बजट को देखें आप तो जो ४७–४८ में जितना बजट हरिजनों के कार्य के लिये अंग्रेज सरकार देती थी हमारी सरकार से पहले, उसी प्रोपोर्शन से आज हमें मिल रहा है, बल्कि और कम मिल रहा है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करूं, इस समय जो हमारा बजट है वह करीब साढ़े चार अरब का है जिसमें हरिजन और पिछड़ी जातियों तथा समाज कल्याण के लिये जितना प्राविजन किया गया है वह ५,४९ हजार है यानी कुल बजट में ५,४९ हजार। इसमें भी पिछड़ी जातियों और समाज कल्याण का हिस्सा अगर निकाल दिया जाय तो लगभग चार लाख बैठता है। चार लाख साढ़े चार अरब का आठ बटा नौ प्रतिशत है। सन् १९४७–४८ में श्रीमन्, हमारे प्रदेश का कुल बजट ५० करोड़ ५७ लाख का था और उसमें हरिजन विभाग के लिये बीस लाख रुपये था। यानी कुल बजट का दो बटा पांच। यानी उस समय दो बटा पांच फी सैंकड़ा। उसम केवल हरिजन जातियों के विद्यार्थियों की फीस माफ होती थी और वजीफा मिलता था। आज आठ बटा ९ है जब कि उसमें अलग एक डायरेक्टोरेट है, अलग उसके कर्मचारी है, अलग हरिजन सहायक अफसर हैं। इसमें से आधा खर्चा निकाल दें तो रहता है तीन बटा आठ। इस तीन बटा आठ में कितनी मदें लगा दी हैं। उसमें केवल फीस माफ और वजीफा था। आज मदें लगा दी हैं, इन्डस्ट्रियल ग्रांट, एग्रीकल्चरल ग्रांट हाउसिंग ग्रांट, पानी पीने पीने के कुंए, इत्यादि, इत्यादि। अगर उस हिसाब से सोचा जाय कि इतनी मदों को बढ़ाकर सरकार बजट रख रही है तो कम से कम उस बजट का एक प्रतिशत उस समय था १९४७–४८ में। उससे इसमें कम से कम दस गुना होना चाहिये तब इसका कुछ काम हो सके। गरीब की दशा जो आज से २२ वर्ष पूर्व थी वही आज भी है। सरकार ने इनके महत्व को नहीं समझा है। जब हमारी समाज कल्याण मंत्री महोदया बोल रही थीं तो उन्होंने एक शब्द इन्फीरियारिटी काम्पलेक्स का कहा था, मैं उससे सोलह आने सहमत हूं। यह हीन भावना जरूर इस विभाग में चल रही है और वह नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक है। इस हरिजन विभाग का जो जिलाधिकारी होता है उसको थर्ड ग्रेड के आदमी की तरह समझा जाता है। उसकी कोई सुनता ही नहीं है। केवल एक दफ्तर जरूर खुला रहता है जो खाली भुगतान आदि का काम करता है। उसको कोई इन्स्टीट्यूशन वाले भी कोई घास नहीं डालते हैं। जो इस विभाग के डायरेक्टर होते हैं वे आइ० ए० एस० होते हैं, मगर और डायरेक्टरों की अपेक्षा इनको हीन भावना से देखा जाता है क्योंकि यह हरिजन विभाग के हरिजनों के डायरेक्टर होते हैं। यही बात मंत्रियों के संबंध में भी है। मैं समझता हूं कि जब तक सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को इस विभाग का मंत्री नहीं बनाया जायेगा तब तक वह कोई कार्य करा ही नहीं सकता।

आज अगर समाज कल्याण मंत्री चाहे तो १८ प्रतिशत का रेजर्वेशन पूरा करा सकता हैं। अगर वे चाहें तो हरिजनों की समस्या शीघ्र हल हो सकती है। आज हमें ८-९ रुपये मिलते हैं। इसमें से भी आधा पैसा तो इस्टेबिलिमेंट में ही चला जाता है। इस प्रकार देखा जाय तो सौ रुपये में आठ आना ही हम लोगों पर खर्च होता है। इसका भी किस तरह से दुरुपयोग होता है यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश भर में १०–१० हजार रुपये की लागत के हरिजनों के लिये छात्रावास बनने थे। १२७ छात्रावास बने भी। लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने यह नहीं देखा कि इन छात्रावासों में एक भी हरिजन छात्र रह भी रहा है या नहीं या इनका किस तरह से उपयोग हो रहा है। आज उनमें

[श्री कन्हैया लाल]

क्लासेज चल रहे हैं। आज एक भी छात्रावास ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें छात्र रह रहे हों। मेरी चुनौती है, माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायें। वे सब भ्रष्ट तरीके से दिये हुए हैं।

इसके अलावा, मान्यवर, यह सभी छात्रावास ग्रामीण अंचल में बने हुए हैं जहां पर कि इनकी आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि आज शिक्षा का प्रसार गांव में इतना हो गया है कि हर ४ मील पर इन्टर कालेज हो गये हैं और साइकिलों पर स्टूडेंट्स आ जा सकते हैं। छात्रावासों की उनको गांवों में आवश्यकता ही नहीं है, उसकी उनके लिये कोई उपयोगिता नहीं है। पहले तो मैं इस नीति से ही सहमत नहीं हूं। हरिजनों के लिये अलग छात्रावास नहीं होने चाहिये, छात्रावास सभी के लिये सम्मिलित होने चाहिये। लेकिन अगर किया भी जाय इस प्रकार से तो यह जिला हेडक्वार्टर्स पर रखा जाना चाहिये, जहां पर बड़ी-बड़ी शिक्षा संस्थाएं हैं। तीसरी योजना में जितने भी छात्रावास बने, सभी का रुपया बेकार गया और जा रहा है। पिछले वर्ष की बात है, यहां से हरिजन छात्रावासों के लिये कुछ अनुदान मिलता था। मथुरा जिले में एक संस्था बनाई गई और उसने छात्रावास बनाने के लिये अनुदान की दरख्वास्त दी, क्योंकि वह छात्रावास चलाना चाहते थे। मान्यवर, मथुरा में इन्टरमीडिएट कालेज २७, पोस्ट डिग्री कालेज २, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज २, एल० एल० बी० कालेज १ व पोलीटेक्निक कालेज एक है। इस प्रकार से वहां पर तमाम शिक्षा संस्थाएं हैं, इसलिये वहां पर होस्टल की बहुत बड़ी जरूरत है। किन्तु हुआ यह है कि विभाग द्वारा इस संस्था को रुपया नहीं दिया गया। इसके विपरीत विभाग द्वारा माठ तहसील में छात्रावास बनाने के लिये फर्जी तौर से रुपया एलाट कर दिया गया। जबकि वहां पर कोई संस्था नहीं थी, लेकिन रुपया जाली तौर से दे दिया गया। यह नमूना है आपको डाइरेक्ट्रेट का कि किस प्रकार से अब तक हुआ है। ऐसे अधिकारियों का प्रासीक्यूशन होना चाहिये। लेकिन यह चल रहा है, हरिजनों के नाम पर चल रहा है। जबकि कहा यह जाता है कि हरिजनों पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है।

अब मैं दो शब्द मौजूदा इन्तजाम के बारे में कहना चाहता हूं। शिक्षा संस्थाओं को जो रुपया दिया जाता है, उसका सदुपयोग नहीं होता है। लड़कों को वजीफा का रुपया अप्रैल-मई में दिया जाता है, साल भर वे किसी तरह से गरीबी में, मजबूरी में अपनी पढ़ाई चलाते हैं। अप्रैल—मई में जो रुपया दिया जाता है उसका उपयोग पढ़ाई के काम में न होकर अन्य कामों में होता है। इसलिये मंत्री जी ऐसा इन्तजाम करें कि वजीफे का रुपया अगस्त-सितम्बर तक मिल जाना चाहिये, ताकि हर छात्र उसका उपयोग पढ़ाई-लिखाई में, कपड़े आदि बनवानेमें कर सके। इस प्रकार से देर में इतने रुपया देना बला को टालने के समान है। श्रीमन्, जो शिक्षा संस्थाएं हैं, वहां जो स्टाफ है, वह उसका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं करता है और वह इस भावना से काम करता है कि जैसे यह रुपया उनकी जेब से जा रहा है। लड़कों को परेशान करते हैं, बिल गलत बनाते हैं, कभी उनको फटकारते हैं। यदि शिक्षा मंत्री जी यहां होते तो मैं उनको बताता। शिक्षा मंत्री जी को और सभी मंत्रियों को यहां होना चाहिये था क्योंकि इस ग्रांट का सभी से वास्ता है। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जहां पर समय पर हरिजनों को उसको पैसा नहीं मिलेगा उनको अनुदान आदि देने में डिसक्वालीफाई किया जाय।

एक बात यह कहनी है कि इन्डस्ट्रीज लोन दिया जाता है। किन्तु सही बात यह है कि ढाई सौ रुपए में कोई उद्योग नहीं चलाया जा सकता। इतने में तो उद्योग के औजार तक नहीं आ सकते और काम कहां से होगा। इसके लिये कई हजार रुपये चाहिये। मैं निवेदन करूंगा या तो इसे कतई बन्द कर दिया जाय या इस रकम को बढ़ाकर ऐसी रकम रखी जाय, भले ही एक जिले में एक ही आदमी को ऋण मिले, कि ऋण प्राप्त कर्त्ता उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सके। ऐसा होने से वह उसको खाकर बैठ रहता है और उसका कोई उपयोग नहीं होता है। हरिजनों को जमीन नहीं दी जाती है और दूसरे लोगों को दी जाती है। यह प्राविधान होना चाहिये कि जो भी भूमि खाली है वह हरिजनों को मिलेगी। दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार

की व्यवस्था की गई है कि हरिजनों की जमीन को अन्य लोग नहीं खरीद सकते हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा विधेयक लाये गये लेकिन हमारे प्रदेश में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है, अभी जन जाति के लिये बनाया है इसको हरिजनों के लिये बनाया जाय ताकि गांव में जो हरिजनों के पास थोड़ी बहुत जमीन है, वह सुरक्षित हो जाय।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामसिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं और आपके माध्यम से माननीया समाज कल्याण मंत्री महोदया की सेवा में कुछ सुझाव प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले मैं यह पुस्तिका १९६१–६२ की जो हरिजन कल्याण विभाग की ओर से छपी है उसकी त्रुटियों की तरफ ध्यान आकर्षित कराऊंगा और आशा करूंगा कि इसको देखकर मंत्री महोदया इसका सुधार करने की कृपा करेंगी। इसमें अनुसूचित जातियों की सूची १९६१–६२ की है जिसमें लिखा है कि जो व्यक्ति हिन्दू अथवा सिक्ख धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित है अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायगा। मैं जानकारी कराना चाहता हूं कि यह जो सूची है अनुसूचित जातियों की उसमें ५० नम्बर पर लालबेगी जाति लिखी है। मैंने समस्त प्रदेश में इसकी जांच की, कहीं कोई लालबेगी जाति का ऐसा बच्चा नहीं मिला जो हरिजन कहलाता हो या जिसको हरिजनों की छात्रवृत्ति मिलती हो, या जिसकी फीस माफ हो। लखनऊ शहर में कुछ परिवार लालबेगी जाति के रहते हैं जिनकी कैसरबाग में अलग मस्जिद है, उनके यहां निकाह होता है और उनके घर में महिलाएं बुरका भी पहनती हैं। तो इसका सुधार कर लें। मंत्री महोदया, दूसरे मुसलमान वर्ग में जो पिछड़ी जातियों की सूची है उसमें समस्त जातियों के मैंने नाम पढ़े हैं, हज्जाम, नक्काल, बढ़ई, दरजी, वगैरह हैं, इनमें धोबियों का नाम नहीं है। मुसलमान समाज में कपड़ा धोने वाले भी हैं। जहां मैं रहता हूं उसके आस-पास १५–२० परिवार हैं। इससे तमाम सरकारी सुविधाएं जो पिछड़े वर्ग को मिलती हैं मुसलमान समाज को, उनसे यह तबका वंचित रह जाता है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदया वह देख लें और सुधार कर लें।

अब मैं वहां से शुरू करूंगा, प्रदेश के उन दफ्तरों से जहा से प्रदेश के हरिजनों को सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुझे एक बार इत्तफाक पड़ा, यहां लखनऊ हरिजन कल्याण विभाग के अधिकारी के दफ्तर में जाने के लिए। वैसे उससे पहले कई बार इरादा किया लेकिन मैं घबड़ा गया, जा नहीं सका। बड़ी छोटी से गली, बिल्कुल सीधी सीढ़ी मेरे जैसा ६२ साल का बुड्ढा ऊपर चढ़ने में परेशान हो जाय। मैंने सोचा यह दफ्तर कितना ऊपर रखा है यहां हरिजन अपनी सुविधाओं के लिए कैसे पहुंच पाते होंगे। वहां पहुंचने पर पता चला कि उस दफ्तर में टेलीफोन नहीं है। लखनऊ के कार्यालय की ही यह हालत नहीं है, हरदोई में भी यही हालत है। नीचे प्लानिंग आफिस में टेलीफोन हैं और जो हरिजन कल्याण अधिकारी है वह ऊपर बैठता है। हरिजन कल्याण अधिकारी के पास कोई जरूरी काम आ जाय, कोई टेलीफोन आ जाय तो वह नीचे ऊपर आये जाये। मैंने देखा है कि उनके दफ्तरों में टेलीफोन नहीं होता जिससे हरिजनों के कार्य में बड़ी बाधाएं पड़ती हैं। मेरा सुझाव है कि बहुत शीघ्र हरिजन अधिकारियों के दफ्तर में टेलीफोन की व्यवस्था करवाने की कृपा की जाय।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि समाज कल्याण एवं हरिजन कल्याण अधिकारी को अपने कार्यालयों से ३०–४० मील देहात में जाकर हरिजनों की समस्याओं को देखना पड़ता है। अगर धनाभाव के कारण जीप देना इस सरकार के लिये संभव न हो तो बैंक से कर्जा दिलाकर मोटर साइकिल की व्यवस्था कर दें तथा शहरी भत्ता उनको प्रदान किया जाय ताकि

[श्री कन्हैया लाल वाल्मीकी]

वे देहातों व शहरों में घूम-घूम कर हरिजन कल्याण के कामों को देखें और उस समाज को फायदा पहुंचायें। एक माननीय सदस्य ने हरिजन अधिकारियों की हीन भावना का जिक्र किया। मैं भी उसका समर्थन करता हूं। २५ साल पहले जो हरिजन अधिकारी अथवा प्रोबेशन आफिसर भर्ती हुआ उसी जगह से उसने अवकाश प्राप्त किया अथवा प्राप्त करने वाला है। उनको किसी प्रकार की प्रोमोशन की सुविधा नहीं है जब कि मैं जानता हूं कि उसमें से कुछ पोस्ट ग्रेजुएट तक हैं। श्रीमन्, देखा जाय कि २५ वर्ष पूर्व नियुक्त पुलिस दरोगा डिप्टी जेलर और नायब तहसीलदार मे से अधिकतर इस समय क्लास वन के पद पर कार्य कर रहे हैं। लिहाजा सब इन्सपेक्टर नायब तहसीलदार अथवा असिस्टेंट जेलर की तरह उनके लिये भी प्रोमोशन की व्यवस्था की जाय जिससे वे संतुष्ट रहें और इस सबसे गिरे हुये समाज का कल्याण कर सकें।

श्रीमन्, हरिजन विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति मिलती है वह तब मिलती है जब वह परीक्षा दे चुकते हैं। इस चीज का कड़ाई से पालन किया जाय ताकि उनको ठीक समय से छात्रवृत्ति मिल सके। हरिजन समाज को जो सुविधायें देहातों में मिलती हैं वही सुविधायें अगर शहर में बाल्मीकी समाज को उपलब्ध हो सकें तो बहुत सी कठिनाइयों से वह बच जायंगे और उनको सन्तोष होगा कि समाज में उनका भी कोई स्थान है। जैसे देहातों में कुवें आदि के लिये कुछ अनुदान मिलते हैं। मेरे क्षेत्र में पिहानी कस्बा है वहां एक घुरई बाल्मीकी है। उसके यहां मैं ८, १० दिन जब अपने क्षेत्र में जाता हूं तो अड्डा लगाता हूं। १५ साल से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं नगरपालिका के अध्यक्ष व सेक्रेटरी से लेकिन उसको पानी की सुविधा नहीं दिला सका। वह अपने घर से १ फर्लांग पर जाता है और खेत में जो टूटा फूटा कुवां है और बरसात में तो कमर कमर तक पानी हो जाता है उससे वह पानी लाता है हमारे पीने के लिये तथा स्नान कराने के लिये। अगर हैण्ड पम्प की सुविधा देहात की तरह उसे वहां उपलब्ध हो जाय तो यह दिक्कत दूर हो जाय।

इस पुस्तिका में हर तरह से हमदर्दी दिखायी गयी है मेहतर समाज के लिये कमाल कर दिया है सरकार ने लेकिन कहावत है कि 'रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई'। उनको वहीं का वहीं रखा भी और यह भी जाहिर कर दिया कि मेहतर वर्ग का बहुत ज्यादा सरकार खयाल करती है। यह पुस्तिका सन् ७० की है। इसमें लिखा है कि अनुसूचित जातियों में मेहतरों की दशा अत्यन्त दयनीय होने के कारण इनके लिये उचित आवास की व्यवस्था हेतु एक पृथक योजना कार्यान्वित की जा रही है। तो यह बड़ी मेहरवानी की बात है कि ऐसा किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों को जो अनुदान मकान बनाने के लिये दिया जाता है वह तो सीधे समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दिया जाता है किन्तु बदकिस्मत मेहतर को नगरपालिका, महापालिका, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया के चेयरमैन तथा स्थानीय निकायों के द्वारा अनुदान दिये जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि वे इसमें अपना अंशदान भी मिलावें इसके बावजूद भी इन मेहतरों को किराया उस मकान का देना पड़ता है। यदि उनकी नौकरी खत्म हो जाती है तो उन्हें उस मकान से भी निकाल दिया जाता है। मैं कहता हूं कि यह कहां का इन्साफ है। ऐसी पुस्तिका हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा छपवाई जाती है। तो मैं माननीया समाज कल्याण मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि उनको मकान बनाने के लिये सीधे अनुदान दें। उनको यह अनुदान अलग से दिया जाय जो समाज कल्याण अधिकारी की देख-रेख में हो ताकि वे अपना गृह निर्माण कर सकें।

अब मैं इन बाल्मीकि मेहतरों के बच्चों के बारे में एक प्रार्थना यह करूंगा कि उनके बच्चों को कम से कम १४ साल की अवस्था तक किसी काम पर न लगाया जाय। नगरपालिका में ऐसा किया जाता है कि छोटे-छोटे बच्चों से सफाई का काम लेते हैं। यहां पर भी लखनऊ और कानपुर में तथा बड़े बड़े कवाल टाउन्स में ऐसा किया जाता है। जो शिविर होता है उसमें इन छोटे बच्चों को नगरपालिका की तरफ से रखा जाता है जिसमें वे लम्बे-लम्बे बांस के डंडों से नालियों को साफ करते हैं। इसका नतीजा बहुत खराब होता है। बच्चे की आंखें खराब

होती हैं और कितने ही बच्चे मर भी जाते हैं। इससे वे आगे चल कर समाज की सेवा करने से वंचित रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन छोटे-छोटे १६ साल तक के बच्चों को इस नौकरी में न लिया जाय। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि दस-दस, बारह-बारह और चौदह-चौदह साल की लड़कियां कमर या सिर पर मैला ढोते हुये काम करती हैं और मोहल्लों और प्राइवेट घरों में कूड़ा साफ करती हैं। इन पर रोक होनी चाहिए और सरकारी आदेश के अनुसार इन पर रोक लगनी चाहिए।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इन लड़कियों को अनिवार्य रूप से सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाय और उन्हें अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दी जाय। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि इस देश के निर्माता प्रातःस्मरणीय राष्ट्रपिता बापू का यह मुख्य उद्देश्य था कि इस मुल्क से यह छुआ छूत दूर हो। आज हम गांधी शताब्दी समारोहों में हजारों रुपया लगाते हैं। वहां पर बड़े-बड़े लच्छेदार भाषण होते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से, और यह मालूम पड़ता है कि शायद इन्होंने महात्मा गांधी को भी कुछ सिखलाया होगा। किन्तु जब लड्डू बंटने का समय आया और देखा कि उन लड्डुओं को एक बाल्मीकि बांट रहा है तो आहिस्ता-आहिस्ता वहां से लोग गायब होने की कोशिश करते हैं। इसमें बड़े-बड़े अफसर भी होते हैं। श्रीमन्' मैं इसी वर्ष की हरदोई शहर की बात आपको बता रहा हूं।

हरदोई में गांधी शताब्दि के अवसर पर हरिजन बस्ती में एक जल्सा हुआ और वहां पर सफाई कर्मचारी एक मेहतर से लड्डू बटवाये गये। जब जल्सा समाप्त हो गया तो वहां के लोगों ने अधिकारियों के जाने के बाद उसको पीटा और कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि खाने पीने की चीज को बांटे। भला उसमें उस बेचारे का क्या कसूर था। श्रीमन् हमारे बापू की आत्मा हमें स्वर्ग से बैठी हुई आशीर्वाद देगी कि उनके शुरू किये हुए कार्यों को हम पूरा करें और छुआ-छूत का समूल नाश हो। मान्यवर, मैं इसके समाप्त करने के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जिलों में जितने सरकारी आफिस हैं, या सेक्रेटेरियट है या और दफ्तर हैं उन दफ्तरों में जो मेहतर कर्मचारी रखे जाते हैं उनको ३ साल के बाद फर्राश बना दिया जाय, ५ साल के बाद उनको चपरासी व दफ्तरी बना दिया जाय और अगर कोई हाई स्कूल पास कर ले तो उसको क्लर्क बना दिया जाय और खास कर कुछ बाल्मीकि भाइयों को जो बड़े आफीसरों के पास काम करते हैं उनको खानसामा का काम करने के लिये, बरतन मांजने के लिये रखा जाय। जिस प्रकार से हमारे भाई सफाई करने में बड़े निपुण हैं उसी प्रकार से वे खाना बनाने के काम में भी बहुत निपुण हैं। जो चाहे उसको आजमाइश करके देख ले। उससे उन लोगों को भोजन भी स्वादिष्ट मिलेगा और छुआछूत भी मिटेगी और मेहतर वर्ग आगे बढ़ेगा।

इसके अलावा मेहतर वर्ग का प्रारम्भिक वेतन २०० रुपया कर दिया जाय। इससे एक रुपये में १५ आना छुआछूत मिट जायगी। श्रीमन्, रेलवे में जहां इनकी तनख्वाह अधिक है वहां पर बहुत से उच्च वर्ग के ठाकुर लोग आदि भी सफाई मजदूर का काम करते हैं, कैरेज क्लीनर का काम करते हैं। देखिये डाक्टर गन्द से गन्दा काम करता है लेकिन बाद में नहा धोकर साफ कपड़े पहनता है, होटलों में बैठ कर खाना खाता है, उनसे कोई छुआछूत नहीं मानता लेकिन इन लोगों का वेतन कम होने से न ये अपनी सफाई कर सकते हैं, न अपने मकान को ही साफ रख सकते हैं, न अपने बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे और इनता वेतन बढ़ा देंगे तो दूसरे समाज के लोग भी सफाई का काम करने लग जायंगे। तो हमारे देश पर जो यह छूतछात कलंक है वह शीघ्र मिट जायगा। आज कल इस वर्ग के लोगों को विदेशी लोग भी बहुत बरगलाते हैं। मुरादाबाद में एक डांग मुहल्ला है। उस मुहल्ले में एक चर्च बना दिया गया है और वे लोग कहते हैं कि बाल्मीकि हमारा बाप है और ईसा हमारा गुरु है। इस प्रकार से हमें राजनैतिक हानि भी उठानी पड़ रही है और हमारे ऊपर कलंक लग रहा है। इस प्रकार

[श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी]

से माननीया मंत्री जी की सेवा में जो मैंने २–४ सुझाव रखे हैं आशा है मंत्री जी उसका जवाब देंगी और अगर जरूरत होगी तो मैं उनको लिख कर भी दे दूंगा। इससे हरिजनों का कल्याण हो सकेगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्तावित अनुदान की धनराशि का समर्थन करता हूं तथा सरकारी अनुदान के सम्बन्ध में जो अनियमिततायें होती हैं उनके बारे में कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं।

भारत जब से स्वतंत्र हुआ तब से हमारे देश के नेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। परम पूज्य बापू का ध्यान इस ओर काफी रहा था। उनके समय में हरिजनों की जो स्थिति थी उससे आज कुछ सुधरी जरूर है लेकिन जितनी आशा की जाती थी उतनी नहीं सुधरी। १९६१ की जनगणना के आधार पर पूरी जनसंख्या के २१ प्रतिशत हरिजन हैं और ५० प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज का बहुसंख्यक दल पिछड़ी, अनुसूचित और विमुक्त जातियों में आता है। लेकिन इसके उत्थान के लिये जो-जो सरकार की ओर से प्रयास हुये वह वैसे तो ठीक रहे लेकिन उसके रास्ते में कुछ अवरोध तत्व भी आते रहे। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान अपने गोरखपुर जनपद के लिये वितरित अनुदान की ओर दिलाता हूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय। मेरे गोरखपुर जनपद में चाहे वर्तमान हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के समय की बात हो, चाहे उनके पहले की बात हो लेकिन मैंने एक लिस्ट मंगाई है, उसमें देखने से ऐसे आंकड़े प्राप्त हुये हैं जिनके अनुसार एक ही गांव में करीब ८ अनुदान दिये गये हैं और ऐसे लोगों को दिये गये हैं जिनको लगभग प्रत्येक वर्ष अनुदान दिया जाता रहा है। इतना ही नहीं, जो उनके सम्पर्क में रहे हैं उनको चाहे कुटीर उद्योग संबंधी ज्ञान हो या न हो लेकिन उनको अनुदान दे दिया गया है। साथ ही मैंने यह भी देखा है कि जो जिला स्तर की कमेटियां हैं उनमें कुछ ऐसे लोगों की पहुंच थी जिनके घरों पर जो पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति के लोग काम करते हैं, उनके हलवाहे वगैरह उनको अनुदान दिलवा कर उनसे बेगार लेते हैं और सरकारी अनुदान के आधार पर उनके साथ सहानुभूति दिखलाते हैं।

मैं एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। गोरखपुर में एक आदमी ने कुयें के लिये एप्लीकेशन दी जो पूर्ण रूप से संस्तुत थी। लेकिन वह स्वीकार नहीं की गयी। जब अनुदान वगैरह देने की मीटिंग खत्म हो गयी तो अमुक स्थान पर निरीक्षण करने के लिये आदमी भेजा और उस एप्लीकेशन में कमियां दिखलाते हुये यह कहा गया कि इनका लड़का सरकारी नौकरी में है। लेकिन जिस आदमी की एप्लीकेशन थी वह जाति का हरिजन चमार है। वह गोबरहा धो-धो कर अपने लड़कों को जिलाता है। ऐसी अवस्था में भले ही उसका लड़का नौकरी में हो लेकिन उसके घर की ऐसी दशा हो कि इतने गन्दे अनाज पर अपने बच्चों का जीवन निर्वाह करता हो तो क्या कुयें जैसी किसी सार्वजनिक चीज के लिये भी अनुदान न देने का कोई नियम है? और अगर इस प्रकार का नियम है तो उसको निकाल देना चाहिये। क्योंकि इस सार्वजनिक वस्तु के लिये जो अनुदान स्वरूप मिलता है वह सब के लिये होता है किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं होता है। इसके बाद मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि जिलों में जो बाल केन्द्र खोले गये हैं, और महिला विधवा आश्रम खोले गये हैं वहां पर भोजन आदि की जो व्यवस्था होती है उसमें बहुत कमियां हैं। वह इस मामले में है कि जो चीजें सरकार द्वारा दी जाती हैं, वहां जान पर उसमें मिलावट वगैरह करके, खराब किस्म के अनाज या भोजन सामग्री दे दी जाती है जिसके कारण प्रत्येक जिले में जहां इस प्रकार के आश्रम व बाल केन्द्र हैं वहां असन्तोष होग।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान विद्यार्थियों को जो स्कालरशिप मिलता है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। प्रदेश में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो स्कालरशिप पाने वालों से अपने कमरे में ही जो उनके बाबू हैं ह ते हैं वहीं तय कर लेते हैं। दो चार महीने

के रुपये अपने लिये ले लेते हैं और तब उनके लिये स्कालरशिप मंजूर करते हैं। इतनी रकम तो ऐसे ही कट जाती है, उसके बाद जब वह विद्यालय में जाता है तो वहां के प्रधानाध्यापक वगैरह स्कूल फंड के नाम पर उनसे कुछ ले लेते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि स्कालरशिप, अनुदान या बुक्स एड वगैरह के रूप में जो कुछ उसे मिलता है उसमें से बहुत कुछ कटकर वैसे ही चला जाता है।

यही नहीं मैंने यह देखा है कि हरिजन विभाग से कुओं के लिये जो अनुदान मिलता है उसमें भी लोग गड़बड़ी करते हैं। मुझे अपने जिले के ही एक विधायक द्वारा कुछ ऐसी ही सूचना मिली है और अगर वह सही होगी तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कुछ ऐसे कुयें हैं जो खेतों में सिंचाई के लिये बने हैं और पेय जल के नाम पर एक हजार रुपये की जो रकम संस्तुत होती है उसमें से आधा अधिकारी ने ले लिया और आधा उसको दे दिया। मेरे जिले के ही महराजगंज के विधायक द्वारा दी गई एप्लीकेशन है जिसमें लिखा है कि उस अनुदान की धनराशि पर उसके सिगनेचर कराकर अधिकारी ने उसे अपने आप रख लिया और कह दिया कि कल आना। पता नहीं उसे इस समय तक अनुदान मिला या नहीं मिला।

अब मैं आपका ध्यान हरिजनों के लिये जो भूमिवितरित होती है उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, कुछ ऐसे भी गांव होते हैं जो नदी के किनारे बसे होते हैं जहां हरिजनों के लिये न तो जमीन कोई होती है और न तो उनका घर-बार ही होता है। उनको बसने के लिये जमीन नहीं मिल पाती। मैं आपका ध्यान गोरखपुर के सेमरौना गांव की तरफ दिलाना चाहता हूं जो राप्ती नदी के किनारे है और कई वर्षों से कटा है। वहां के लोग बंधे पर आकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके लिये न कोई खेत है और न बसने के लिये जमीन है। वहां की व्यवस्था इतनी दर्दनाक है कि अगर आप भी देखें तो हैरत में पड़ जायेंगे।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान जिले में खोले गय उन होस्टलों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां विद्यार्थी रात में रहकर अपना अध्ययन करते हैं। ऐसे होस्टल अधिकांश जिलों में नहीं हैं। मैंने देखा है कि अध्ययन के लिये जो स्कालरशिप्स मिलती है वह भी समय से नहीं मिलती जिससे उन बच्चों की पढ़ाई कई-कई महीने तक बन्द रहती है। मैं स्वयं इस वर्ष गोरखपुर के गोलघर होस्टल में जा कर रहा हूं और मैंने देखा है कि विद्यार्थी कई महीने तक वहां नहीं रहते घर चले जाते थे और वहां से कुछ खा पीकर कई दिन अनुपस्थित रहने के बाद आते थे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गोरखपुर में दो चार कमरे के लिये ही सरकार की तरफ से अनुदान देकर होस्टल की व्यवस्था कर दी जाय तथा जो स्कालरशिप्स वगैरह मिलें वह भी समय से दे दिया जाय। समाज में जो और भ्रष्टाचर व्याप्त हैं उनका आपको दिग्दर्शन करा दूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

समय कम है, समाप्त करें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं अन्त में इन कमियों और सुधारों के साथ चाहता हूं कि इस गोरखपुर जनपद और प्रदेश में जहां वह कमियां हों उनको दूर किया जाय और इस बजट का मैं समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सिलसिले में जो अनुदान प्रस्तुत है उसमें श्री रामसिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया उसका मैं समर्थन करता हूं। हम अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

देखें तो हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज के विकास के लिये कांस्टीट्यूशन में भी प्राविजन किया गया है और उसके अलावा भी जितने भी देश के रहनुमा हुये, लीडर हुये सबने इस समाज के विकास के लिये और क्लासलेस, कास्टलेस सोसाइटी के लक्ष्य को हासिल करने के लिये कुछ तरीके अपनाये। कांस्टीट्यूशन के अन्दर भी जो कुछ हिफाजत की बात कही गयी तो प्रेसीडेंट ने यह महसूस किया कि बैकवर्ड क्लासेज के साथ कोई न्याय नहीं हो पा रहा है, उनका ढंग से विकास नहीं हो रहा है। तो जनवरी, १९५३ को काकासाहब कालेलकर की चेयरमैनी में एक कमीशन मुकर्रर किया और उसका मकसद था कि गौर करें कि किस तरह से इनका विकास किया जा सकता है। कांस्टीट्यूशन के आधार पर मैं पढ़ दूं—

"....Provisions for the Protection and uplift of the backward classes and to afford equal opportunities for advancement in order to bring them up to an equal level."

हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी है कि समाज के हर वर्ग को बराबर का मौका मिले, सामाजिक उद्धार के लिये, एजूकेशन के लिये, या राजनैतिक विकास के लिये, सारे क्षेत्रों में उसको बराबर का मौका मिले, यह लक्ष्य मानकर चले वेल्फेयर स्टेट में। लेकिन उसको अगर हम देखें कि २२–२३ साल के बाद आज हरिजनों का और इससे ज्यादा जो बैकवर्ड कम्युनिटीज में आते हैं उनका जो परसेंटेज आप लगावें तो उत्तर प्रदेश के अन्दर ४२.६ परसेंट उनकी संख्या है जो बैकवर्ड क्लासेज हैं और उनमें हरिजन जोड़ दिये जाय तो ६० परसेंट के करीब बैठते हैं जिनके विकास की सारी जिम्मेदारी समाज की है। लेकिन इस साल के अन्दर इस पर नजर करें तो आज हरिजन और बैकवर्ड क्लास कहा खड़ी है, मैं यह महसूस करता हूं कि बैकवर्ड कम्युनिटीज के अन्दर इटसल्फ एक क्लास पैदा हो गया है, हरिजन कम्युनिटी के अन्दर भी और मैं महसूस करता हूं कि वह जो क्लास पैदा हो गया है वह दूसरे क्लास को एक्सप्लायट कर रहा है। मिसाल के तौर पर हरिजनों के नाम पर जितने भी ग्रांट और जो कुछ मिलता है उसको वह वर्ग जिसमें पढ़ा-लिखा तबका कह लीजिये वह सारी सुविधा चाहे एजूकेशन की या किसी और सिलसिले में हो, वह सब उसको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जो आम तौर से हरिजन कहलाने का सही हकदार, है, राष्ट्रपिता गांधी जी ने जिनके यहां जीवन गुजारा, उन लोगों को कोई मौका किसी किस्म का नहीं मिलता। अगर अन्दाजा लगायें कि आज से २३ साल पहले जराये आमदनी उनके क्या थे, मैं बतलाना चाहता हूं कि जब जमींदार खत्म नहीं हुये थे तो वह हरिजन जो वाल्मीकि कहलाते थे उनका जरिया आमदनी क्या था। जिस खेत पर वह मजदूरी करते थे तो उसमें से १०–५ बीघे का टुकड़ा जिसको बोंडा कहते थे वह जमींदार की तरफ से उनको मिल जाता था उन लोगों को जो गांव के अन्दर सफाई का काम करते थे। उसके अलावा और आमदनी जो मुरदा चमड़ा, हड्डी से होती थी, वह सब उसको फ्री मिल जाता था लेकिन अब अगर देखें २३ साल में हमने क्या किया तो जमींदारी खत्म हो गयी, लेकिन आज तक बार-बार मांग होने पर जो ग्राम समाज की जमीनें हैं उनको हरिजनों के नाम पर अलाट नहीं कर पाये।

चकबन्दी गांव-गांव हुई लेकिन अच्छा होता कि अगर चकबन्दी के वक्त किसी गांव के अन्दर ८ फीसदी से ज्यादा सरप्लस जमीन थी वह हरिजनों को दे दी जाती। लेकिन यह नहीं हुआ। आज नतीजा क्या है? उस गांव का प्रधान उस पर कब्जा किये हुये है। हरिजन के नाम कहीं एंट्री नहीं है। हजारों साल से ये सफाई का काम करते चले आये हैं। महात्मा गांधी जी का कहना था कि सफाई की जिम्मेदारी उनके ऊपर से हटानी चाहिये और पी० आर० डी० टाइप ,लैट्रिन बननी चाहिये, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इसका आल्टरनेटिव जरियामाश क्या बनायेंगे? मुर्दा, हड्डी खाल जो उसको मिलती थी, कोआपरेटिव बनाकर जिसका फायदा उनको मिलता वह नहीं हुआ। उसको भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया। वहां भी वह दो तीन रुपये का मजदूर होकर रह गया। जो हरिजन देहात में रहना चाहते हैं आखिर आप उनसे क्या कराना चाहते हैं? क्या उनके बीबी बच्चे नहीं है?

एक ही आल्टरनेटिव रह जाता है उनके लिये कि वह डकैत और चोर बनें और फिर एक बड़ी समस्या उठकर खड़ी हो जायगी। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। देवगढ़, पुलिस स्टेशन लौनीकटरा, जिला बाराबंकी में है। वहां शिव बहादुर सिंह जो पहले जमींदार थे रहते हैं। आज भी वहां ५५ घर हरिजनों के हैं और उनसे वह लगातार बेगार लेते हैं और २ आने मजदूरी देते हैं और अगर कोई काम करने नहीं जाता है तो उसको मारते हैं। अभी हाल ही की तीन चार रिपोर्ट लगातार उनके खिलाफ लिखी हुई हैं। पुलिस जाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। सारी जमीन को हड़प किये हुये हैं और जो ५०, ५५ हरिजनों के घर हैं उनसे बेगार लेते हैं।

दूसरा मसला अभी दुर्जन भाई ने बताया, चित्रकूट के पास बांदा रोड पर हुआ। वहां पेड़ के नीचे हरिजनों की एक बारात ठहरी हुई थी। वहां आर्मरी के एक सरदार हैं उनकी लड़की ड्राईविंग सीख रही थी। सामने से बैलगाड़ी आ गई, उसको बचाना पड़ा तो वह कार कंट्रोल से बाहर हो गई और जो बारात बैठी थी उनके ऊपर चढ़ गई। तीन आदमी मर गये। दूल्हा की हालत खराब हो गई और दूसरे लोगों को भी चोटें आई। सरदार ने ड्राईवर से कह दिया कि कह दो हम चला रहे थे। उन हरिजनों में आतंक फैला हुआ है। इस तरह की मिसालें प्रदेश के अन्दर मिलेंगीं। १ लाख १२ हजार गांवों की संख्या है जिनमें २७ हजार गांव ऐसे हैं जहां इनके पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। आपने अनटचेबिलिटी ऐक्ट लागू किया, लेकिन वह कहीं लागू नहीं है। इम्मारल ट्राफिक ऐक्ट लागू किया, लेकिन कुछ होता नहीं है। रेड होते हैं। लेकिन पुलिस पहले से इन्तजाम कर देती है और कोई चीज उससे निकल नहीं पाती है। ऐसी हालत है। रामपुर के अन्दर आपका एक स्कूल चलता है। उस स्कूल की हालत मेरी समझ में नहीं आई कि वह है क्या लेकिन मुझे पता चला है कि आपका इस तरह का स्कूल चलता है।

एक-एक लाख रुपये का उनका बजट है लेकिन उन स्कूलों के अन्दर है क्या? दूध में तीन चौथाई पानी मिलेगा और खाने में भी यही हिसाब है। छात्रावास आपके जगह-जगह चल रहे हैं लेकिन अगर आप समझती हैं कि एक डाइरेक्टर, दो ज्वाइंट डाइरेक्टर और चार, पांच असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हर जगह वेलफेयर आफिसर रखकर हरिजनों का उद्धार हो जायगा और सोशल वेलफेयर का काम हो जायगा तो मैं कहूंगा कि सोशल वेलफेयर का काम तो नहीं होगा लेकिन सेल्फ वेलफेयर का काम जरूर होगा। पूरे डाइरेक्टोरेट में ही वेलफेयर का काम हो रहा है। उजले कपड़े पहन कर छात्रावास के नाम पर लोग ग्रान्ट ले जायं लेकिन छात्रावास में क्या हो रहा है उसे कोई नहीं देखता है। रामपुर के स्कूल की एक छोटी सी मैंने मिसाल दी, ऐसी ही दूसरी जगह लाखों का खर्चा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह से जो लगभग ६० परसेन्ट आबादी है उसका आप कोई हित करने वाली नहीं हैं। मैं यह समझता हूं कि पहले २३ साल के अन्दर जो कुछ हुआ है उसकी एनलेसिस करने के लिए कोई एक कमेटी या कमीशन बनावें जो यह देखें कि कितना कार्य आप इस संबंध में कर पाये हैं और आगे कितना और करना चाहिये जिससे जो डिप्रेस्ड हैं जो हरिजन हैं उनकी सेवा हो सकें और क्लासलेस सोसाइटी बन सके।

आज १०० बैकवर्ड कम्यूनिटीज के अन्दर चार, पांच कम्यूनिटी ऐसी है जो फायदा उठा रही है बैकवर्ड के नाम पर और इसी तरह से हरिजन के नाम पर एकाध कम्यूनिटी है जो फायदा उठा रही है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि यह करोड़ों रुपये का जो बजट हमसे लेती है इसके अन्दर कुछ करने का सोचिए ताकि उनका उद्धार हो सके। महज उजले कपड़े वाले अपने बच्चों की फीस माफ करा सकें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप बुनियादी चीजों को देखिये कि उनके खाने-पीने का ढंग क्या है,

[श्री रियासत हुसैन]

आप देखें कि समाज के अन्दर आप उनको कितनी इज्जत देती है। जो हाथ से काम करता है और अपनी जीविका कमाता है उसे समाज में आप क्या स्थान देना चाहती है। अगर आप यह नहीं देखेंगी तो वह बराबर इक्सप्लाइट होता रहेगा। मैं इन शब्दों के साथ माननीय रामसिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा देश आजाद हुआ और आजादी पाने के बाद हमारा संविधान बना और संविधान बनाते समय यह महसूस किया गया और जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भी महसूस किया गया कि हमारे समाज में बहुत से अंग कुछ अंगों के बराबर नहीं हैं, उनकी माली हालत खराब है, उनकी सामाजिक हालत खराब है और यहां तक किउनको धार्मिक आजादी नहीं है। इसलिये जब संविधान बना उसमें पूरी गारन्टी की गई सभी के लिये समान अवसर के लिये, शिक्षा पाने के लिये और रोजगार के लिये—आर्थिक और सामाजिक समानता के लिये उनके लिये गारन्टी की गई। यह महसूस किया गया कि हरिजन कल्याण और समाज कल्याण विभाग बने और यह भी महसूस किया गया कि इस २०, २२ साल के दौरान जो अपेक्षित उन्नति इस समाज की होनी चाहिये वह नहीं हो पायी। यह महसूस किया गया और इसमें बीच-बीच में कमेटियां बनाई गयीं। आचार्य जुगल किशोर कमेटी बनाई गई यह महसूस करके कि हरिजनों की भलाई का काम, इनके उत्थान का काम है वह हुआ या नहीं। उस कमेटी की रिपोर्ट काफी दिनों के बाद आई और उस पर क्या अमलदरामद हुआ यह तो नहीं कह सकता। यह जो उपेक्षा की बात थी वह नहीं है। विभाग ने काम किया है। यह ठीक है कि उसकी गति उतनी तीव्र नहीं रहीं और वह गति मन्द रही जब कि समाज की गति दावानल के समाम उग्र चल रही है। समाज के जिम्मेदार आदमियों को यह सोचना है कि समाज के उस निर्बल अंग को नजरन्दाज न करें। समय और परिस्थितियों की गम्भीरता को कम न समझे क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी भी भयंकर रूप धारण कर लेती है और उसका भयानक विस्फोट होता है।

हमारे प्रदेश में उत्तर पश्चिमी भाग और पश्चिमी बंगाल की जो हालत है जिसको देखकर लोग कह देते हैं वे लोग तो नाराज मात्र से हैं। हमारे समाज के अन्दर जो लोग उपेक्षित हैं, भूखे हैं, अशिक्षित हैं और जिनके पास कोई जीविका का साधन नहीं है वे असन्तुष्ट वर्ग में आते हैं जो ऐसा काम करते हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश के जो सरमायेदार हैं, धनी वर्ग हैं और जिनके पास बड़े-बड़ें फार्म आदि हैं वे समाज की अधिक पूंजी को हथियाये हैं और इस प्रकार का उपेक्षित वर्ग इनसे असन्तुष्ट हैं। यह तो परम्परागत है। जो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, जो लोग तोड़ फोड़ में यकीन रखते हैं और जिनको प्रजातंत्र के अन्दर विश्वास नहीं है वे देखते हैं कि हम किस प्रकार से अशान्ति उत्पन्न कर सकते हैं। वे लोग इस फिक्र में रहते हैं, टोह में रहते हैं कि हमारे प्रदेश में या देश में प्रजातंत्र समाप्त हो जाय और यहां की संसदीय प्रणाली समाप्त हो जाय। आज जो नक्सलवादियों के नाम से आन्दोलन हो रहे हैं वे भूखे हैं, उपेक्षित हैं और इस प्रकार के लोग हमारे समाज के निर्बल अंगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको यह समझना चाहिये और उनको जो कानून के अन्दर गुंजाइश हो और जिनपर अमलदरामद नहीं हुआ हो उसको दिलवाने की चेष्टा करनी चाहिये। भूमिहीनों को, चाहे ग्राम समाज की जमीन हो या फिर किसी प्रकार से प्राप्त भूमि हो चाहे बड़े-बड़े फार्मों की भूमि हो उनकी भूमि को सरकार को लेकर ऐसे लोगों को दे देनी चाहिये।

दूसरी बात है छुआ छूत की भावना के सम्बन्ध में। छुआ छूत के कारण जो भावना है वह आज की नहीं है परन्तु इसका सबसे बड़ास्रोत और इसका आधार जो है वह है कुछ स्वार्थी लोगों की भावना। मुगलकाल में या अंग्रेज काल में कुछ स्वार्थवश तथा कुछ

तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर बातें हमारे मूल साहित्य में भर दी गईं जिनके कारण भेदभाव की बातें पैदा हो गईं, और हो रही हैं। समाज के ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति, विशेषज्ञ और जानकार इस बात की छान बीन करें। इसमें कुछ विद्वान् पंडित भी हों कि जो अंध विश्वास की परम्परागत बातें हैं उनको देखें जिसके कारण हमारा यह वर्ग, हरिजन वर्ग अस्पृश्य है और त्याज्य है। इन छुआछूत की बातों को निकाल कर इसमें तब्दीली लायी जानी चाहिये और उन भावनाओं को कम किया जाना चाहिये। हमारी सरकार ने जो अनटचेबिलिटी ऐक्ट बनाया है उसकी मंशा अच्छी है परन्तु उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। मेरा तो यह सुझाव है कि जो हरिजन अधिकारी हैं उनको भी वही पावर्स मिलनी चाहिये जैसी कि फूड इन्सपेक्टर आदि को हैं, जैसे कि इंसपेक्टर या खांडसार इन्सपेक्टर को तफतीस करने की पावर्स हैं उसी प्रकार से उस हरिजन अधिकारी को भी पावर्स मिल जायें। अगर कहीं पर अनटचेबिलिटी की शिकायत है तो वह अपनी कम्प्लेन्ट कोर्ट में दाखिल कर सके और पैरवी कर सके। जिलों के अन्दर गरीब हर गांव में हैं। उन की कोई मदद नहीं हो रही है। अदालतों में दीवानी और फौजदारी के मुकदमों व माल में तथा छुआछूत के मुकदमों में गरीब असहाय होता है, हरिजन असहाय होता है, उन्हें कोई कानूनी मदद नहीं मिलती। उन्हें कानूनी मदद मिलनी चाहिये, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिये। कभी-कभी दफा १०९–११० जाप्ता फौजदारी के और आबकारी के दफा ६० के अन्दर और दफा २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्दर झूठे मुकदमें उन पर चला दिये जाते हैं और मजबूरी में उनसे इकबाल करा लिया जाता है। देहात में महाजन जबरदस्ती झूठे मुकदमें चला देते हैं, दफा ४६७ में मुकदमें चला देते हैं। झूठा अंगूठा लगवा लेते हैं। उन गरीब हरिजनों को कोई कानूनी मदद नहीं मिल पाती, कोई उनकी पैरवी नहीं हो पाती। तो उनको कानूनी मदद मिलनी चाहिये।

इसके अलावा ब्लाक के जरिये से या जिले से जो धन मिलता है उसका इस्तेमाल व वितरण सही तरीके से होना चाहिये। स्टाफ की तादाद भी कम है। हर ब्लाक में एक-एक इन्सपेक्टर होना चाहिये जो जगह-जगह जाकर देख सके। साथ ही हरिजन कल्याण अधिकारी भी पीने के पानी की दशा आदि को देखें। मैं समझता हूं कि अगर विभाग इन बातों की ओर ध्यान दे तो हरिजनों का काफी भला हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत अनुदान के सम्बन्ध में माननीया मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस बजट में अनुसूचित जाति के उत्थान के निमित्त कोई नयी योजना नहीं रखी गयी है। पहले जो योजनायें चल रही थीं उन्हीं को दुहरा दिया गया है। मुझे दुख है कि माननीया मंत्री जी द्वारा अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी हुई जातियों और हरिजनों के लिये कोई नया क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि अप्रैल ७० से पुलिस विभाग के अन्दर हरिजनों को भर्ती करने के लिये प्रशिक्षण दिया जायगा लेकिन दुख है कि बजट में उसके निमित्त धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में कुछ जिलों में जिलाधिकारियों द्वारा हरिजनों को प्रशिक्षण देने वाली बात की गयी। कहीं-कहीं प्रशिक्षण दिया जाने लगा लेकिन धनाभाव के कारण यह योजना ठप कर दी गयी।

इसके अलावा पिछले वर्ष सरकार की ओर से यह तय हुआ था कि हरिजन और अनुसूचित जाति के लड़के किसी भी चुनाव में साक्षात्कार के लिये सरकार की ओर से बुलाये जायेंगे तो उनको यात्रिक भत्ता दिया जायगा और उनको सारी सहूलियत दी जायगी, लेकिन उस दिशा में सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। हरिजन विभाग के निदेशक की ओर से जिलाधिकारियों

[श्री श्यामलाल]

को यह आदेश दिया गया था और हर एक विभाग को आदेश दिया गया था कि इस दिशा में वह उचित रूप से काम करें लेकिन उत्तर प्रदेश में हरिजन कल्याण विभाग के द्वारा लखनऊ में जो अभ्यर्थियों का चुनाव के सिलसिले में साक्षात्कार हुआ उनके लिये उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अभी पिछली बार गुप्ता मंत्रिमंडल के अन्दर हमारे माननीय रामजीलाल सहायक मन्त्री थे। उनके मन्त्रित्व काल में बी०टी०सी० के लिए गवर्नमेंट नामनी का चुनाव हुआ था। हरिजनों के लिये संरक्षण के आधार पर गवर्नमेंट नामनी नहीं किया गया और कुल ५ प्रतिशत स्थान ही सुरक्षित किये गये। यह जानकर दुख होता है कि सदन के अन्दर हमारे मन्त्रिगण जी इस तरह का आचरण करें और हरिजनों की सुविधा के लिये कोई ध्यान न दें और सदन के अन्दर इस तरह की बातें कह दें तो सरकारी अधिकारी, सरकार की मशीनरी या नौकरशाही किस ढंग से आचरण करेगी, यह आप सोच सकते हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि आज इस तरह की सारी बातें चल रही हैं। सभी लोग हरिजनों के लिये बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं। हमको बचपन की कहावत याद आती है। हमारी दादी, नानी कहानी सुनाया करती थीं कि राजा राज करने लगा तो सारी प्रजा सुख करने लगी। इस तरह की बातें बहुत दिनों से कहानी के रूप में हम सुनते चले आये हैं। जब राजा इसी तरह से राज करेगा तो प्रजा सुख कैसे करेगी? यहां पर हमें अन्धकार में रखने की बात की जाती है। मैं आपके सामने एक दृष्टान्त रखना चाहता हूं। ४,५ मार्च को अभी हाल ही में हरिजन समाज कल्याण विभाग के अन्दर ऐसी घटना घटी कि जिसके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान जाना चाहिये था लेकिन सरकार उस माने में चुप्पी साधे रही, कान में तेल डाले रही और उस तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि अभी रामपुर में आश्रम पद्धति विद्यालय में जमादार चौबे बड़े बाबू थे। उनके विरुद्ध गबन और भ्रष्टाचार के आरोप थे। जब उसकी रपट थाने के अन्दर की गई, उपनिदेशक के यहां शिकायत की गई, निदेशक के यहां शिकायत की गई, हरिजन समाज कल्याण मन्त्री के यहां शिकायत की गई तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये कि वह जमादार चौबे उपनिदेशक का खास आदमी था। वह आश्रम पद्धति विद्यालय से उपनिदेशक को महीने में ४,५ सौ रुपये की कमाई करा देता था। इसलिये उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब उसकी बहुत शिकायत होने लगी तो उपनिदेशक महोदय, श्री बृजनन्दन जी ने उस जमादार चौबे को आश्रम पद्धति विद्यालय, रामपुर से बुलाकर यहां लखनऊ में आश्रम पद्धति विद्यालय, आर्यनगर में जो लड़कियों का विद्यालय है, उसमें बड़ा बाबू बना दिया। ४,५ मार्च को कुमारी कृष्णा जो कक्षा ९ की छात्रा थी, उसको जमादार चौबे फुसलाकर घर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया और दूसरे दिन समाज में लज्जा और संकोच एवं आत्मग्लानि के कारण अपने बदन पर मिट्टी का तेल छिड़कर उसने अपने को जला लिया। उसके बाद २ माह तक इसी लखनऊ के मेडिकल कालेज में वह भर्ती रही और २४ मई, सन् ७० को उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सरकार की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उसका कौन-सा चेहरा है, यह ज्ञात नहीं होता। सरकार ऐसी चीज को भी नहीं देख सकती, अखबार के पन्ने बोल चुके हैं और उस मामले को सरकार को देखना चाहिए था और मजबूत से ऐसे आदमी के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये था। लेकिन अफसोस है कि माननीया हरिजन कल्याण मंत्री, श्रीमती राठौर नें उस तरफ ध्यान नहीं दिया।

इस तरह की घटनायें आज यहीं नहीं बल्कि सारे प्रदेश में हो रही हैं और जो ज्वालामुखी उसको लेकर धधक रहा है उसको कोई रोक नहीं सकेगा। यह चीजें यदि जारी रहीं तो एक दिन सब कुछ उसी में जल कर खाक हो जायगा और जनमत सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगा। इसी तरह की घटनायें और भी हुई हैं, सतिया कांड की बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा। हमारे मुख्य मंत्री, चौधरी साहब जब विरोधी दलके नेता थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार होगी तो हम सतिया कांड की जांच करायेंगे। लेकिन कल के अखबार में मैंने देखा कि उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया है। लेकिन मैं उनको चेतावनी दूंगा कि यदि ऐसी घटनायें होती

रहीं तो हम चुप चाप नहीं बैठेंगे, इन चीजों को बरदाश्त नहीं करेंगे। इस तरह एक और मिसाल मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ग्राम लखनूपुर, थाना कन्धरापुर, जिला आजमगढ़ में रमावती नाम की औरत को नंगा करके पेड़ से लटकाया गया और उसको इतना पीटा गया कि वह बेहोश हो गई और उसके बाद भी उसके गुप्तांग में डंडा डाला गया लेकिन सरकार की बात हम क्या कहें हम तो कहते-कहते भी थक जाते हैं कि मंत्रि गण और सरकार और जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इस ओर कोई ध्यान नहीं देते।

इसी तरह से आजमगढ़ जिले में ग्राम कादीपुर, थाना चिरैयाकोट में भी घटना घटी। एक कक्षा ९ की हरिजन छात्रा थी, उसके घर पर जाकर कुछ गुन्डों और बदमाशों ने उसके मां-बाप को पीटा और उसको जबरदस्ती उठा कर घर से ले गये और जंगल में रात भर उस लड़की के साथ बलात्कार किया, उसका शील भंग किया और उसके बाद दूसरे दिन वह लड़की जंगल में बेहोश पायी गयी, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इस देश के अन्दर जो असली मुलजिम हैं वह आज भी थानें में पुलिस की दलाली करते हैं और कोई कार्यावाही उनके खिलाफ नहीं होती। न मालूम आये दिन दिनदहाड़े कितनी ऐसी घटनायें हरिजनों के साथ होती हैं। सरकार की ओर से बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें की जाती हैं और जनता को गुमराह किया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के जिले मेरठ और मुजफ्फरनगर में ही पिछले २ माह में १३ हरिजनों की हत्या हुई है। जो हरिजन और समाज कल्याण का अनुदान है उस पर सरकारी पक्ष की ओर से बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही हैं। उनके सुधार की बातें की जा रही हैं और अनेकों विषय सामने लाये जा रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि नौकरियों के मामले में आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार के अन्दर पांच फीसदी से अधिक व्यक्ति नहीं हैं जबकि उनका रिजर्वेशन संविधान के अन्तर्गत अट्ठारह फीसदी का किया गया और वर्तमान सरकार की ओर से यह कहा गया है कि हम तीसरी श्रेणी की नौकरियों में २५ परसेंट और चतुर्थ श्रेणी में ४५ परसेंट देंगे। अभी इसी माननीय सदन के अन्दर सवाल किया गया था और यह कहा गया था कि आजमगढ़ जिले की कलेक्टरी के अन्दर और दूसरे विभागों के अन्दर कितने स्थान हरिजनों द्वारा भरे गये हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आजमगढ़ जिले में दो और तीन फीसदी के करीब हरिजन हैं। नौकरियों में और जिला मैजिस्ट्रेट सरकार को यह रिपोर्ट भेज देते हैं कि तीसरी और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते। चतुर्थ श्रेणी में चपरासी, चौकीदार और पानी प्याऊ की जगहें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां के अफसर उन ही लोगों को चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में रखना चाहते हैं जो उनका खाना बना कर दे, जो उनकी बीबी के कपड़े साफ करे, जो उनके पैर दबाये और उनके बच्चों को घुमाए-फिराये और खाना खिलाये। इसीलिये आज वहां का कलेक्टर गुमराह करता है और कहता है कि चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते।

अब मैं छात्रवृत्तियों के सिलसिले में कहना चाहता हूं। आजमगढ़ जिले के बारे में ही नहीं परन्तु सारे उत्तर प्रदेश के सिलसिले में कहना चाहता हूं। जितने कालेजेज, डिग्री कालेजेज चल रहे हैं उनमें समय से हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं। अधिकांश कालेजों में उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर करके सारी की सारी रकम जेबों में रख ली जाती है। इसी तरह से मकान का हुआ, उद्योग का हुआ, दूसरे अन्य उद्योग-धन्धों के लिये हुआ करता है। आपसे कहना चाहता हूं कि अभी पिछली बार हमारी माननीया राठौर साहब जब गुप्ता मंत्रिमण्डल में रही हैं उस समय आजमगढ़ जिले के अन्दर उन्होंने हरिजन कल्याण समितियों के अन्दर ऐसे व्यक्तियों को रक्खा जो न कभी राजनीति में पैर रक्खे थे और न कभी सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, लेकिन इतना जरूर था कि वे नेताओं के चाटुकार थे और नतीजा यह हुआ कि वहां जितनी भी हरिजनों के कल्याण की ग्रांट्स आयीं वे सब उनकी जेबों में गईं या उनके पिछलग्गुओं की जेबों में गईं। आज सारी की सारी बातें हरिजनों

[श्री श्यामलाल]

के नाम से कहने में होती है। सरकार के कथनी और करनी में एकरूपता नहीं है। आज मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरफ काफी ध्यान दें और इतनी मजबती के साथ ध्यान दें ताकि उनके स्वच्छ प्रशासन का बुलन्दी के साथ जनता में नाम लिया जा सके। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार का ध्यान इस ओर विशेष आकर्षित करता हूं कि दलितों के लिये क्रांतिकारी कदम उठाने की तरफ कोई कार्यक्रम तैयार करें।

श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय इस बात का·····

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कल बोलें।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

अब ये सूचनाएं हैं। आज नियम ५६ के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। नियम ५१ के अन्तर्गत केवल सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं। श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा माननीय राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा रुद्रपुर टाउन एरिया (नैनीताल) के चुनाव की तिथि घोषित होने के उपरान्त पुनः स्थगित होने के संबंध में सूचना दी गई है। यह तात्कालिक महत्व का नहीं समझा गया इसलिये अस्वीकृत हुआ। दूसरी सूचना माननीय शिवदास तिवारी ने दी है। रुमौधा ग्राम, जिला मिर्जापुर में मुहर्रम का ताजिया न बफनाए जाने से संबंधित मामले को लेकर साम्प्रदायिक तनाव के बारे में वह है। यह कोई अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं समझा गया। यह भी इसलिये अस्वीकृत है। तीसरा श्री श्याम लाल कनौजिया तथा श्री राम पाल सिंह यादव का है—श्रीमती रमावती, पत्नी, तोता यादव, निवासिनी लखनपुर, थाना कन्धरापुर, जिला आजमगढ़ के साथ पुलिस द्वारा अमानुषिक व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में, यह अस्वीकृत किया गया है।

चौथा है सर्वश्री कृष्ण कान्त अवस्थी, बंशीधर पांडेय, सुरेन्द्र विक्रम, विश्वनाथ कपूर, श्याम सुंदर लाल तथा गिरजा शंकर तिवारी का, ग्राम मल्लापुर, जिला सीतापुर की महारानी द्वारा उसी गांव के किसानों की जमीनों को जबरदस्ती जोतवाने के बारे में। इसे माननीय अध्यक्ष ने नियम ५१ में २९ तारीख के लिये स्वीकार किया है।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, मिर्जापुर के अन्दर हिन्दू-मुस्लिम तनाव पैदा कर दिया गया है, नाजायज तरींके से मुसलमानों को दबाने के लिये उन पर १०७ आदि के मुकदमें चलाये जा रहे हैं, उनको मोहर्रम का ताजिया नहीं दफनाने दिया गया है। वहां पर हीरालाल नामक एक व्यक्ति ने उनके इमाम चौक मैदान पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है और पुलिस उसकी मदद कर रही है, मुसलमानों को वहां इसलिये दबाया जा रहा है कि उन्होंने सरकार का साथ नहीं दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

लोग आशंकित हैं, अभी कोई घटना नहीं घटी है, आप इस सम्बन्ध में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें।

श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

हमारा भी बड़ा महत्व का सवाल था उसे स्वीकार करना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष---

आप भी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री श्यामलाल---

उसमें तो डेढ़-दो महीने लग जायेंगे, पुलिस धमकी दे रही है, सारा मामला ही गड़बड़ हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप माननीय अध्यक्ष से मिल लें ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा की ओर से मुझे आज एक सूचना मिली है स्टेट आयुर्वेदिक कालेजों के हड़ताल के सम्बन्ध में ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो सबेरे आप उठा चुके हैं ।

श्री मोहनलाल कपूर---

हमारा नियम ५२ स्वीकार होना चाहिये था । मैंने प्रश्न भी पूछा था जो इस प्रकार था :-

"क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, जैसा उनके उत्तर में है वह सिद्धान्ततः मानते हैं कि ये आयुर्वेदिक कालेज विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध रहने चाहिए और सन् १९६१ से उनकी मांग जारी है और यह ठीक भी है . . ."

श्री उपाध्यक्ष---

यह सब कहने की आपको आवश्यकता नहीं है । मैं यह कह नहीं सकता ठीक प्रकार से, लेकिन मैंने खुद सुना है कि कोई तारीख निश्चित हुई है---आगे, माननीय अध्यक्ष ने १० तारीख या कोई तारीख कही थी । सबेरे यह प्रश्न उठा था । अब आप इसको क्यों उठा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल कपूर---

सदन में माननीय मंत्री जी कोई आश्वासन दे दें तो ठीक है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

और कोई विषय होता तो मैं सुन लेता । इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है । उसके बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि कहा है कि आगे आने वाला है, जवाब इस पर गवर्नमेंट का आने वाला है । तो उसको आप देख लें । जब उन्होंने खुद कहा है कि उसका जवाब दिलवा देंगे तो अब आपको बैठना चाहिए ।

सीतापुर में लकड़बग्घों के आतंक के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उप मन्त्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)---

इस जनपद से लगभग एक वर्ष पूर्व से लकड़बग्घों के आतंक की सूचना मिलती रही है । यह सूचना ज्योंही मिली कन्जड़ दलों को बुलाकर उन्हें लकड़बग्घों का आतंक समाप्त कर देने के लिये निदेश दे दिये गये । फलस्वरूप इस दल ने विगत एक वर्ष में ८ लकड़बग्घों का वध

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

किया और निर्धारित पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इन लकड़बग्घों के बध होने के बाद इनका आतंक कम हो गया। १५ सितम्बर, १९६९ से फरवरी, १९७० तक ११ दुर्घटनायें लकड़बग्घों द्वारा हुई। मार्च, १९७० के आरम्भ से इनका आतंक पुनः बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चालाक नरभक्षी लकड़बग्घा बच गया है जो इतनी हत्यायें कर रहा है। पहले कन्जड़ दलों को लकड़बग्घों के पूर्णरूपेण समाप्त कर देने पर बल दिया गया परन्तु उनके प्रयत्न को विफल समझ कर स्थानीय चतुर शिकारियों को इनका आतंक समाप्त करने को कहा गया था। इसके अतिरिक्त स्थानीय समाचार-पत्रों एवं लखनऊ के समाचार-पत्रों में जिला मसिस्ट्रेट द्वारा विज्ञप्ति १-५-१९७० को जारी की गई कि जो भी शिकारी या अन्य व्यक्ति उस लकड़बग्घे को मारने में सफल होगा उसे २५० रु० पारितोषिक प्रदान किया जावेगा। उसके साथ ही सात सौ प्रतिलिपियां एक अपील के रूप में इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना हेतु प्रकाशित की गई और शहरों तथा देहाती क्षेत्र में उनका वितरण कराया गया। इसके अतिरिक्त विस्तृत प्रसार के दृष्टिकोण से इस पुरस्कार के विषय में सिनेमा स्लाइड भी स्थानीय सिनेमाघरों में बराबर प्रदर्शित की जा रही हैं।

इस हेतु दिनांक १४ मई, १९७० को माननीय गृह सचिव महोदय से श्री न० म० मजुमदार, जिलाधिकारी, सीतापुर मिलें और उनसे इस जिले में बढ़ते हुए लकड़बग्घों के आतंक के प्रति उनका ध्यान आकर्षित किया। इस पर गृह सचिव महोदय ने पी० ए० सी० की सहायता दिये जाने के लिये, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आवश्यक आदेश प्रसारित करने के लिये कहा और तुरन्त सीतापुर स्थित पी० ए० सी० की तीनों वाहनियों के सेनानायकों को वायरलेस आदेश प्रसारित कर दिये गये जिनकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दिनांक १५-५-१९७० को प्राप्त हुई, और उसमें पी० ए० सी० को यह आदेश दिया गया कि वह इस सम्बन्ध में सरकारी बन्दूक व कारतूस भी प्रयोग में ला सकते हैं। तदनुसार पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने उत्पातग्रस्त क्षेत्र को चार बीटों में निम्न प्रकार से विभाजित करके नरभक्षी जानवर को समाप्त करने की योजना बनाई हैं-

पार्टी नं०	नाम ग्राम	थाना	पार्टी के सदस्य
१	खगसियामऊ ..	कोतवाली	१—सूबेदार मेजर, श्री माधोसिंह, ११ बटालियन, पी० ए० सी०।
	सहराई ..	,, ..	२—दो पी० ए० सी० के शिकारी कांस्टेबिल।
	पिपरी ..	,, ..	३—एक बीट कां० थाना कोतवाली से।
	कचनार ..	,, ..	४—दो चौकीदार।
	धंवरसारा ..	,, ..	५—दो शिकारी।
२	बुढ़ानपुर ..		१—श्री आर० पी० अग्निहोत्री, थाना कोतवाली
	सियारपुर ..	कोतवाली	२—दो बीट कां०, दो पी० ए० सी० कां०, २७ बटालियन।
	हरगांव ..		३—दो चौकीदार, दो शिकारी।
३	गद्दीपुर ..	कोतवाली	१—श्री राहत अली, पी० ए० सी०, २७ बटा०, पी० ए० सी०।
	नसीरापुर ..		२—दो बीट कां०, हेड का० इकबाल अहमद, चौकी कोहना।
			३—दो हे० कां०, २७ बटा०, पी० ए० सी०, दो चौकीदार, दो शिकारी।

पार्टी न०	नाम ग्राम	थाना	पार्टी के सदस्य
४	मो० ऊंचा टिल्ला	कोतवाली	१—श्री हरिहर सिंह, ११ बटा०, पी० ए० सी० ।
	मो० बरगदहा	,, ..	२—दो कां०, ११ बटा०, पी० ए० सी० ।
	मो० शेखसराय	,, ..	३—दो हे० कां० कैडेट, ए० टी० सी० ।
	बरसोहिया ..	,, ..	४—दो बीट कान्सटेबिल ।
	नकरेहिया ..	,, ..	५—दो चौकीदार ।
	शाहमहोली ..	,, ..	६—दो शिकारी ।
	ननोइया		

इसके अतिरिक्त परगना मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने आग्नेयास्त्र लाइसेन्सधारियों को बुलाकर उनसे कहा कि वे लकड़बग्घों को सूचना प्राप्त होते ही वहां पहुंच कर आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर उनका बध करें। इसी विषय में प्रधानों को भी बुलाकर समझाया गया कि वे नरभक्षी लकड़बग्घों के आतंक समाप्त करने में पूर्ण सहयोग दें क्योंकि यह उनका पुनीत कर्तव्य है। यह असत्य है कि उनको किसी प्रकार की धमकी दी गई हो क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। इस प्रकार का सहयोग इनसे सदैव से प्राप्त होता रहा है। इसीलिये इस सहयोग के लिए इनसे कहा गया हैं।

जनपद के प्रत्येक क्षेत्र से लकड़बग्घों के आतंक की सूचना एकत्रित की गई जिससे यह विदित होता है कि श्री बख्शी जी तथा श्री परिहार जी को जो सूचना ३०० बच्चों को मारे जाने और २०० के अस्पताल में पीड़ित पड़े रहने की दी गई है वह अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती है। इस जिलें में पूर्व एक वर्ष से अब तक कुल ३७ ग्रामों में ३७ बच्चों को जान से मारकर खा लेने की सूचना प्राप्त हुई है तथा एक स्त्री व एक पुरुष के घायल होने की है। जिला चिकित्सालय में बजाय २०० के केवल दो लकड़बग्घों से घायल व्यक्तियों की दवा की गई। इनका अभिलेख जिला चिकित्सालय में उपस्थित है क्योंकि सदर अस्पताल ही में इसकी चिकित्सा होती है। पिछले माह में केवल १२ दुर्घटनायें लकड़बग्घों द्वारा हुई हैं। पचास दुर्घटनाओं की बात असत्य है।

यह बात सत्य है कि ११/१२ मई, १९७० की रात्रि में कुमारी मीना को लकड़बग्घा उठा ले गया और कैंची के पुल के नीचे खा गया। केवल मीना कुमारी का सर व हाथ का अगला भाग ही शेष रहा था। सूचना प्राप्त होते ही तहसीलदार, सीतापुर घटनास्थल पर ७.३० प्रातः पहुंच गये परन्तु दुर्घटना हो चुकी थी और केवल सान्त्वना देने के अलावा कोई चारा नहीं था इसके अतिरिक्त इन्सपेक्टर इन्चार्ज, कोतवाली में एक सब-इन्सपेक्टर ने भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना की जांच करने के बाद लाश का पंचायत नामा तैयार किया और पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति से जानकारी की और जानवर की हर सम्भव स्थान पर खोज कराई।

वर्तमान स्थिति में उत्पातग्रस्त क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया गया है तथा लकड़बग्घों की बीट क्षेत्र का एक नजरी नक्शा भी तैयार किया गया है। कन्जड़ दल, पी०ए०सी० के जवान, स्थानीय चतुर शिकारी तथा विभिन्न क्षेत्र के आयुध धारी व अन्य व्यक्ति इस लकड़बग्घें के बध करने में पूर्ण सजग हैं और रात-दिन इसकी खोज कर रहे हैं। आशा की जाती है कि इसका आतंक शीघ्र समाप्त कर दिया जायगा। इसके आतंक को समाप्त करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। ५ मई, १९७० को अध्यक्ष पीठ से आश्वासन मिला था कि रमावती के ऊपर पुलिस द्वारा जो अमानुषिक व्यवहार किया गया है, उसके सिलसिले में ८ तारीख को नियम ५१ दिया जाय, उसे स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैंने नहीं कहा। मैंने कहा आप फिर प्रयास करें। फिर लिख कर दें। जैसे आप खड़े हुए मैंने टोका। आप फिर खड़े हुए, कुछ बात कहते हैं, मुझे स्वीकार करना नहीं था वह तो अध्यक्ष महोदय को जाता है, उनके पास गया, उनको पता होगा कि क्या करेंगे, लेकिन मैंने नहीं कहा था कि स्वीकृत करूंगा। स्वीकृत करूंगा अल्पसूचित प्रश्न के रूप में।

श्री श्यामलाल—

उस समय मैंने यह निवेदन किया था डेढ़-दो महीने के अन्दर अल्पसूचित अथवा तारांकित प्रश्न का उत्तर मिलेगा और उसके पहले ही रमावती या उसके परिवार वालों के साथ पुलिस द्वारा जबरदस्त घटना करवा दी गयी तो क्या होगा। ऐसी हालत में इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सबसे अधिक महत्व आप के द्वारा दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष ने उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जितना कि आपने उसे समझा।

श्री श्यामलाल—

यह भी आपके द्वारा कहा गया कि दफा ५१ में उस घटना का जिक्र नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यही कह सकता था कि आप उसे दोबारा लिख कर दीजिये शायद यह ले लिया जाय। अध्यक्ष जी से मिले होते और कहते कि यह मामला है क्योंकि सूचना में आपने शील भंग वाली बात नहीं लिखी, वह चीज कागज में नहीं झलकती थी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक बात, आप बड़ी कृपा करते हैं कि जो भी प्रश्न ५१ अथवा ५२ में स्वीकृत नहीं होता उस पर एक-दो मिनट हमको कहने की इजाजत देते हैं लेकिन यह सारा कथन बेकार हो जाता है जब आप वहां से यह कह देते हैं कि अध्यक्ष जी ने इसे अस्वीकृत कर दिया है। उस समय हमारी स्थिति यह हो जाती है कि जिस न्यायाधीश के सम्मुख हमने बात रखी उसके दिल में यह भावना रहते हुए भी कि यह उचित है वह दूसरे पर टाल देता है। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ५१–५२ के जो भी प्रश्न आप के सम्मुख आयें तो आप सारी जिम्मेदारी लेकर उन पर अपना निर्णय दें और हमें विश्वास है कि उस जिम्मेदारी का आप कायदे से निर्वहन करेंगे इससे हमारे अधिकारों की रक्षा भी हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

पीठासीन अधिकारी होने पर मैं उपाध्यक्ष ही रहूंगा इसको मुझे स्मरण रखना चाहिये और आप भी संभवतः उपाध्यक्ष कह कर ही मुझे सम्बोधित करते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

जब आप पीठासीन होते हैं तो आप के अध्यक्ष के समान ही अधिकार होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की सिफारिश न पढ़ कर जबानी बतला दूं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्णय परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जिस घटना के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, श्यामलाल जी ने आपका ध्यान खींचा है आप देखें कि उससे ज्यादा पशुता तथा जंगलीपन और कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे प्रदेश के दरोगा तथा उसके साथी इस महिला को दिन की रोशनी में पेड़ से उल्टा लटका कर जो हरकत करते हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिहाजा इससे ज्यादा लोक महत्व का प्रश्न दूसरा हो नहीं सकता। इस प्रश्न को लिख कर दिया जो अस्वीकृत हो गया। उससे शिकायत का मौका मिलता है कि हम जो विषय भेजते हैं उस पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता और बगैर पढ़े ही निर्णय ले लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष महोदय ने निर्णय पढ़ कर ही लिया होगा। मैंने उस दिन कहा था कि जो आप सदन में कह रहे हैं और जो कागज मेरे सामने है दोनों में अन्तर है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो विषय लिख कर दिया गया था उसमें भी उस घटना का जिक्र था, स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया था। पढ़ने से रह न जाय तो दोबारा हेडनोट में भी उल्लेख था और पीठासीन अधिकारी से यह आश्वासन मिला था कि यह विषय स्वीकार कर लिया जायगा। लेकिन उसके बावजूद भी स्वीकार नहीं किया गया। जो महिला इस जुल्म की शिकार हुई वह संभवतः मुख्य मन्त्री जी से भी मिल चुकी है। और उसने अपनी चोटों की डाक्टरी मुआयना भी दिखाया होगा। तो इस मामले पर मुख्य मन्त्री जी बगैर आपके आदेश के स्थिति स्पष्ट करते कि अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो अध्यक्ष और आपके बीच की बात है। आपने एक नोटिस दिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस घटना को सुनने के बाद वे बैठे नहीं रह सकते थे क्योंकि यह उन्हीं से सम्बन्धित मामला है और उन्हीं के विभाग का है। इससे ज्यादा जंगलीपन और पशुता और क्या हो सकती है। मुख्य मन्त्री जी को तुरन्त खड़े होकर संतुष्ट कराना चाहिये था। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की है।

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)—

मैं अभी बतलाने को तैयार हूं। मेरे पास शिकायत आयी थी कि एक सब-इन्सपेक्टर ने एक महिला को किसी पेड़ या अन्य चीज पर टांग दिया था और फिर उसको पीटा। वह महिला भी मेरे पास आई थी और उस को मैंने देखा भी है। मैंने उसी रोज उस सब-इन्सपेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया और उस की तहकीकात हो रही है।

कुक्कुट आहार केन्द्र, हापुड़ द्वारा तैयार किये गये कुक्कुट आहार के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

पशुपालन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

कुक्कुट आहार केन्द्र, हापुड़ पर तैयार किये जाने वाले कुक्कुट आहार के विषय में जो शिकायतें माननीय सदस्यों ने की हैं उनका सारांश यह है :—

(१) आहार केन्द्र के एक बड़े अधिकारी कुछ फर्मों से मिल कर आहार के लिये घटिया किस्म का सामान खरीद लेते हैं। हालांकि उसकी कीमत ऊंचे दामों पर दी जाती है। दामों में अन्तर द्वारा जो धनराशि प्राप्त होती है उससे बीच में लाभ कमाया जा रहा है।

(इस समय ५ बजकर २६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

(२) केन्द्र पर जो कुक्कुट आहार तैयार करके वितरित किया जाता है वह घटिया किस्म का होने के कारण विषाक्त हो जाता है जिससे जानवर मर जाते हैं या मरने लगते हैं जिससे वहां के लोगों को हानि उठानी पड़ रही है।

इन शिकायतों के सम्बन्ध में यह कहना है कि विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दोनों ही शिकायतें निराधार हैं।

२—कुक्कुट आहार बनाने के लिये जो सामान खरीदा जाता है उसमें से शीरा प्रदेशीय आबकारी विभाग द्वारा प्राप्त किया जाता है और शेष सब सामान बाजार से ठेकेदारों के मार्फत एक क्रय समिति की स्वीकृति के पश्चात् खरीदा जाता है। इस क्रय समिति के अध्यक्ष, उप-निदेशक, पशु पालन विभाग, मेरठ हैं, और अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), मेरठ तथा कुक्कुट विशेषज्ञ, बाबूगढ़ सदस्य हैं। इन सदस्यों के अतिरिक्त उपनिदेशक, पशु पालन विभाग (सघन पशु विकास खंड), मेरठ को भी समिति में सम्मिलित कर लिया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में किसी एक अधिकारी का फर्मों से मिल कर निम्न स्तर का सामान ऊंचे दामों पर तय करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है।

बनाये हुये कुक्कुट आहार के क्वालिटी की जांच के लिये निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ने उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, मेरठ और उप निदेशक, सघन पशु विकास खण्ड, मेरठ को आदेश दे रखे हैं कि वह समय-समय पर बने हुये आहार के नमूने विश्लेषण हेतु लेते रहें जिसका अनुपालन किया जा रहा है और पिछले साल १७ नमूने इस तरह प्राप्त हुये और उनमें जिनका विश्लेषण हो चुका है वे सामान्यतः ठीक पाये गये।

३—जहां तक इस कथन का सम्बन्ध है कि केन्द्र के कुक्कुट आहार को खाकर कुक्कुट मर गये हैं या मर जाते हैं, यह निवेदन करना है कि यह शिकायत निराधार है। उक्त केन्द्र से आहार—मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर व टेहरी जिलों के कुक्कुट पालकों को वितरित किया जाता है। अभी तक किसी भी कुक्कुट पालक की कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि इस आहार से कुक्कुट पक्षी मर रहे हैं। एक गुमनाम शिकायत अक्तूबर, १९६९ में अवश्य प्राप्त हुई थी जिस पर उचित जांच की गई और फलस्वरूप शिकायत को तथ्यहीन पाया गया।

इस केन्द्र की देखभाल हेतु श्री मैकार्डल, एफ० ऐ० ओ० एक्सपर्ट आते रहते हैं और उन्होंने केन्द्र के आहार की प्रशंसा की है। उदाहरण के लिये दिसम्बर, १९६८ में उन्होंने यह कहा :—

> "यह केन्द्र वास्तव में एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उसके द्वारा तैयार किये हुये आहार जो ३९.५० रु० प्रति ७५ किलो की दर से बेचा जाता है, की क्वालिटी का परिचय इस तथ्य से मिलता है कि आहार की मांग सप्लाई की अपेक्षा कहीं अधिक है।"

कुक्कुट आहार केन्द्र, हापुड़ पर बना हुआ कुक्कुट आहार जो व्यक्ति खरीदते हैं उनके नाम व पते विभाग के पास रहते हैं और उनके पास से भी विभाग को ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई जिसमें आहार से पक्षियों के मरने का उल्लेख किया गया है।

४—केन्द्र के प्रबन्ध को और अच्छा करने के लिये विभाग ने अक्तूबर, १९६९ से एक सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी को हापुड़ में नियुक्त कर दिया है ताकि इस केन्द्र की देख-रेख भली प्रकार हो सके। हाल ही में कुक्कुट आहार प्रयोगशाला, गंजरिया में, जहां आहार का विश्लेषण होता है, विस्तार भी किया गया है ताकि इन वस्तुओं का विश्लेषण अधिक से अधिक संख्या में और शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

यदि माननीय सदस्यों को उक्त स्पष्टीकरण के बावजूद भी कोई शिकायत किसी अधिकारी अथवा किसी मामले में रहती है और वह उसकी जांच कराना चाहते हैं तो वह अपनी शिकायत लिखित रूप में दे सकते हैं और तब उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब से ये केंद्र वहां स्थापित हुये हैं उस समय से १५ अक्तूबर, ६९ तक उपनिदेशक के द्वारा कितनी बार सैंपिल लिया गया ?

श्री गुलाब सिंह—

पिछली साल १७ नमूने लिये गये थे। कुल कितने लिये गये, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

२१ सैंपिल जो १५ अक्तूबर, ६९ तक सील किये गये उनके बारे में उच्चाधिकारियों की क्या रिपोर्ट है, क्या मंत्री जी उसको सदन में पढ़ कर सुनायेंगे ?

पशुपालन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

२१ सैंपिल जो वहां लिये गये उनमें यह कहा गया था कि जो सामान खरीदा गया है वह घटिया किस्म का है। ये २१ सैंपिल जिलाधीश ने रीजनल फूड कन्ट्रोलर, मेरठ के पास भेजा। उनके पास कोई भी जांच करने का जरिया नहीं था इसलिये उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर उन्होंने डायरेक्टर आफ एनीमल हस्बेंडरी के पास जांच के लिये भेजा। उन्होंने गंजरिया फार्म पर, जहां इस बात के लिये साइंटिफिक आफीसर्स हैं, उनसे उनकी जांच करायी। उन्होंने २१ में से १७ सैंपिल ठीक कराये और ४ सैंपिल ठीक नहीं पाये।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

जिस समय सैंपिल सील किये गये थे, उस समय एस०डी०एम० की क्या रिपोर्ट थी ?

डाक्टर सीताराम—

एस० डी० एम० साहब की यह रिपोर्ट थी कि मक्का जो खरीदी गयी वह घटिया क्वालिटी की थी, पतले दाने की थी। लेकिन चाहे मोटे दाने की मक्का हो अथवा पतले दाने की हो जब तक कोई टैक्नीकल आदमी नहीं होगा, यह नहीं बता सकता कि आहार के हिसाब से उसकी क्वालिटी कैसी थी। सफेद क्वालिटी की हाई ब्रीड मेज की भी सूरत खराब हो सकती है। उन्होंने तो सिर्फ यह कहा था कि मक्का जो खरीदी गयी वह पतले किस्म की थी। लेकिन साइंटिफिक प्वाइंट आफ व्यू से, फीड वेल्यू के प्वाइंट आफ व्यू से वह ठीक थी, डार्क-ग्रेइस वह जरूर थी। जो डार्क-ग्रेइस दाना होता है उसमें किरोटिन कन्टेंट ज्यादा होता है और अन्डे में जो अन्दर पीला होता है उसमें वह किरोटिन फार्म करता है। इसलिये हमारे आफिसर्स

[डाक्टर सीताराम]

ने अक्टूबर-नवम्बर, १९६९ में जो खरीदा उसको इस प्वाइंट आफ व्यू से खरीदा होगा जैसा कि यहां पर रेकार्ड्स से साबित हुआ है कि इनफीरियर क्वालिटी का नहीं था । कलेक्टर साहब या एस०डी० एम० साहब ने ऊपर की दृष्टि से देखा लेकिन विशेषज्ञ की राय ने उस दाने को इनफीरियर नहीं कहा ।

श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)---

यह जो मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है इसमें यह बात तीन दफा कही गयी है कि यह शिकायत निराधार है । किन्तु शुरू में ही जो उत्तर दिया गया था उसमें यह माना गया है कि तीन सैम्पिल अवर वर्ग के पाये गये । तो ये दोनों स्टेटमेन्ट कंट्राडिक्टरी हैं । जब तीन सैम्पिल अवर वर्ग के पाये गये तो मंत्री महोदय यह किस आधार पर कह रहे हैं कि यह शिकायत निराधार है ?

श्री गुलाब सिंह---

जैसा कि बक्तव्य में भी है शिकायत यह है कि इस आहार से पक्षी मरे हैं वह इतना विशाक्त था । तो यह बात कही थी कि वह इतना विषाक्त नहीं था जिससे पक्षी मरे हैं इसलिये इसको निराधार कहा गया । और इसलिये यह कहा गया कि अन्य स्थानों, जैसे सहारनपुर, देहरादून और टेहरी-गढ़वाल में भी यह भोजन गया है । वहां से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी । इसके अलावा फार्म से जो ले जाते हैं उनके नाम नोट किये जाते हैं । ये जो खरीदने वाले लोग थे उनकी भी कोई शिकायत नहीं आयी । तो जो यह कहा गया कि मुर्गियां मरीं हैं इनके आधार पर यह बात कही गयी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

अगर बानगी के मुताबिक सप्लाई थी तो मंत्री जी बतायेंगे कि आखिर जो ६ हजार के लगभग कंट्रैक्टर को रुपया देय था वह सरकार ने क्यों काटा ?

डाक्टर सीताराम---

चूंकि जांच में वह इंफीरियर क्वालिटी का पाया गया इसलिये जो पूरी खरीदारी की गयी थी उसमें से ६ हजार रुपये के करीब काट लिया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या यह सही नहीं है कि डायरेक्टर या जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि बराबर सैम्पिल लेते रहेंगे उन लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया था और जब लक्ष्मण स्वरूप जी ने यह शिकायत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पहुंचाई तब सैम्पिल लिये गये ?

श्री गुलाब सिंह---

जैसा कि इसमें बताया गया यहां पर क्रय करने के लिये एक कमेटी है और वह कमेटी खरीदारी करती है ।

श्री अध्यक्ष----

वह यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि लक्ष्मणस्वरूप जी ने जब शिकायत की उसके बाद सैम्पिल लिये गये या पहले भी लिये गये ?

श्री गुलाब सिंह---

सैम्पिल पहले भी जाते रहे और पहले भी ऐसी कटौतियां हुई हैं ।

श्री आशाराम इन्दु---

हर बार एक ही वेद प्रकाश नाम का व्यापारी विभिन्न नामों से टेंडर देता है और वह नाम उसके सब नौकरों और पल्लेदारों के होते हैं, क्या यह सही है ?

डाक्टर सीताराम---

अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार ६ आदमियों ने टेंडर दिये थे जिसको वहां की परचेज कमेटी देखती है जिसमें डी० एम०, डायरेक्टर एनीमल हस्बैंडरी, ए० डी० एम० (प्लानिंग) और विकास क्षेत्र के डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। अगर विभिन्न नामों से एक ही आदमी टेंडर देता है तो इसकी हमको जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो मैं उसकी इंक्वायरी करा लूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १६-६-६९ को जो सैम्पुल लिया गया वह पशुपालन अधिकारी द्वारा न लिया जाकर एस० डी० एम०, हापुड़ द्वारा लिया गया ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां, क्योंकि माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता ने शिकायत की थी कलेक्टर साहब से तो कलेक्टर ने एस०डी०एम० को आदेश दिया तो एस०डी०एम, माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता और एक और आफिसर थे, इन तीन आदमियों ने जाकर यह सैम्पिल लिया था।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो ४ सैम्पिल असफल हुए या ठीक नहीं पाये गये, उनमें कौन-कौन चीज की कमी थी और कहां-कहां के हैं ?

डाक्टर सीताराम---

एक में राइस पालिस की शिकायत थी, दूसरी शिकायत मूंगफली की खली में पायी गयी और मोलासेज में कमी पायी। और इसी वजह से डाइरेक्टर ने ६ हजार रुपया काट लिया है।

श्री लक्ष्मण स्वरूप---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई शिकायत नहीं थी और माल अच्छा आता रहा। तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रूपराम ख्याली राम फर्म, अलीगढ़ के बजाय हापुड़ के फर्म से माल खरीदा गया और ४,५०० रुपये की दवा भी छिड़की गयी, जिसका कैश मेमो काटा जाना चाहिये, पेमेंट पार्टी से नहीं हुआ और गवर्नमेंट के रिकार्ड में वह ५०० रुपये कहीं भी नहीं दिखलाया गया है ? यदि यह सही है तो क्या आप विजिलेंस द्वारा इसकी जांच करायेंगे ?

डाक्टर सीताराम---

हापुड़ से खरीदे जाने की बात सही है। अलीगढ़ से खरीदे जाने की बात थी, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो मैं सी० आई० डी० से इसकी इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार हूं।

श्री आशाराम इन्दु---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सीड खराब होने की शिकायत अधिकारी ने कब की थी और तालाब लीकेज की सूचना जिस अधिकारी ने नहीं दी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर सीताराम—

इसके बारे में जानकारी हुई कि सीरा जहां रखा हुआ है वह वाटर टैंक खराब है मरम्मत के लिये कुछ किया गया है। डाइरेक्टर ने कहा था तो अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की बात सामने आयी। अगर माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं इसमें सी०आई०डी० से इनक्वायरी कराने को तैयार हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्रय समिति जिसमें बतलाया गया कि उपनिदेशक वगैरह रहते हैं तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि उसका काम खाली इतना है कि सैम्पिल के जरिये दाम वगैरह तय कर ले लेकिन सप्लाई लेने में जिम्मेदारी किसकी है और अगर माल सैम्पुल के मुताबिक न हो तो उच्च अधिकारी तक रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है ?

डाक्टर सीताराम—

पहले जो परचेज कमेटी है वह टेंडर मांगती है पत्रों द्वारा कि कौन-कौन सामान कितनी-कितनी मात्रा में खरीदा जायेगा। पहले पेपर में वह पब्लिश होता है। उसके बाद परचेज कमेटी टेंडर इनवाइट करती है और सैम्पिल यहां से डाइरेक्टर के द्वारा कन्फर्म होता है, फिर जाकर परचेज कमेटी एप्रूव करती है तब जाकर सामान खरीदा जाता है।

श्री आशाराम इन्दु—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि मेरठ में टेस्ट करने के लिए सैम्पिल रख लिये गये थे, लेकिन जब कलेक्टर ने सैम्पिल मैजिस्ट्रेट को भेजा कि उसकी हाजिरी में सैम्पिलों का टेस्ट लिया जायगा तब बहाना बनाया गया कि इक्विपमेंट नहीं है और लखनऊ भेजा जाय ?

श्री गुलाब सिंह—

ऐसी बात नहीं है। कलेक्टर ने आर० एस० सी० से कहा कि टेस्ट कराया जाय। जब वहां विशेषज्ञ नहीं मिले तो यहां भेजा गया और गंजरिया फार्म में टेस्ट किया गया।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जिस समय ये १५ सैम्पिल सील्ड किये गये थे उससे १५ दिन पहले बाबूगढ़ के बिलरिया फार्म के मैनेजर ने रिपोर्ट की थी कि इतना फीड खराब आ रहा है कि सरकार को ६० लाख की हानि हुई है तो आम जनता को कितनी हानि हुई होगी—इस रिपोर्ट की क्या मंत्री जी को जानकारी है ?

श्री गुलाब सिंह—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो टेंडर इनवाइट किये गये उनके इनवीटेशन की कोई विज्ञप्ति पहले से करायी गयी या नहीं ? और अगर करायी गयी तो किस प्रकार से ?

श्री गुलाब सिंह—

करायी गयी है और लोकल पेपर्स के द्वारा।

१२ जून, १९७० को सदन की बैठक न होने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

मैं जानकारी चाहता हूं सदन के चलने के बारे में । मैंने यह सुना है कि शासन कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन १२–१३ जून को होने जा रहा है और यह भी सुना कि १२ जून को इस सदन की छुट्टी रहेगी, तो मैं आपसे जानना चाहता था कि उस दिन छुट्टी रहेगी ? जरा स्पष्टीकरण कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

हमारे यहां तारीख १३ से १६ तक छुट्टी है । हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि १२ को भी छुट्टी होगी ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
८ जून, १९७० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

वर्ष १९६७-६८, १९६८-६९ और १९६९-७० जो नवम्बर मास तक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये, कार्यों का विवरण

विवरण	गाजियाबाद						आगरा					
	६७—लक्ष्य	६८ पूर्ति	६८—लक्ष्य	६९ पूर्ति	६९—लक्ष्य	७० पूर्ति	६७—लक्ष्य	६८ पूर्ति	६८—लक्ष्य	६९ पूर्ति	६९—लक्ष्य	७० पूर्ति
१—रसायन अभियंत्रण प्रशाखा												
(अ) प्रारम्भिक सहायता	५	४	२०	६	८	७	१०	..	८०	२	३२	२
(ब) नई इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता ..	४	११	५	१४	७	७	८	..	५१	११	२३	४
(स) विस्तारण एवं अभिनवीकरण सहायता ..	५	२	५	..	१४	..	१०	..	२५	२	३२	२
२—यांत्रिक अभियंता												
(अ प्रारम्भिक सहायता	२०	८	३०	२८	८४	८	२०	..	७०	५	४५	५
(ब) नई इकाइयों की स्थापनार्थ सहायता ..	३०	४९	५५	६६	५६	३१	२०	..	१३६	३६	११४	६४
(स) विस्तारण एवं अभिनवीकरण सहायता ..	१५	१७	२०	१३	९९	७	२०	..	३०	१०	१४०	१०
३—विद्युत् अभियंत्रण												
(अ) प्रारम्भिक सहायता	५	२	५	६	८	५	७	..	२०	२	२८	..
(ब) नई इकाइयों की स्थापनार्थ सहायता ..	१०	१	१५	६	८	४	१०	..	६८	३	२७	४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(स) विस्तारण एवं अभिनवीकरण सहायता ..	१०	८	१५	..	१४	..	१५	..	३०	..	३०	१
४—अन्य औद्योगिक												
(अ) प्रारम्भिक सहायता ..	..	४	..	१९	१२	१५	..	..	..	१२	२४४	७
(ब) नई इकाइयों की स्थापनार्थ सहायता	..	२५	..	५०	१२	३६	..	..	..	१००	१५६	४८
(स) विस्तरण एवं अभिनवीकरण सहायता	..	४	२	२	२२	१	..	..	..	१२	२५४	१९

टिप्पणी : १—पूर्ति का विवरण माह नवम्बर, १९६९ तक ।
२—आगरा में योजना अप्रैल, १९६८ से प्रारम्भ हुई थी अतः १९६७-६८ की पूर्ति शून्य समझी जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष १९६७–६८, १९६८–६९ और १९६९–७० जो नवम्बर मास तक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण :

विवरण	रुड़की						कानपुर					
	६७ — ६८		६८ — ६९		६९ — ७०		६७ — ६८		६८ — ६९		६९ — ७०	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
१—रसायन अभियंत्रण प्रशाखा												
(अ) प्रारम्भिक सहायता	५	१०	१०	६	४	७	२०	२	४०	२	६८	१०
(ब) नई इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता ..	२	३	३	११	४	६	१०	१३	६४	६	६४	१५
(स) वितरण एवं अभिनवीकरण सहायता ..	३	३	५	६	४	६	१२	..	२५	९	६१	१५
२—यांत्रिक अभियंत्रण												
(अ) प्रारम्भिक सहायता	१५	८	१५	१२	२०	११	२५	६	१००	४	३३०	३०
(ब) नई इकाइयों की स्थापनार्थ सहायता ..	१०	८	२०	२३	१६	११	३०	१३	१९२	१४	३२०	७१
(स) विस्तारण एवं अभिनवीकरण सहायता ..	५	४	१०	१०	२२	१५	२५	..	४५	२४	३१०	५१
३—विद्युत् अभियंत्रण—												
(अ) प्रारम्भिक सहायता	५	२	५	५	१३	१०	१०	४	२०	१	४१	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ब) नई इकाइयों की स्थापनार्थ सहायता ..	८	१	१५	३	१५	५	२०	११	९६	४	३८	४
(स) विस्तारण एवं अभिनवीकरण सहायता ..	१०	२	२०	५	१३	७	१५	..	४०	..	४२	५
४—अन्य औद्योगिक												
(अ) प्रारम्भिक सहायता	१०	१३	.	८	७	११	..	३	..	४	२६४	२१
(ब) नई इकाइयों की स्थापनार्थ सहायता ..	..	१	..	१६	७	१४	..	३७	..	७०	१९८	५६
(स) विस्तारण एवं अभिनवीकरण सहायता ..	..	३	..	८	७	७	..	..	..	८	२६०	२९

टिप्पणी : १—पूर्ति का विवरण माह नवम्बर, १९६९ तक ।

२—आगरा में योजना अप्रैल, १९६८ से प्रारम्भ हुई थी अतः १९६७-६८ की पूर्ति शून्य समझी जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

तालिका 'क'

क्रम-सं०	चीनी मिलों व जिलों के नाम	नियुक्त किये गये रिसीवर का नाम	नियुक्ति की तिथि	मुक्त होने की तिथि
		सर्वश्री—		
१	रजा बुलन्द (रामपुर) ..	जी० पंत	३-३-१९७०	२४-३-१९७०
		मान सिंह	२४-३-१९७०	अभी हैं ।
२	सिसवाबाजार (गोरखपुर)	आर०सी० वर्मा	५-३-१९७०	१०-३-१९७०
		चन्दन सिंह	११-३-१९७०	३-५-१९७०
		बृजेश कुमार	४-५-१९७०	७-५-१९७०
		हरिमाधव शरन	८-५-१९७०	अभी हैं ।*
३	बुढ़वल (बाराबंकी) ..	बी०एन० श्रीवास्तव	५-३-१९७०	९-३-१९७०
		पी०के०मिश्र	९-३-१९७०	अभी हैं ।
४	मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर)	जी०डी० पुनेठा	४-३-१९७०	४-५-१९७०
५	बरेली ..	रघुबीर सिंह	४-३-१९७०	९-३-१९७०
		पी०बी०घाटे	९-३-१९७०	अभी हैं ।*
६	मसोधा (फैजाबाद)..	राम कृष्ण दूबे	४-३-१९७०	९-३-१९७०
		महेश प्रसाद मिश्रा	९-३-१९७०	अभी हैं ।*
७	धामपुर (बिजनौर) ..	मदन मोहन गुप्ता	४-३-१९७०	११-३-१९७०
८	देवबन्द (सहारनपुर) ..	डी०पी० सिंह	५-३-१९७०	११-३-१९७०
९	लार्ड कृष्णा (सहारनपुर)	कु०एम०एस०सक्सेना	५-३-१९७०	११-३-१९७०
१०	इकबालपुर (सहारनपुर)	ओ०पी०दुबे	५-३-१९७०	१२-३-१९७०
११	जसवंत (मेरठ) ..	हर दत्त पांडे	४-३-१९७०	९-३-१९७०
		आर०एस० माथुर	९-३-१९७०	अभी हैं ।*
१२	पन्नीजी (बुलन्दशहर)	करार हुसैन	३-३-१९७०	७-३-१९७०
		हरि माधव शरन	८-३-१९७०	६-५-१९७०
		चन्दन सिंह	६-५-१९७०	अभी हैं ।
१३	देवरिया ..	के०एल० माथुर	४-३-१९७०	२१-३-१९७०
१४	रामकोला (पी) (देवरिया)	बी०एम०सिंह	८-३-१९७०	३१-३-१९७०
१५	बैतालपुर (देवरिया) ..	सी०एस०गुप्ता	४-३-१९७०	२१-४-१९७०
		बी० डी० महेश्वरी	२१-४-१९७०	अभी हैं ।*
१६	भटनी (देवरिया) ..	जी०पी० आखिला	४-३-१९७०	९-५-१९७०
		जी०एस०तिवारी	९-५-१९७०	अभी हैं ।
१७	खड्डा (देवरिया) ..	रमा शंकर सिंह	४-३-१९७०	१०-३-१९७०
		परमात्मा सिंह	१०-३-१९७०	अभी हैं*
१८	रामकोला (खेतान) (देवरिया)	बी०एस०वर्मा	४-३-१९७०	८-४-१९७०
		बी०एम०सिंह	४-३-१९७०	अभी हैं ।
१९	अमरोहा (मुरादाबाद)	आर०एस० माथुर,	२३-२-१९७०	१५-३-१९७०
		आर० के० दूबे	१६-३-१९७०	२६-३-१९७०
		श्री राम निवास	२७-३-१९७०	अभी हैं ।

*इन रिसीवरों को उच्च न्यायालय ने कार्य करने से रोक दिया है ।

तालिका 'ख'

(लाख रु० में)

क्रम-संख्या मिल का नाम	दिनांक ३०-४-१९७० तक जो भुगतान किया गया				
	पुराना		वर्ष १९६९-७० का		
	गन्ना मूल्य	उपकर/ क्रयकर	गन्ना मूल्य	क्रयकर	योग
१ २	३	४	५	६	७
१—इकबालपुर	०.४४	५.६३	६८.३७	३.६८	७८.०४
२—सहारनपुर	१.०९	६.२४	४६.२१	४.९९	५७.६३
३—देवबन्द	०.०९	११.०५	८०.२५	३.६३	१०३.०२
४—मंसूरपुर	०.०१	७.९७	७७.२६	५.०७	९६.३१
५—जसवन्त (मेरठ)	१.९४	४.३२	१३.६९	..	१९.९५
६—पन्नी जी (बुलन्दशहर)	..	..	२९.३९	..	२९.३९
७—धामपुर	२.४३	..	८४.८१	३.२४	९०.४८
८—बरेली	..	०.५०	३७.१६	..	३७.६६
९—मसोधा	२.१५	..	३२.९४	..	३५.०९
१०—सिसवाबाजार	०.०७	०.२४	२५.७४	..	२६.०५
११—बैतालपुर	..	..	२८.८३	..	२८.८३
१२—देवरिया	०.०१	..	२१.९९	१.११	२३.११
१३—खड्डा	१.३८	..	१३.३६	०.४०	१५.१४
१४—रामकोला	१.०६	६.०५	८०.७१	२.१४	८९.९६
१५—रामकोला (खेतान)	०.९१	..	१७.२८	..	१८.१९
१६—भटनी	१.५०	..	११.४८	..	१२.९८
१७—रामपुर	१.१०	..	४९.०९	..	५०.१०
१८—बुढ़वल	..	..	२४.१२	..	२४.१२
१९—अमरोहा	०.१०	१.९१	५५.८७	१.१९	५९.९७
योग ..	१४.२८	४३.९१	८०६.४६	२४.४७	८८९.१२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

तालिका

चीनी मिलों के नाम जिनमें वर्ष १९६९-७० में रिसीवर नियुक्त किये गये		चीनी मिलें जो रिलीज (मुक्त) कर दी गई	चीनी मिलें जिनमें उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा रिसीवरों को कार्य करने से रोक दिया गया है।
१—अमरोहा (मुरादाबाद)	११—कैलासपुर	१—धामपुर	१—बरेली
२—बाराबंकी	१२—भटनी	२—देवबन्द	२—जसवन्त
३—धन्नौजी (बुलन्दशहर)	१३—रामकोला	३—सहारनपुर	३—कैलासपुर
४—सिसवाबाजार	१४—देवरिया	४—इकबालपुर	४—सिसवाबाजार
५—रामपुर	१५—मंसूरपुर	५—रामकोला	५—खड्डा
६—मसोधा	१६—धामपुर	६—देवरिया	६—मसोधा
७—बरेली	१७—देवबन्द	७—मंसूरपुर	
८—जसवन्त	१८—सहारनपुर		
९—खड्डा	१९—इकबालपुर		
१०—रामकोला (खेतान)	२०—बुढ़वल		

विधान सभा सचिवालय

नन्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६ पर)

साल	वर्ग	सेवा योजन की अधि-सूचित रिक्तयां	सेवायोजन कार्यालय द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों की संख्या	चुने एवं नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	नियुक्त किये गये कर्मचा-रियों का कुल योग
१	२	३	४	५	६	७
अप्रैल, ६६से	तृतीय	..	..	..	५६	१४८
			..			
दिसम्बर ६६	चतुर्थ	..		..	९२	
१९६७	तृतीय	..	..	..	..	५१
	चतुर्थ	४०	४२	१५	३६	
१९६८	तृतीय	२२	४४	१३	७	१०८
	चतुर्थ	४७	६९	३९	४९	
१९६९	तृतीय	..	..	..	१६	१६३
	चतुर्थ	७१	९४	४३	१०४	
जनवरी ७० से अप्रैल, ७०	तृतीय	१ स्टेनोग्राफर	..	..	३ जूनियर क्लर्क बुकिंग क्लर्क	१३१
	चतुर्थ	१६	६	१	१२७)	
		१९७	२५५	१११	४९०	६०१

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ९६ एल० ए०—१९७१—८४५ ।